बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषयसूची

पृष्ठ सं.

संपादकीय 2

अनुचिंतन 4

साक्षात्कार 6

लेख

♦	तेज आर्थिक विकास से सामाजिक चुनौतियों का सामना संभव	प्रह्लाद सबनानी	8
♦	बैंकों में शाखा स्तर पर लाभप्रदता	सी. एस. पसरीचा	13
♦	प्रगतिशील बैंकिंग के अनिवार्य घटक	रविनाथ टंडन	17
♦	स्वयं सहायता समूह-ग्रामीण बैंकिंग में एक नयी क्रांति	रणवीर सिंह	21
♦	बदलता परिवेशः सहकारी ऋण संस्थाओं की भूमिका	डॉ. राजीव कुमार सिन्हा	28

बैंकिंग परिदृश्य 32

कंप्यूटर परिभाषा कोश 41

पुरस्कृत निबंध

♦	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समस्या या समाधान	राजेंद्र सिंह	45

महत्वपूर्ण परिपत्र 51

पुस्तक समीक्षा 56

लेखकों से/ पाठकों से 60

संपादकीय

प्रिय पाठको,

यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी में हुए विकास के परिणाम लाभदायक हैं, तथापि कम्प्यूटर धोखाधड़ी की बढ़ती हुई घटनाएं चिन्ता का विषय बन गयी हैं। कम्प्यूटर अपराध कहीं भी दूरवर्ती इलाके से किये जा सकते हैं अतः अपराधी अपेक्षित गुमनामी के अंधेरे में रह सकता है। बैंकिंग उद्योग को ऐसे आक्रमणों से अपने आपको बचाना होगा विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अधिकांश लेनदेन इन्टरनेट के माध्यम से किये जाते हों। साथ ही चूंकि 'ई-वाणिज्य' में बैंकों की भूमिका बहुत व्यापक होगी अतः उचित सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस सम्पादकीय के माध्यम से मैं बैंकों द्वारा किये जानेवाले सुरक्षा उपायों की चर्चा करना चाहता हूँ ताकि बैंक कम्प्यूटर अपराध और धोखाधड़ी के जाल में न फंसें।

शोध यह दर्शाते हैं कि कम्प्यूटर धोखाधड़ी मुख्य रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरियों के कारण होती है जिसके कारण ऋणों की देय तारीखों को बढ़ाना, ग्राहकों के नाम एवं पते में परिवर्तन करना आदि जैसे अप्राधिकृत / छेड़छाड़ किये गये आंकड़े डालना संभव हो जाता है। आज बैंकों के सामने कम्प्यूटरीकृत वातावरण में सुरक्षा बनाये रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इस सुरक्षा में ये बातें शामिल हैं - गोपनीयता (प्राधिकृत उपयोगकर्ता को ही सूचना उपलब्ध कराना) सुसम्बद्धता (प्राप्त सूचना ही दिखलाई दे जैसे कि भेजी गयी या स्टोर की गयी हो) उपलब्धता (सूचना नेटवर्क में स्टोर की गयी / भेजी गयी सूचना निर्धारित समय सीमा में, जितनी अपेक्षित हो आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होनी चाहिए), प्रामाणिकता (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों में पार्टियों की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिये कार्यप्रणाली) और अस्वीकृत-रोध (सुनिश्चित करना कि इन्टरनेट के माध्यम से लेनदेन के प्राधिकरण या संदेशों को भेजने / प्राप्त करने को पार्टियां अस्वीकृत नहीं कर सकती)।

कम्प्यूटरीकृत वातावरण में होनेवाली धोखाधड़ियों पर जांच बिन्दु के रूप में काम करने के लिये पांच महत्वपूर्ण नियंत्रण हैं, जिन्हें सही ढंग से लागू किया जाना चाहिये : प्रबंध नियंत्रण (ठोस सुरक्षा नीति तैयार करना, कारोबार निरंतरता, आयोजन आदि) संगठनात्मक नियंत्रण (प्रोग्रामरों, परिचालकों आदि के बीच ड्यूटी के बंटवारे सहित) परिचालन एवं वातावरणगत नियंत्रण (कम्प्यूटर संसाधनों तक भौतिक पहुंच की जांच, वातानुकूलन आर्द्रता आदि का नियंत्रण) और अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) नियंत्रण (सुरक्षा खामियों को देखने के अनुप्रयोग में ही शामिल नियंत्रण) । यह सुनिश्चित करके कि ये नियंत्रण सही स्थिति में हैं, बैंक कम्प्यूटर अपराधियों को कोसों दूर रख सकते हैं।

बैंकों में कम्प्यूटर सुरक्षा को मजबूत करने में लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कम्प्यूटरीकृत वातावरण में लेखापरीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ उपर्युक्त

नियंत्रणों की प्रायोगिक जांच शामिल है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे नियंत्रण वास्तव में कार्य कर रहे हैं। बैंकों में आंतरिक नियंत्रण तथा निरीक्षण / लेखा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित कार्यकारी दल (जिलानी समिति) ने आंकड़ों की प्रामाणिकता, सुरक्षा और नियंत्रक उपायों जैसे कि सिस्टम डेवलेपमेंट / रखरखाव, आंकड़ों की सुरक्षा/पहुंच तथा आकस्मिक आयोजना की जांच करने के लिए कम्प्यूटर लेखा परीक्षा की संभावनाओं का उल्लेख किया है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग लेखा परीक्षा की भूमिका है - सिस्टम के सभी सुरक्षा पहलुओं का सत्यापन और साथ ही सिस्टम डेवलेपमेंट पद्धति, प्रोग्रामिंग और अभिलेखन मानकों की औपचारिक घोषणा के संबंध में अनुपालन का भी सत्यापन करना। लेखा-परीक्षक पहुंच नियंत्रण की जांच कर सकते हैं और साथ ही वे अपवादतः रिपोर्टें तैयार करने की प्रणाली की भी जांच कर सकते हैं। कम्प्यूटरीकृत बैंक वातावरण में सही तरीके से नियंत्रणों की जांच करके एवं खामियों की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देकर लेखा परीक्षक सुरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने में योगदान कर सकते हैं जो कि कई उल्लंघनों से बचा सकता है।

भारत में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, कम्प्यूटरीकृत वातावरण में काम करनेवाले व्यक्तियों और संस्थानों के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा है। इस अधिनियम में डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अपराधों सहित बहुत से मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। अधिनियम के अनुसार, डिजिटल हस्ताक्षर (प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत) और इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को कानूनी पहचान मिल गयी है। अधिनियम में कम्प्यूटर संबंधी अपराधों जैसे कि कम्प्यूटर संसाधन दस्तावेजों में छेड़छाड़, कम्प्यूटर सिस्टम की हैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करना, गलत प्रस्तुतीकरण (लाइसेंस / डिज़िटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के लिए) और धोखे / गैर कानूनी प्रयोजन के लिए डिज़िटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रकाशित करने को परिभाषित किया गया है। ये दण्डनीय अपराध हैं। इसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 जैसे कानूनों में भी संशोधन किये गये हैं। यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सायबर धोखाधड़ी के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं हुआ है परन्तु इसमें कम्प्यूटर संबंधी अपराधों की परिभाषा दी गयी है और उन्हें दण्डनीय बताया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है जिससे कम्प्यूटरीकृत वातावरण में धोखाधड़ियों पर कार्रवाई करने के लिये भारत में बैंकों को एक आधार मिल गया है।

अंत में, भारत में बैंक कम्प्यूटर वातावरण में नियंत्रणों का कार्यान्वयन कम्प्यूटर संबंधी सुरक्षा को मजबूत करने में लेखापरीक्षा की भूमिका की महत्ता और उपलब्ध कानूनी प्रावधानों को समझकर कम्प्यूटर धोखाधड़ियों से अपने आपको बचा सकते हैं।

शेष फिर ....

आपका

सी आर गोपालसुंदरम

अनुचिंतन

चिंतन अनुचिंतन की साज-सज्जा और कलेवर काफी अच्छा है। रिज़र्व बैंक के राजभाषा विभाग को मैंने अच्छा मानक पाया है जो सटीक और मानक अनुवाद में भी सक्षम है जैसाकि सीआइआर, परिपत्रों और चिंतन अनुचिंतन को पढ़ने से पता चलता है। पत्रिका को उपयोगी बनाने की दिशा में आपको निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए -

* रिज़र्व बैंक के परिपत्रों का पूरा-पूरा समावेश, खासकर डीबीओडी/ आरपीसीडी आदि विभागों से निकलनेवाले, ताकि पाठकों को समग्र जानकारी मिल सके।

* बैंकिंग सेवा की त्रुटियों को दर्शानेवाली सामग्री का भी समावेश किया जाना चाहिए। साथ-साथ उनके निवारण पर भी लेख छापे जाने चाहिए जिससे लागों के ज्ञान-जानकारी में सुधार की दिशा को प्रोत्साहन मिले।

आर. पी. अग्रवाल
कन्हौलीनाका
मुज़फ्फरपुर - 842001

मैंने बैंक में राजभाषा अधिकारी के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की लेकिन बैंकिंग जैसे विराट क्षेत्र को जानने में बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन की पुरानी तथा नई प्रतियां सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हुई हैं। अनुरोध के रूप में दो बातें रखना चाहूंगा -

* पत्रिका के प्रत्येक अंक में बैंकिंग परीक्षा जेआईआईबी तथा सीएआईआईबी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर कोई ना कोई लेख अवश्य दिया जाए।
* राजभाषा हिंदी का प्रयोग बैंकिंग के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक कैसे हो इसे ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक लेख पत्रिका में दिया जाए।
* कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी या अन्य किसी विषय पर विशेषज्ञ विद्वानों के लेख इस पत्रिका को और उपयोगी बनाएंगे।

आलोक कुमार
भारतीय स्टेट बैंक
भुवनेश्वर मंडल
भुवनेश्वर -751 007

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक नए कलेवर में अत्यंत उपयोगी और संग्रहणीय है। वर्तमान युग में विशेष रूप से बैंकिंग के क्षेत्र में तेजी से बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व एवं आवश्यकता असीम है। अतः ऐसे विषय को लेकर पत्रिका का विशेषांक प्रकाशित करना समय की मांग है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने बखूबी पूरा किया है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट बैंकिंग, वेबसाईट, ई-कामर्स आदि जैसे गूढ़ विषयों पर प्रांजल लेख इस विशेषांक की धरोहर हैं। विशेषांक का आवरण भी विषय से सादृश्यपरक और आकर्षक है।

बी. सी. बोला
उप महा प्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
कोलकाता- 700 001

जबसे यह जानकारी मिली कि जुलाई 2001 से इस पत्रिका का मुद्रण बंद हो जाएगा तथा यह इंटरनेट पर उपलब्ध रहेगी, अत्यंत निराशा हुई। क्योंकि मुझ जैसे ग्रामीण बैंककर्मी के लिए हिंदी माध्यम में यह पत्रिका एक वरदान है। मुझ जैसे जेएआईआईबी कर रहे हजारों छात्रों के लिए यह एक प्रशिक्षक है। इसमें प्रकाशित सामग्री पठनीय ही नहीं संग्रहणीय भी है। जुलाई-सितंबर 2002 अंक से यह जानकारी मिली कि इस पत्रिका का प्रकाशन बंद नहीं किया गया है बल्कि अब इसे निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आपके इस निर्णय के लिए कोटिशः धन्यवाद।

अनिलकुमार सिंह
बैंक ऑफ इंडिया
बेवर, मैनपुरी - 206301
उत्तर प्रदेश

मैंने जबसे बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन को पढ़ना शुरू किया है मेरे बैंक संबंधी ज्ञान में काफी बढोत्तरी हुई है। बैंकिंग क्षेत्र में मुझे इससे अच्छी पुस्तक आज तक नहीं मिली। यह जानकर हर्ष हुआ कि आप 'जोखिम प्रबंधन' पर विशेषांक निकालने जा रहे हैं। भविष्य में भी इसका प्रकाशन जारी रखकर हम जैसे हिंदी भाषी लोगों का ज्ञान बढाने में सहायक होंगे यही आशा है।

दिनेशचंद्र जोशी
शकरपुर
दिल्ली - 110 092

जुलाई-सितंबर 2002 अंक में दी गई सामग्री ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी है । इसमें बैंकिंग, वित्त, प्रबंधन,कंप्यूटर, पर्यावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आदि विविध विषयों पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई है । पत्रिका का कलेवर, विषय सामग्री, संपादन प्रशंसनीय रहा है ।

डॉ. श्रीनिवास द्विवेदी
महाप्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी
राजभाषा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

पत्रिका के संदर्भ में मेरा सुझाव है कि इसके नियमित लेखों के साथ-साथ एक नया अध्याय (स्तंभ) प्रारंभ किया जाए जिसमें पाठकों के द्वारा पूछे गए बैंकिंग तथा उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं । इसके जरिए हमारे जैसे नए बैंकर्स के साथ-साथ अनुभवी बैंकर्स भी आज के नए बैंकिंग के उभरते माहौल में अपनी जिज्ञासा शांत कर सकेंगे ।

राजेंद्र प्रसाद सिंह
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
जूनागढ़
गुजरात - 362 001

बैंकिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण तथा सम-सामयिक विषय 'जोखिम प्रबंधन' को केंद्र बिंदु बनाकर प्रकाशित यह अंक बैंकरों व पाठकों के लिए निस्संदेह अत्यंत उपयोगी एवं लाभप्रद होगा । देश के दूरदराज पाठकों-सदस्यों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए पत्रिका की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है । पत्रिका में प्रकाशित सामग्री जानकारी-परक है । साज-सज्जा एवं मुद्रण के लिहाज से चिंतन-अनुचिंतन का यह अंक आकर्षक बन पड़ा है ।

प्रभुता व्यास
प्रबंधक - राजभाषा एवं प्रचार
भारतीय बैंक संघ
मुंबई - 400 005

पत्रिका का जोखिम प्रबंधन विशेषांक एक संग्रहणीय अंक के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस महत्वपूर्ण विषय पर एक ही स्थान पर इतनी उपादेय सामग्री मिलना सामान्यतः संभव नहीं है । पत्रिका के मुखपृष्ठ पर मुद्रित चक्रव्यूह / भंवरजाल प्रतीकात्मक रूप में जोखिम प्रबंधन का संदेश प्रभावी रूप में देनेवाला है । विशेषांकों की यह श्रृंखला 'बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन ' को नयी दृष्टि और नया पथ प्रदान करने में समर्थ हो सकेगी । कृपया इसे बनाए रखें । पुनः सुंदर प्रस्तुतीकरण के लिए संपादक मंडल के सभी सदस्यों को बधाई ।

श्यामलाल गौड
ए-35, मान्टवर्ट I
सुस रोड, पाषाण,
पुणे 411 021

'जोखिम प्रबंधन विशेषांक' बैंकिंग उद्योग के अन्यान्य पहलुओं में जोखिम की यथार्थता को व्यंजित करता एक प्रभावी, दिशानिर्देशक एवं उपयोगी अंक है । प्रत्येक लेखकार ने अपने विषय के भीतर से गिरी ढूंढ निकाली है । चिंतन के स्तर पर अंक में ताजगी एवं संगठनात्मक गहराई है । भाषा की सहजता, प्रवाहमयता एवं स्वाभाविकता प्रत्येक पाठक को आमंत्रित-आकर्षित करती है । पत्रिका के विशेषांक के लिए लेखों को मंगवाना, संपादित करना और तराशना एक जटिल कार्य है । लेकिन जिस सहजता, धैर्यता एवं प्रतिबद्धता से इस विशेषांक का जन्म हुआ है वह सचमुच आश्चर्यमयी बात है। समय की बरसात में न धुलनेवाले इस उपलब्धिनुमा विशेषांक के लिए हार्दिक बधाई ।

डॉ. अमरसिंह वधान
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
सिंडिकेट बैंक
प्रधान कार्यालय,
मणिपाल - 576 119

साक्षात्कार

बाज़ार की शक्तियां बैंकों का स्वरुप बदल देंगी

बातचीत करना, एक दूसरे के बारे में जानना और हमसे जो ज्यादा जानते हैं या जो नीतियां बनाते हैं उनके विचार जानना हमारे स्वभाव का एक अंग है क्योंकि इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। अस्तु, किसी के बारे में जानना और उसके विचारों को समझना ही साक्षात्कार कहलाता है।

साक्षात्कार के महत्व को समझते हुए और साथ ही साथ पाठकों की निरंतर मांग को देखते हुए - इस अंक से एक नया स्तम्भ प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है - "साक्षात्कार" - जी हां, यही नाम है हमारे नये स्तम्भ का और उसमें हम अपने क्षेत्र, विशेषकर, बैंकिंग से ज़ुड़े व्यक्तियों से विभिन्न विषयों पर खुली बातचीत करेंगे । हम प्रयास करेंगे कि हर बार इस स्तम्भ में आपको विभिन्न बैंकरों से "साक्षात्कार " का अवसर मिले और वर्तमान तथा भावी बैंकिंग परिदृश्य के संकेत मिलें।

आशा है इस स्तम्भ को आपका स्नेह और प्यार मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आइए मिलते हैं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष, डॉ दलबीर सिंह से। सैंतीस साल के इतने लम्बे वाणिज्य बैंकिंग, विकास बैंकिंग, अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग और प्रबंध प्रशासन के उनके अनुभवों का पता हमें उनसे हुई बातचीत में चला। डॉ. सिंह उपर्युक्त के अलावा बहुत सी महत्वपूर्ण संस्थाओं में अध्यक्ष, निदेशक एवं सदस्य के रुप में भी कार्यरत हैं।

प्रस्तुत है साक्षात्कार का प्रश्नवार सारांश :

हमारे देश में अभी भी Banking Culture पूरी तरह नहीं आ पाया है, क्या यह बैंकों का फर्ज नहीं बनता कि वे सामान्य जनता को बैंकिंग की व्यापक शिक्षा दें, उन्हें educate करें ?

❖ बात तो सही है पर मुझे लगता है यह प्रश्न दूरदराज के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में है। देखिए, उनके पास अपने खाने-पीने के लिए धन नहीं है, अशिक्षा है, वे बैंकिंग का क्या करेंगे। पूरा का पूरा इस तरह का समुदाय है, उसे बैंकिंग की शिक्षा देकर भी क्या होगा। रही बात शहरी क्षेत्रों या अर्धशहरी क्षेत्रों की तो वहां मैं समझता हूँ कि सभी बैंक अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा प्रचार करते हैं, यहां तक कि स्थानीय भाषा में भी करते हैं। ग्रामीण जनता अभी भी बैंकिंग की प्रक्रिया को जटिल मानती है। कारण क्या है कि हम सभी बैंक वाले एक सिस्टम में बंधे हैं, कायदे कानून हैं, उसके दायरे में काम करते हैं। जबकि गांववाले अपनी जरुरतों के लिए साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। वो उनकी जरुरतें समझता है और उन्हें आसानी से पूरा करता है। ट्रकवाले बैंकों के पास आने के बजाय एनबीएफसी के पास जाते हैं। बैंकों के एवं एनबीएफसी के उद्देश्यों में अन्तर है। फिर भी इस पर चिन्तन हो रहा है शायद धीरे-धीरे परिवर्तन होगा।

निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रतिस्पर्धा में आज सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सामने बेहतर ग्राहक सेवा और ग्राहकों को बनाये रखने की चुनौती है, इस बारे में बैंकों में क्या हो रहा है?

❖ एक बात स्पष्ट है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का लक्ष्य "मास" (Mass) बैंकिंग है जबकि निजी क्षेत्र के बैंक केवल "क्लास" (Class) बैंकिंग की बात करते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक उन पर केन्द्रित हैं जिनके पास पैसा बहुतायत से है जबकि हम सरकारी क्षेत्र के बैंक जन-जन की बैंकिंग आवश्यकता को भी साथ लेकर चलते हैं। अतः दिखने में स्पर्धा है पर वास्तव में स्पर्धा नहीं है। दोनों के फील्ड में फर्क है। आज देखिए निजी क्षेत्र के बैंकों को अस्तित्व में आये आठ साल हो गये हैं पर क्या वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बराबरी कर पाये हैं। पर देखिए, समय बतायेगा क्योंकि निजी क्षेत्र में "सर्विस की वेल्यू है" कीमत है -और जो बर्दाश्त कर सकते है वे ही उनके पास जायेंगे।

भविष्य में आईबीए की भूमिका में भी परिवर्तन होने की उम्मीद है - क्या आप इससे सहमत हैं ?

❖ परिवर्तन होता नहीं है, हो गया है पहले आईबीए नियंत्रक एजेंसियों के आदेशों/

निदेशों को बैंकों तक पहुँचाने का ही कार्य करता था पर अब यह "सक्रिय"(Proactive) भूमिका निभाने लगा है - - अब वह सहभागी हो गया है, नियम बनाने वालों के साथ। वह बैंकों की समस्याओं के साथ नियामकों (Regulators) के पास सुझाव लेकर जाता है, बैंकों की जरुरतें उन्हें बताता है। एक सहजक (Facilitator) की भूमिका निभा रहा है। आईबीए के स्तर पर दो चिन्तन चल रहे हैं जो उसकी भविष्य की भूमिका का संकेत देते हैं -

1. जो Reform हो रहे हैं, उन्हें बैंकों के साथ कैसे adjust करना है,
2. Technology कैसी हो और Regulator के साथ विचार-विमर्श के बाद नीति निर्धारण इससे एक संतुलन बना रहेगा जो बैंकों के भावी विकास के लिए बहुत जरुरी है। आप कह सकते हैं कि आईबीए पार्टीसिपेटिंग मैनेजर है।

आज से पांच साल बाद बैंकिंग का भविष्य क्या होगा?

❖ बाज़ार की शक्तियां बैंकों का स्वरुप बदल देंगी, धीरे-धीरे निजीकरण और विनिवेश बढता जाएगा और Board Driven Policies काम करेंगी। हो सकता है कि भविष्य में लक्ष्य (Targets) के बजाय लाभप्रदता (Profitability) ही बैंकों का मापदंड हो। आज धीरे-धीरे बैंकों की सामाजिक संस्कृति परिवर्तित हो रही है यह उसी का संकेत है। बैंक अपने नाम, आकार के स्थान पर लाभप्रदता से पहचान बनाएंगे।

यूनिवर्सल बैंकिंग की संकल्पना आज चर्चित हो रही है, भारतीय परिवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

❖ यह "मीडिया क्रिएटेड हाईप" है। पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड को छोड़कर बाकी कहीं पर यूनिवर्सल बैंकिंग नामक चीज वास्तव में नहीं है। एक्टिविटिज को मिलाना ही यूनिवर्सल बैंकिंग नहीं है क्योंकि बैंकिंग बहुत व्यापक कन्सेप्ट है।

क्या वास्तव में इतने अधिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जरुरत हैं?

❖ देखिए, हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, अतः बैंकिंग की जरुरत भी ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो मेट्रोज में ही आप Overcrowded Bank देखेंगे। फिर भी मेरा यह मानना है कि आज टेक्नॉलॉजी के विकास के साथ हमें बैंकों के Restructuring की जरुरत है । यह बैंक के भीतर भी हो सकता है और बैंकों के बीच भी और मुझे लगता है कि यह स्थिति धीरे-धीरे आ रही है और हमें इसे स्वीकार करना ही होगा।

बैंक आजकल रिटेल पोर्टफोलियो की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या यह सही दिशा है?

❖ इसका कारण है जनता की जरुरत। देखिए इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर में एक तरह से ठहराव आ गया है और बैंकों के पास पैसा है, अब उसे लगाना तो है ही ना, तो रिटेल पोर्टफोलियों ने एक रास्ता बना दिया। पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, यह दिशा Natural Process की दिशा है।

बैंक विशेष उधार (Specialised lending) की तरफ ध्यान केन्द्रित कर रहे है जैसे Consumer Loan, Housing Loan आदि, क्या बाज़ार का दबाव होने से ऐसा हो रहा है?

❖ इस प्रकार के उधार बैंकों की परंपरागत गतिविधियों के अंग पहले से ही रहे है। नया कुछ नहीं है। हां, विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने इनका प्रचार इतना ज्यादा किया है, लगने लगा है कि ये सब अब शुरु हुआ है। Housing Loan का क्षेत्र बडी व्यापकतावाला क्षेत्र है जो अब ज्यादा प्रचारित हो रहा है।

केन्द्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली कार्यरत हो गयी है, इससे निधिगत कार्यों में फर्क पड़ेगा, पर आम जनता को क्या फायदे होंगे?

❖ जिनके (बैंकों के) Floating Funds गायब हो गये, Operational Cost बढ़ गयी वो क्या Fund Management सोचें। विदेशी बैंक Volume पर निर्भर करते हैं और हम अर्थात सरकारी क्षेत्र के बैंक एक प्रतिबंधित दायरे में काम करते हैं। ऐसे में जनता का फायदा क्या हो, कैसे हो, यह एक अलग विषय है। किसी भी प्रणाली के नफे नुकसान होते ही हैं।

डॉ. साहब, बैंकिंग चिन्तन-अनुचिन्तन के पाठकों के लिए आपका क्या संदेश है?

❖ हम सबको हिंदी आती है, हमें और हमारे कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में करना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए।

- प्रस्तुतकर्ता : पुष्पकुमार शर्मा

तेज़ आर्थिक विकास से सामाजिक चुनौतियों का सामना संभव

प्रह्लाद सबनानी
मुख्य प्रबंधक
आर्थिक अनुसंधान विभाग
भारतीय स्टेट बैंक
मुंबई - 400 021.

किसी भी देश के आर्थिक विकास की सफलता का पैमाना उस देश की सामाजिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता से ही लगाया जाना चाहिए। देश की सामाजिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता तभी अधिक होगी जब उस देश का आर्थिक विकास तेज़ गति से होगा।

पूरे विश्व के **विकासशील देशों** में **गरीबी रेखा** के नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों की कुल आबादी का दो तिहाई हिस्सा एशिया महाद्वीप में ही निवास करता है। अतः एशिया महाद्वीप के, भारत सहित, विभिन्न राष्ट्रों के सामने, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों के, आर्थिक दृष्टि से, उत्थान करने का कार्य आज सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है।

गरीबी एक अभिशाप है, क्योंकि इससे मानव-जीवन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अधिक गरीबी के कारण मानव-जीवन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव होता है।

आर्थिक विकास तथा सामाजिक चुनौतियों में चोली-दामन का साथ है। यह इस लेख के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है।जिस देश के आर्थिक विकास में वृद्धि तेज़ गति से हुई है, उस देश ने सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में सफलता पाई है। दूसरी ओर, जिस राष्ट्र की आर्थिक विकास की गति धीमी रही है, उसे सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में असफलता ही हाथ लगी है।

सामाजिक चुनौतियां

जो व्यक्ति प्रतिदिन एक अमेरिकी डालर से कम की राशि कमाता है, वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन- यापन कर रहे लोगों की श्रेणी में गिना जाता है। उक्त परिभाषा को पूरे विश्व में 'गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों ' की परिभाषा के तौर पर स्वीकार किया जाता है। उक्त परिभाषा के अनुसार, पूरे विश्व में 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने पर मजबूर हैं। इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या को गरीबी रेखा के ऊपर उठाना ही एक सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती, पूरे विश्व के सामने है।

गरीबी एक अभिशाप है, क्योंकि इससे मानव-जीवन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अधिक गरीबी के कारण मानव-जीवन की गुणवत्ता पर हो रहा विपरीत प्रभाव निम्न रूप से भी दृष्टिगोचर होता है। यथा - अधिक निरक्षरता, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता का अभाव, अधिक परेशानियां और प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता का अभाव। उदाहरण के तौर पर विश्व में गरीब समझे जाने वाले दक्षिण एशिया क्षेत्र में कुल आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा निरक्षर लोगों का है। कम्बोडिया और वियतनाम में, केवल आधे से कम लोगों को ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण ही प्रति 1000 बच्चों में 77 शिशुओं की अपनी प्रथम वर्षगांठ के पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। पूरे एशिया महाद्वीप में प्रतिवर्ष 27 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है। उक्त समस्त कारणों को सामाजिक चुनौतियों के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है। साथ ही, आजकल सामाजिक चुनौती के रूप में ही बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है।

बेरोजगारी की समस्या तो पूरे विश्व में ही दृष्टिगोचर है । बेरोजगारी के कारण ही व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने को मजबूर होता है जिससे मानव-जीवन की गुणवत्ता पर सीधे-सीधे ही विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

भारत वर्ष में सामाजिक चुनौतियां

अभी हाल ही में राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे (एन एस एस) द्वारा सम्पन्न किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारतवर्ष में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों की संख्या, देश की कुल जनसंख्या का 26 प्रतिशत है । यह प्रतिशत वर्ष 1993-94 में 36 था । हालांकि इस परिणाम की सत्यता पर बहस जारी है । परंतु इतना तय है कि देश की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहा है । इसका सबसे बड़ा कारण है देश की बढ़ती आबादी तथा रोजगार के समान अवसर उपलब्ध न हो पाना ।

वर्ष 2001 में ही, वित्त मंत्रालय में पूर्व वित्त सचिव डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार देश में 90 लाख लोग बेरोजगार हैं और यह संख्या वर्ष 2007 तक 2 करोड़ 60 लाख एवं वर्ष 2012 तक 3 करोड़ 75 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है । इन्हीं कारणों के चलते, भारत वर्ष में मानवी जीवन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । लगभग आधी आबादी का निरक्षर होना, ग्रामों में कुपोषण की समस्या, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, स्वच्छ पेयजल एवं अन्य सुविधा का अभाव, मानव-जीवन की गुणवत्ता में कमी का होना ही प्रदर्शित करता है ।

भारतवर्ष में आर्थिक विकास

भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् एवं आर्थिक सुधार कार्यक्रम को लागू किये जाने के पूर्व तक आर्थिक विकास की दर धीमी रही है । वर्ष 1975 तक 'हिन्दू विकास दर' के नाम से जानी जाने वाली आर्थिक विकास की दर लगभग 2.5 प्रतिशत ही रही । 80 के दशक में यह 5 प्रतिशत से कम रही हालांकि वर्ष 1991-92 में आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद 90 के दशक में आर्थिक विकास की दर बढ़कर छह प्रतिशत तक पहुंच गई । वर्ष 1994-95 से वर्ष 1996-97 के बीच तो औसत विकास दर 7.7 प्रतिशत रही थी परंतु वर्ष 1997-98 में यह विकास दर गिरकर 4.8 प्रतिशत हो गई । हां, पुनः 1998-99 में बढ़कर 6.6 प्रतिशत तक पहुंची और वर्ष 1999-2000 एवं वर्ष 2000-2001 में यह पुनःगिरकर क्रमशः 6.4 प्रतिशत तथा 5.2 प्रतिशत रही । 90 के दशक के दौरान तो एक बार यह प्रतीत होने लगा था कि भारतवर्ष की औसत आर्थिक विकास दर काफ़ी अच्छी होगी । इसी के चलते, दसवें योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये दसवें योजना मसौदे में पांच वर्षों (2002-2007) के दौरान 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है ।

क्या तेज़ आर्थिक विकास से सामाजिक चुनौतियों का सामना संभव है ?

विश्व के कई देशों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि आर्थिक विकास की वृद्धि दर को बढ़ाकर सामाजिक चुनौतियों का सामना बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है । इसके समर्थन में सबसे बड़ा कारण यह दिया जाता है कि आर्थिक विकास में गति आने से रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं जिससे लोगों की आय में वृद्धि होकर उनके जीवन-स्तर में सुधार होता है और इससे अंततः राष्ट्र, सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में सफल होते हैं । आय में वृद्धि के कारण देश के **संसाधनों** में वृद्धि होती है तथा राष्ट्र स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, साक्षरता कार्यक्रम, स्वच्छ पेय जल, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों पर अधिक राशि खर्च कर सकता है जिससे सामाजिक चुनौतियों को ही समाप्त किया जा सकता है । विश्व के कुछ विकसित एवं विकसनशील देशों का उदाहरण यहां दिया जा सकता है । इन देशों ने आर्थिक विकास की गति को बल देकर रोज़गार के अधिक नये अवसर उपलब्ध कराये हैं । सिंगापुर में वर्ष 2000 में आर्थिक विकास की दर 9.9 प्रतिशत रही जो 1999 में 5.9 प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक थी । इसके परिणाम स्वरूप बेरोज़गारी की दर वर्ष 1999 की 4.3 प्रतिशत की तुलना में गिरकर वर्ष 2000 में 2.8 प्रतिशत हो गई । इसी प्रकार चीन में आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशत होने के साथ ही बेरोज़गारी की दर गिरकर मात्र 3.1 प्रतिशत तक आ गई । साथ ही, दक्षिण कोरिया, मलेशिया एवं हांगकांग में भी आर्थिक विकास दर में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप बेरोज़गारी की दर में काफ़ी कमी आई है जिससे इन देशों को सामाजिक चुनौतियों से निपटने में सहायता मिली है ।

भारत वर्ष में भी अब लगातार यह तर्क दिया जा रहा है कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाये बिना सामाजिक चुनौतियों से जूझना असंभव होगा । इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी तो आर्थिक विकास दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं । हाल ही में रोजगार अवसरों पर गठित कार्यदल के अध्यक्ष डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने तो रोजगार के नये अवसरों को सीधे-सीधे ही आर्थिक विकास की दर से जोड़ दिया है । उक्त कार्यदल के अनुसार यदि देश की आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही तो बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या वर्तमान 90 लाख से बढ़कर वर्ष 2007 में 2 करोड़ 60लाख एवं वर्ष 2012 तक 3 करोड़ 75 लाख हो जाएगी । यदि आर्थिक विकास की दर को योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मानदंड तक प्राप्त किया जा सका तो बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2007 तक एक करोड़ 97 लाख से घटकर 2012 तक एक करोड़ 80 लाख तक हो जाएगी ।हां, यदि आर्थिक विकास की दर को 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर तक लाया जा सका तो बेरोज़गारों की संख्या 2007 तक एक करोड़ 40 लाख तथा 2012 तक लगभग एक करोड़ रह जाएगी । 6.5 प्रतिशत की विकास दर 60 लाख रोजगार के नये अवसर उपलब्ध करायेगी। जबकि 8 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत की विकास दर से यह संख्या बढ़कर 71 लाख एवं 82 लाख क्रमशः हो जाएगी ।

भारत जैसे विशाल देश में, जहां 100 करोड़ लोग निवास करते हैं, आर्थिक विकास को गति देने में बैंकिंग उद्योग की भूमिका का वर्णन करना अति आवश्यक होगा ।

अतः अब यह तय है कि रोजगार के नये अवसर बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास की दर को तेज़ करना अति आवश्यक होगा । इससे सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में भी आसानी होगी ।

आर्थिक विकास को गति देने एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में भारतीय बैंकों का योगदान

भारत जैसे विशाल देश में, जहां 100 करोड़ लोग निवास करते हैं, आर्थिक विकास को गति देने में बैंकिंग उद्योग की भूमिका का वर्णन करना अति आवश्यक होगा क्योंकि, बैंकिंग उद्योग ने न केवल आर्थिक विकास को गति देने में, बल्कि सामाजिक चुनौतियों से निपटने में भी अपनी महती भूमिका का योगदान दिया है ।

वर्ष 1969 में निजी क्षेत्र के 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् तो बैंकिंग क्षेत्र में जैसे क्रांति ही आ गई । देश के दूर-दराज क्षेत्रों में एवं ग्रामीण इलाकों में सरकारी क्षेत्र की बैंकों ने अपनी शाखाएं खोलीं । कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी बैंक शाखाएं खुलीं जहां पुलिस स्टेशन तथा डाक खाना की सेवायें उपलब्ध नहीं थीं। इसी का परिणाम है कि आज देश, अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। अन्न के भंडार तो आवश्यकता से अधिक हो गए हैं। साथ ही, भारत अनाज का निर्यात भी करने लगा है। यह बैंकों के योगदान का ही परिणाम है कि दुग्ध उत्पादन में भारतवर्ष की गिनती विश्व में, अग्रणी देशों में होने लगी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न **रोज़गारोन्मुखी योजनाओं** यथा- ग्राविका, अंत्योदय, ट्रायसेम, जीवनधारा, सेपअप, स्टेपअप, सीयू, प्रधानमंत्री स्वरोज़गार योजना आदि, में उत्साह से भाग लेकर रोज़गार के करोड़ों नये अवसर उपलब्ध कराये हैं। देश में आज 65000 से अधिक बैंक शाखाएं हैं। इनमें से दो तिहाई शाखाएं तो ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी इलाकों में स्थित हैं। गांवों के सर्वांगीण विकास हेतु एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय आय के समान वितरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। कृषि एवं सहायक कृषि गतिविधियों के बहु आयामी विकास एवं अधिकाधिक संख्या में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, ग्रामीण जन के जीवन-स्तर में अपेक्षित वृद्धि करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण औद्योगीकरण तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए ग्रामीण ऋण प्रणाली को और अधिक व्यापक, सरल, उदार, लचीला, मजबूत और लोकप्रिय भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ही बनाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशि रु. 1100454 करोड़ (22 मार्च 2002 को) तथा ऋणराशि रु. 585832 करोड़ (22 मार्च 2002 को) थी। इतनी

बड़ी जमाराशि का उपयोग देश में स्थापित हो रहे बड़े-बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के रूप में हो रहा है। देश में बचत दर बढ़ाने में भी बैंकों ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। भारतवर्ष में यदि आर्थिक विकास की दर को 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है तो देश में बचत दर 32 प्रतिशत तक होनी चाहिए। भारतवर्ष में वर्तमान में, बचत दर 22 प्रतिशत है। अतः बचत दर बढ़ाने में भी बैंक अपना योगदान देने में लगे हुए हैं। आज बैंकों के कुल ऋणों का लगभग 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान किया गया है। इस क्षेत्र में अधिक ऋणराशि उपलब्ध कराने का तात्पर्य है रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना तथा सामाजिक चुनौतियों से निपटने में देश का सहयोग करना।

भारतीय बैंकों को अपने योगदान में गति देनी होगी

कुछ आर्थिक विश्लेषकों का मत है कि भारतीय बैंकों के अनर्जक आस्तियों में वृद्धि, इनके द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में प्रदान किये गए ऋणों के कारण हुई है। यह सही है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में प्रदत्त ऋणों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक है परन्तु देश में रोज़गार के नये अवसर उपलब्ध कराने में इस क्षेत्र के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी इलाकों में नये बाज़ार विकसित करने में भारतीय बैंकों का योगदान सराहनीय है।

देश में वर्ष 1990-91 से लागू किए गए आर्थिक सुधारों के बाद से तो भारतीय बैंकिंग उद्योग में भी विशेष बदलाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सरकारी नीतियों के अनुसार, देश के ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी इलाकों में बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र को आधुनिक किया जा रहा है जिससे इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके। सार्वभौमिकरण के इस युग में उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों को भी प्रतिस्पर्धी बनाये जाने हेतु गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। आज उच्च संचार प्रौद्योगिकी विकास, कम्प्यूटरीकरण एवं ई-कामर्स के विकास की ओर पूरा विश्व ही अग्रसर है। भारतवर्ष ने तो कम्प्यूटर विकास के क्षेत्र में, पूरे विश्व में ही, अपना सिक्का जमा लिया है। भारतीय बैंकों को भी इन बदलावों को सफल बनाने में अपना योगदान देना होगा तथा भारतीय बैंकों को अपने व्यवसाय में वृद्धि हेतु नये-नये क्षेत्रों को तलाशना होगा ताकि देश के आर्थिक विकास को गति दी जा सके जिससे अंततः देश में सामाजिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके ।

आनेवाले समय में भारतीय बैंकों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सकता है -

i) कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु अपना पूरा योगदान, ग्रामीण इलाकों में कृषकों को नये-नये बैंकिंग उत्पाद प्रदान कर, किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड, बैंकों के माध्यम से ही, किसानों को पहुंचाए जा रहे हैं। इसी प्रकार बीमा पालिसियों का वितरण भी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से संभव है। अन्य नये उत्पाद हो सकते हैं - मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, आवास वित्त पोषण, स्वर्ण बैंकिंग, **आधारिक संरचना** का वित्तपोषण आदि।

ii) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति को ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी इलाकों में पहुंचाना होगा जिससे ग्राहक सेवा में सुधार हो सके। यह हालांकि धीमे -धीमे ही होगा परंतु अंतिम लक्ष्य तो नेट-बैंकिंग, पी.सी.बैंकिंग, टेली बैंकिंग एवं एटीएम. बैंकिंग का ही होना चाहिए।

iii) ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी इलाकों में भी एक ही स्थान पर विभिन्न वित्तीय सेवायें यथा-बैंकिंग, प्रतिभूति व्यापार, बीमा एवं निवेश बैंकिंग उपलब्ध करानी होंगी ताकि इन क्षेत्रों का विकास भी तेज़ी से हो सके।

iv) वित्तीय बाज़ार के बढ़ते विश्वव्यापीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में वाणिज्यिक, उपभोक्ता एवं आधारिक संरचना वाले ऋणों का प्रतिभूतिकरण तथा कारोबार प्रारंभ हो गया है। भारतवर्ष में भी इस कारोबार को प्रारंभ करना होगा।

v) विशेषीकृत शाखाओं यथा-हायटेक कृषि विकास शाखाएं, लघु उद्योग वित्त शाखाएं, वैयक्तिक शाखाएं आदि की संख्या में तेज़ी से विस्तार करना होगा ताकि, कृषि लघु उद्योग एवं सेवा के क्षेत्रों में वित्त प्रदान किया जा सके एवं इन क्षेत्रों में नये-नये उद्यमियों को लाया जा सके।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश के लिए, सामाजिक चुनौतियों से निपटने हेतु आर्थिक विकास को गति देना अनिवार्य हो गया है। कई विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों ने इस बात को सिद्ध भी कर दिखाया है। वही आर्थिक विकास सफल कहा जायेगा जिससे गरीब वर्ग को सीधे-सीधे लाभ हो तथा जिसमें रोजगार के नवीन एवं पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। आर्थिक विकास को गति देने एवं सामाजिक समस्याओं से निपटने में बैंकों द्वारा महती भूमिका अदा की जा सकती है। जिसका उदाहरण भारतवर्ष में ही देखने को मिलता है।भारतवर्ष में सामाजिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने हेतु आर्थिक विकास की दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना आवश्यक होगा।

साथ ही, देश में तेज़ी से हो रहे प्रौद्योगिकी विकास एवं **विश्वव्यापीकरण** की स्थिति प्राप्त करने के कारण भारतीय बैंकिंग उद्योग को भी विभिन्न बदलावों को तेज़ी से आत्मसात करना होगा। ताकि बैंक देश के आर्थिक विकास में अपने योगदान को बढ़ा सकें तथा सामाजिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।

प्रयुक्त शब्दावली

विकासशील देश	Developing countries	रोज़गारोन्मुखी योजनाएं	Employment Oriented Programmes
गरीबी रेखा	Poverty line	आधारिक संरचना	Infrastructure
संसाधन	Resources	विश्वव्यापीकरण	Globalisation

स्रोत :-

i) एशियन डेवलेपमेंट बैंक की वर्ष 2000 की वार्षिक रिपोर्ट

ii) राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे (एन.एस.एस.) द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय अखबारों में प्रकाशित हुई थी।

iii) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वर्ष 2000-2001 का आर्थिक सर्वेक्षण

iv) रोज़गार अवसरों पर डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की रिपोर्ट जो विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय अखबारों में प्रकाशित हुई थी।

अंग्रेजी का वर्चस्व भारतीयता को निगल लेगा।

- नंदकिशोर मित्र

बैंकों में शाखा स्तर पर लाभप्रदता

सी.एस.पसरीचा
मुख्य प्रबंधक
पंजाब नेशनल बैंक
अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग शाखा
जयपुर.

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में ज्यादा शाखाएं खोलीं । जो क्षेत्र पहले उपेक्षित समझे जाते थे, उनको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के दायरे में लाकर बैंकों ने अपने ऋण व सेवा क्षेत्र का विस्तार किया । इससे इन क्षेत्रों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व योगदान दिया । नरसिंहम् समिति ने पाया है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की लाभप्रदता पर काफी दबाव पड़ा है, जिसका मुख्य कारण **सांविधिक चलनिधि अनुपात** तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में निर्देशित निवेश है । बड़े पैमाने पर हुए शाखा विस्तार के कारण बढ़े हुए व्यय एवं अधिकांश शाखाओं के ग्रामीण क्षत्रों में खोले जाने के कारण भी बैंकों की लाभप्रदता कम हुई है । आज बैंकों के सामने दोहरी चुनौती है । बैंक प्रबधंन को वर्तमान में जहां एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा बेहतर कुशलता से करनी है, वहीं दूसरी ओर लाभप्रदता में सुधार करना है ।

> बैंकिंग प्रणाली की संरचना का आधार लाभप्रदता होना चाहिए व बैंकिंग क्षेत्र को बाज़ार के चालक के रूप में कार्य करना चाहिए ।

बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए नरसिंहम् समिति ने इस बात पर बल दिया है कि बैंकिंग प्रणाली की संरचना का आधार लाभप्रदता होना चाहिए व बैंकिंग क्षेत्र को बाज़ार के चालक के रूप में कार्य करना चाहिए । उनके अनुसार बैंकों के लक्ष्य अधूरे एवं अनमने भाव से प्राप्त नहीं किये जा सकते । यह अर्थव्यवस्था प्रचालनों के लचीलेपन, शाखाओं की कार्यकुशलता और सबसे अधिक लाभ आयोजना पर आधारित रहते हैं । इस वर्ष का बज़ट प्रस्तुत करते समय बी. एस. आर. बी. भर्ती बोर्ड की समाप्ति की घोषणा एवं वर्ष 2001 तक 22 **ऋण वसूली न्यायाधिकरणों** की स्थापना से जहां एक तरफ बैंकों को दी जा रही स्वायत्तता से भर्ती करने में परिचालनगत कुशलता बढ़ेगी, वहीं ऋण वसूली न्यायाधिकरणों से वसूली में मदद मिलेगी, जिसके फलस्वरूप लाभप्रदता बढ़ेगी ।

बैंकों की लाभप्रदता से बैंक विशेष में ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है, विस्तार के लिए अधिकाधिक धनराशियां प्राप्त होती हैं, कारोबार बढ़ाने, उसे समृद्ध बनाने के लिए आधारभूत सुविधाएं व उत्कृष्ट ग्राहक-सेवा के अवसर उपलब्ध होते हैं । यही नहीं भविष्य में आकस्मिक दायित्वों, कठिनाइयों आदि की पूर्ति के लिए आरक्षित निधियां भी उपलब्ध होती हैं। लाभप्रदता प्रबंधन को उपलब्ध निधियों अथवा स्रोतों के सर्वाधिक सार्थक उपयोग करने के तौर पर भी लिया जाता है, ताकि बैंक अपने यहाँ उपलब्ध स्रोतों का उपयोग लाभप्रद ढंग से करते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सकें । लाभप्रदता प्रबंधन में विशिष्ट प्रकार की निगरानी व्यवस्थाएं शामिल रहती हैं, जैसे कि -

क) शाखा की लाभप्रदता

ख) किसी योजना विशेष की लाभप्रदता

ग) किसी खाते/ ग्राहक की लाभप्रदता

लाभप्रदता प्रबंधन में निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए :-

1. लाभप्रदता आयोजना - दीर्घावधि आयोजना बनाना एवं उत्तरदायित्वों का आबंटन
2. अंकन एवं नियंत्रण
3. अधिशेष राशियों पर देय/ **प्रभारित दर**
4. प्रत्येक योजना से होने वाली आय
5. प्रत्येक योजना एवं खाते की लागत / सेवाओं की लागत
6. अनर्जक आस्तियों की मॉनिटरिंग एवं उनके लिए किये जाने वाले प्रावधान
7. कार्मिकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन, शाखा की लाभप्रदता की मॉनिटरिंग मासिक राजस्व एवं अर्द्धवार्षिक लाभ-हानि खाते द्वारा क्षेत्रीय / अंचल कार्यालय द्वारा की जाती है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन विवरणियों की समीक्षा प्रभावी ढंग से की जाये और यह देखा जाये कि शाखा का

लाभ उसके द्वारा किये जा रहे कारोबार के अनुकूल है या नहीं एवं राजस्व में किसी प्रकार का क्षरण तो नहीं हो रहा । शाखा की राजस्व विवरणी की समीक्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि शाखा की निधियों की लागत एवं ऋणों से ब्याज की प्राप्ति निर्धारित सीमा में रहे । यह भी देखा जाना चाहिए कि शाखा की आय विभिन्न मदों में पहले से कितनी अधिक है एवं वह लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं ।

बैंक / शाखा की आय में मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष होते हैं :-

प्रभारित ब्याज एवं बट्टा राशियां - बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किये गये ऋणों पर लगाये गये ब्याज व विनिमय पर प्रभारित राशियां आय का प्रधान स्रोत होती हैं, क्योंकि ऋण व अग्रिम उसी संपूर्ण आस्तियों तथा कार्यशील निधियों का एक महत्वपूर्ण भाग रहते हैं ।

ब्याज की आय का स्तर निम्नलिखित पर आधारित रहता है -

क) अग्रिमों की मात्रा एवं वर्गीकरण

ख) मूल ब्याज दर

ग) अग्रिमों की **अवधिपूर्णता** और उनकी क्षेत्रवार प्रकृति आदि

कमीशन, विनिमय एवं दलाली

बैंकों की आय का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है, कमीशन, फीस, विनिमय प्रभार व दलाली की आय, जो कि बैंक अपने द्वारा ग्राहकों को प्रदत्त सेवाओं के फलस्वरूप ग्राहकों से वसूल करते हैं ।

राजस्व प्राप्ति के अन्य स्रोत

इन स्रोतों में प्रतिभूतियों में किये गये निवेश के विक्रय से प्राप्त लाभ, किराया, इमारतों/ भवनों / भूमि के विक्रय से लाभ, गैर बैंकिंग आस्तियों तथा अन्य विविध स्रोतों से आय /लाभ शामिल है ।

शाखा स्तर पर ब्याज और प्रधान कार्यालय के पास जमा राशियों पर अर्जित ब्याज, दलाली से अर्जित आय, लॉकरों का किराया व अन्य प्राप्तियां विविध आय के प्रमुख भाग हैं ।

विभिन्न बैंकों - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों की राजस्व विवरणी के अध्ययन से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं -

1) ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज बैंकों की आय का प्रमुख हिस्सा है ।

2) अंतरराष्ट्रीय बैंक चूंकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कम ऋण देते हैं, इसलिए उनकी गैर-ब्याज आय दूसरे बैंकों की तुलना में अधिक है । इसका कारण यह है कि वे ब्याज रहित प्रतिभूतियों में अधिक निवेश करते हैं, जिस पर **पूंजीगत लाभ** उनकी अन्य आय का हिस्सा बन जाता है ।

3) सभी बैंकों एवं बैंक समूहों में निवेश से आय प्रतिशत की दृष्टि से लगभग बराबर है, जिसका कारण सी आर आर / एस एल आर का सभी बैंकों के लिए एकसमान होना है ।

4) सभी बैंक एवं बैंक समूहों के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज द्वितीय महत्वपूर्ण एवं आय का स्थिर स्रोत है ।

बैंक शाखा के खर्चों में मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष हैं :

प्रचालनगत व्यय - यह प्रायः अपरिवर्तनीय होता है और इसे बैंक के कारोबार के अनुपात के रूप में घटाया नहीं जा सकता । राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपेक्षाकृत स्थापना खर्च अधिक होने की वजह से स्टाफ कम करने हेतु श्री कोहली समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वीआरएस)योजना लागू की गयी । आशा है, आनेवाले वर्षों में इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे । बैंकों के प्रचालनगत व्यय में मुख्य रूप से निम्नलिखित घटक होते हैं :

1. वेतन
2. शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों का किराया
3. अनर्जक आस्तियों से होनेवाली हानियों के लिए प्रावधान
4. अन्य विविध व्यय तथा मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विज्ञापनों पर व्यय, लेखा-परीक्षकों को भुगतान आदि

बैंकों के व्यय का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बातें पता चलती हैं -

- अपेक्षानुसार खर्चे का मुख्य घटक ब्याज पर खर्च है । इसके बाद प्रचालनगत व्यय एवं प्रावधान के खर्चे आते हैं ।
- निजी क्षेत्र के बैंकों के ब्याज पर खर्च अपेक्षाकृत अधिक हैं । यह भी देखा गया है कि छोटे बैंकों के ब्याज पर खर्च भी

अधिक होते हैं । इससे छोटे बैंकों के एकीकरण की आवश्यकता और बड़े बैंकों में उनके विलय की आवश्यकता बनती है, जिसका प्रस्ताव नरसिंहम् समिति द्वारा भी किया गया है ।

- कुछ अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा किये जा रहे ज्यादा प्रावधान उनकी छिपी आरक्षित निधियां दर्शाते है ।

लाभ में सुधार के लिए सुझाव :

1. चूंकि लाभप्रदता औसत जमाराशियों, अग्रिमों, गैर ब्याज आय और जमाराशियों के मिश्रण पर निर्भर करती है, अतः इन प्रमुख मदों की आयोजना वार्षिक आधार पर बनायी जानी चाहिए और इसकी समीक्षा मासिक/ पाक्षिक आधार पर की जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शाखाओं का कार्य-निष्पादन बजट में किये गये प्रावधानों के अनुसार ही है और उसमें यदि कोई कमी हो तो उसे दूर करने के सम्भव उपाय किये जाने चाहिए ।

2. अंतर : आस्तियों पर हुई आय में से निधियों की लागत घटाने पर बचा शेष 'अंतर' कहलाता है । इसका अधिक होना अधिक आय वाली आस्तियों की अधिकता अथवा कम लागत की निधियों की अधिकता अथवा दोनों दर्शाता है ।

शाखाओं का कार्य-निष्पादन बजट में किये गये प्रावधानों के अनुसार ही है और उसमें यदि कोई कमी हो तो उसे दूर करने के सम्भव उपाय किये जाने चाहिए ।

3. प्रभावी प्रेषण : लाभ में सुधार लाने के लिए प्रेषण के उत्कृष्ट साधन आवश्यक हैं । प्रेषण की आधुनिकतम तकनीकों को अपनाकर चेकों और प्रेषणों की वसूली में लगने वाले समय और प्रेषण की लागत को कम किया जा सकता है । इसी क्रम में वीसेट की सुविधा का उल्लेख महत्वपूर्ण है । इससे चेकों व ड्राफ्टों की वसूली शीघ्र की जा सकती है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने वीसेट से जुड़े बैंकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सुविधा शुरू की है । प्रथम चरण में महानगरों को इससे जोड़ा गया है ।

4. नये ऋण देना : नये ऋण देते समय बैंकों को अपना दृष्टिकोण चयनात्मक रखना चाहिए और स्वीकृति पूर्व जांच समीक्षा उचित प्रकार से करनी चाहिए, ताकि कोई भी खाता अनर्जक आस्ति न बने । ऋण देते समय परियोजना की तकनीकी, आर्थिक क्षमता के साथ-साथ ऋणी के चरित्र और बाज़ार में उसकी साख आदि की पूर्ण जांच कर लेनी चाहिए और इसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए । हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी मौद्रिक ऋण नीति की समीक्षा करके प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 8.5 प्रतिशत से घटाकर दो चरणों में 7.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है । इससे बैंकिंग क्षेत्र में 4100 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि उपलब्ध होगी । बैंक इस राशि का उपयोग उच्च ब्याज दरों पर ऋण देकर ज्यादा ब्याज-आय अर्जित कर सकेंगे, जिससे बैंकों की लाभप्रदता बढ़ेगी ।

5. अनर्जक आस्तियों का प्रबन्ध : कोई भी वर्तमान खाता अनर्जक आस्ति न बने, इसके लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए । नये ऋण उन खातों / परियोजनाओं में ही दिये जाने चाहिए जिनके अनर्जक आस्ति बनने की सम्भावना न हो और अनर्जक आस्ति खातों में प्रेरणा समझौते अथवा कानूनी कार्यवाही, इनमें से जो उचित और ऋणियों की परिस्थितियों के अनुसार ठीक हो, के द्वारा अधिकतम वसूली को महत्व दिया जाना चाहिए । बट्टे खाते डालने की नौबत अपवाद स्वरूप ही आनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त शाखा स्तर पर निम्नलिखित कदम उठाये जाने चाहिए :

1. शाखा में उपलब्ध खातों का वर्गीकरण प्रत्येक खाते की लाभप्रदता के आधार पर किया जाना चाहिए । जिन खातों/ ग्राहकों से बैंक को अधिकाधिक लाभ हो रहा है या होने की सम्भावना है उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें महसूस हो कि शाखा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है ।

2. सभी कर्मचारियों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति तथा अति उत्तम ग्राहक-सेवा प्रदान कर न केवल वर्तमान ग्राहकों को बनाये रखा जा सकता है, अपितु नये ग्राहकों को भी आकर्षित किया जा सकता है ।

3. प्रत्येक स्टाफ-सदस्य की उत्पादकता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए । यदि कंप्यूटरीकरण से स्टाफ अतिरिक्त हो गया हो तो उसे विपणन तथा ऋणों की वसूली के काम में लगाया जाना चाहिए ।

4. अनावश्यक खर्चों से बचा जाना चाहिए । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शाखा को अच्छी तरह रखने में कोई कमी लायी जाये । शाखा का रखरखाव तो उत्तम दर्जे का होना चाहिए और ग्राहक की मूल सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए ।

5. शाखा प्रबंधक द्वारा नकदी एवं खाते का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए । इसमें न्यूनतम अधिशेष रखा जाये और यह किसी भी हालत में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए ।

6. लॉकर का किराया /प्रासंगिक प्रभार/दंडात्मक ब्याज / **संसाधन प्रभार** समय पर वसूल किये जाने चाहिए ।

7. बैंक नीति के अनुसार नये ऋण, यथा गृह निर्माण/वाहन/ उपभोक्ता तथा वाणिज्य के क्षेत्र में दिये जायें और यह सुनिश्चित किया जाये कि ऋण स्वीकृत करने में ज्यादा समय न लगे और ग्राहक को ऋण लेने में कठिनाई न हो ।

8. यह देखा गया है कि शाखा में कई अप्रचलित खाते होते हैं, जिनमें शेष राशि बहुत कम होती है । ऐसे खाते छोटे ऋण देते समय खोले गये होते हैं । जिन मामलों में ये ऋण बट्टे खाते डाले गये हैं, उन मामलों में यदि कोई अप्रचलित खाता हो तो उसे बंद कर देना चाहिए और उनकी शेष राशि को आय में डाल देना चाहिए ।

9. शाखा प्रबंधक को शुक्रवार की स्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार की साप्ताहिक विवरणी के आधार पर ही प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओं को ब्याज दिया जाता है । साप्ताहिक विवरणी के दिन प्रयास होना चाहिए कि जमाराशियां तथा अग्रिम अधिक हों एवं अग्रदाय देय ड्राफ्ट /उचंत कम से कम हो।

बैंकों तथा बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य आनेवाले वर्षों में उनके द्वारा अर्जित लाभ पर निर्भर करेगा ।

प्रयुक्त शब्दावली

सांविधिक चलनिधि अनुपात	Statutory Liquidity Ratio	अवधिपूर्णता	Maturity
ऋण वसूली न्यायाधिकरण	Debt Recovery Tribunals	पूंजीगत लाभ	Capital Gain
प्रभारित दर	Transfer Pricing	संसाधन प्रभार	Resources Charges

बैंकों में कारपोरेट स्तर पर लाभप्रदता

लाभप्रदता बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं ।इनमें कार्मिकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण पहलू है । मानव संसाधन प्रबंधन को बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहना अतिशयोक्ति न होगा । सभी इससे सहमत हैं कि बैंकिंग उद्योग में हमारा उत्पाद हमारी सेवाएं हैं और उस उत्पाद को बढ़ाने - घटाने का मूल स्रोत बैंक कार्मिकों पर निर्भर करता है । इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंधन ही उत्पादकता और लाभप्रदता को प्रभावी ढंग से संचालित करता है । इस परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग संदर्भ में मानव संसाधन से जुड़ी समस्याओं पर विचार करना उपयुक्त होगा। कार्मिक समस्याओं से जुड़े कतिपय कारणों के चलते बैंकों की ग्राहक-सेवा भी प्रभावित हुई है । वर्तमान स्थिति में उपलब्ध मानव संसाधन का कुशल प्रबंधन एवं युवा प्रतिभाओं का बैंकिंग धारा में समावेश लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाल सकता है । आज के युग में निजी क्षेत्र के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा में बैंकों को जन-जन और घर-घर तक पहुंचाने का दायित्व उठाना पड़ेगा और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक बैंक की कुशल विपणन नीति भी लाभप्रदता बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी ।

प्रगतिशील बैंकिंग के अनिवार्य घटक

रविनाथ टंडन
वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशिक्षण)
बैंक ऑफ बड़ौदा
प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल (म.प्र.)

प्रबंधन, कर्मचारी वर्ग एवं तकनीक ऐसे कारक हैं, जो किसी बैंक की छवि एक प्रगतिशील अथवा प्रतिगामी बैंक के रूप में निरूपित करते हैं । एक प्रगतिशील बैंक के लिये सदैव जागृत रहना, अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहना, संबंधित क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों पर दृष्टि रखना, नई तकनीक को अपनाने के लिये तैयार रहना एवं इस दिशा में अग्रणी रहने का प्रयास करना आवश्यक गुण हैं ।

परिवर्तन क्यों?

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। धीमी गति से हो रहे परिवर्तन महसूस नहीं होते हैं, परन्तु जब परिवर्तनों की गति तीव्र होती है, तब उनका प्रभाव प्रत्यक्ष महसूस होता है । जो संस्थान अपने आप को परिवर्तनों के अनुरूप ढाल लेते हैं, वे लम्बे समय तक सफल रहते हैं । परन्तु जो संस्थान ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं वे समय के साथ -साथ समाप्त हो जाते हैं। विगत समय की बहुत सी बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ इसी कारण अब अस्तित्व में नहीं हैं । अतः यदि कोई भी बैंक अपने अस्तित्व को बचाये रखना चाहता है तो उसके अन्दर स्वयं को परिवर्तनों के अनुरूप ढालने की क्षमता होना आवश्यक है ।

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है । धीमी गति से हो रहे परिवर्तन महसूस नहीं होते हैं, परन्तु जब परिवर्तनों की गति तीव्र होती है, तब उनका प्रभाव प्रत्यक्ष महसूस होता है ।

वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य

यूँ तो बैंकिंग का क्षेत्र कभी भी परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा है । परन्तु **आर्थिक उदारीकरण** एवं बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लागू होने के पश्चात परिवर्तनों की गति तेज हो गयी है । आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान नियमों के लागू होने के पश्चात से परिवर्तनों की एक तेज लहर बैंकिंग क्षेत्र में आयी है एवं निजी क्षेत्र / विदेशी बैंकों को शाखा खोलने की अनुमति देकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के समक्ष नये प्रतिस्पर्धी प्रस्तुत कर दिये हैं । इस नयी पीढ़ी के बैंकों ने **नवीनतम तकनीक** के साथ शाखाएं खोलकर ग्राहकों के समक्ष एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया है, जिसके कारण सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के समक्ष न केवल अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है बल्कि प्रतियोगिता में बने रहने के लिये स्वयं को पूर्णतः परिवर्तित करने के अलावा इनके सामने अन्य कोई भी विकल्प नहीं बचा है ।

परिवर्तन के लिये अनिवार्य आवश्यकताएं

इस स्थल पर प्रबंधन, कर्मचारी वर्ग एवं प्रयुक्त तकनीक की विशिष्टताओं पर निम्नानुसार विचार किया गया है :-

प्रबंधन

किसी भी बैंक के उच्च प्रबंधन तंत्र को ही बैंक - प्रबंधन की संज्ञा दी जा सकती है । इनका मुख्य कार्य नीति निर्धारण है । किसी भी सफल एवं जागरूक बैंक के उच्च प्रबन्ध तंत्र में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है :

1. दूरदृष्टि : अपने बैंक के अन्दर, अन्य प्रतियोगियों में, समाज में, अर्थव्यवस्था में एवं विश्व में हो रहे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता, सजगता एवं उनमें संभावित परिवर्तनों के अनुरूप अपने को तैयार रखना उच्च प्रबंध तंत्र के लिये अत्यावश्यक है । जिस बैंक का उच्च प्रबंध तंत्र भविष्य में झांकने में समर्थ नहीं है, वह बैंक शीघ्र ही दौड़ में पिछड़ जाएगा ।
2. **स्थिति विश्लेषण** : परिस्थितियाँ सदैव बदलती रहती हैं ।

आज जो आपकी विशेषता है, वह कल आपकी कमजोरी बन कर सामने आ सकती है । अतः किसी भी जागरूक बैंक के लिये यह आवश्यक है कि वह समय-समय पर अपनी स्थिति का विश्लेषण करता रहे । अपने कमजोर पक्षों को दूर करने का प्रयास एवं अपने मजबूत पक्षों का लाभ लेता रहे । इसके साथ ही अपने सामने आ रही चुनौतियों एवं अवसरों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को परिवर्तित करता रहे । यह भी आवश्यक है कि वह अपने प्रतिद्वंदियों को जाने एवं तदनुरूप अपनी रणनीति तैयार करे । अतः किसी भी बैंक के उच्च प्रबन्ध तंत्र के लिये यह जरुरी है कि वह समय-समय पर अपनी स्थिति का विश्लेषण करता रहे एवं अपने कमजोर एवं मजबूत पक्षों की ओर सजग रहे ।

3. **नीति निर्धारण**: निस्संदेह किसी भी बैंक को दिशा दिखाने का उत्तरदायित्व **उच्च प्रबंध तंत्र** का ही है । अतः परिस्थितियों एवं प्रतिद्वंद्वियों के अनुरूप रणनीति - निर्धारण उच्च प्रबंध तंत्र का एक आवश्यक गुण है । नीति एवं तकनीक का निर्धारण किसी भी बैंक के परिचालन के मुख्य बिन्दु हैं । अतः यदि कोई बैंक स्वयं को परिवर्तित करना चाहता है और एक मजबूत बैंक की श्रेणी में आना चाहता है तो सबसे अधिक आवश्यकता है उसके उच्च प्रबंध तंत्र के दृष्टिकोण में परिवर्तन की । इसके लिये उच्च प्रबंध तंत्र को लचीला, नये विचारों को स्वीकार, ग्रहण एवं प्रोत्साहित करने वाला, त्वरित निर्णय लेने के योग्य, निर्णयों को शीघ्र लागू कर सकने में समर्थ एवं निर्णयों के निष्फल होने पर वैकल्पिक योजना शीघ्र लागू कर सकने में सक्षम होना आवश्यक है । किसी भी बैंक में गुणात्मक परिवर्तन के लिये सर्वप्रथम उसके उच्च प्रबन्धन की मानसिकता/मनोवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है ।

बैंकों में उच्च प्रबन्ध तंत्र के नीचे की कड़ी **वरिष्ठ प्रबन्ध तंत्र** की है, जो कि वास्तव में उच्च प्रबन्धन एवं मध्यम प्रबन्धन/ कनिष्ठ प्रबन्धन के बीच की कड़ी है। मुख्य रूप से इसका कार्य बैंक के उच्च प्रबन्धन द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप बैंक के कार्य को करना होता है। अतः किसी भी बैंक के सफल एवं जागरूक वरिष्ठ प्रबन्ध तंत्र में नीचे दिए गए गुणों का होना आवश्यक है :

- **<u>उच्च प्रबन्ध तंत्र की नीतियों को समझना :</u>** सफल परिवर्तन के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वरिष्ठ प्रबन्ध तंत्र सही रूप में उच्च प्रबन्ध तंत्र की नीति को समझे एवं तदनुरूप उनको लागू करे। इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वरिष्ठ प्रबन्ध तंत्र के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव, उसमें परिवर्तन के प्रति पूर्वाग्रह न होने एवं मध्यम/ कनिष्ठ प्रबन्ध तंत्र के माध्यम से बैंक की नीतियों का पालन करवाने की क्षमता। उल्लेखनीय है कि यदि इस स्तर पर बदलाव के प्रति पूर्वाग्रह है तो नीतिगत निर्णयों का कार्यान्वयन वांछित गति के साथ संभव नहीं है।
- **<u>मध्यम / कनिष्ठ तंत्र को दिशानिर्देशन</u>** : चूँकि सभी नीतिगत निर्णयों का कार्यान्वयन मध्यम / कनिष्ठ प्रबन्ध तंत्र द्वारा ही किया जाता है, अतः वरिष्ठ प्रबन्ध तंत्र का यह दायित्व है कि वह मध्यम / कनिष्ठ प्रबन्ध तंत्र को सही दिशा निर्देश दे एवं उनको परिवर्तनों के प्रति जागरूक रखे। परिवर्तनों के मूल कारणों एवं सकारात्मक प्रभाव को सबसे निचले स्तर तक ले जाने की जिम्मेदारी इसी वर्ग पर है। अतः वरिष्ठ प्रबन्ध तंत्र का यह एक अहम उत्तरदायित्व है कि वह मध्यम / कनिष्ठ प्रबन्ध तंत्र को परिवर्तनों के प्रति मानसिक रूप से तैयार रखे।
- **<u>क्रियान्वयन पर दृष्टि</u>** : वरिष्ठ प्रबन्ध तंत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन पर दृष्टि रखे एवं नियमित अन्तराल पर उसमें हो रही प्रगति की समीक्षा करता रहे।

किसी भी निर्णय को लागू करनेवाला प्रबन्ध तंत्र का भाग मध्यम / कनिष्ठ प्रबन्धकों का है। निर्णयों का वास्तविक प्रभाव इसी वर्ग पर पड़ता है एवं प्रबन्ध तंत्र का यही वर्ग ग्राहकों के सीधे सम्पर्क में आता है। अतः किसी भी निर्णय को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये किसी भी परिवर्तनशील एवं जागरूक बैंक के मध्यम एवं कनिष्ठ प्रबन्ध तंत्र में निम्नांकित गुण आवश्यक हैं :

1) **<u>नीतियों को कार्यरूप देने की क्षमता :</u>** प्रबन्ध तंत्र का यह भाग ज्ञान एवं तकनीकी दृष्टि से उच्च प्रबन्ध तंत्र की

नीतियों को कार्यरूप देने में सक्षम होना चाहिये। यदि उसके कौशल में कोई कमी है तो लिये गये उचित निर्णयों के बाद भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः किसी भी परिवर्तन को लागू करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मध्यम एवं कनिष्ठ प्रबन्ध तंत्र में लिये गये निर्णयों को लागू करने के लिये आवश्यक कौशल उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि उनमें वांछित कौशल न हो तो परिवर्तन लागू करने के पूर्व प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आवश्यक कौशल उपलब्ध कराया जाये और तत्पश्चात निर्णयों को लागू किया जाये। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस वर्ग के प्रबन्धकों को किये जा रहे परिवर्तनों के कारण एवं उनके संभावित परिणामों की जानकारी हो तथा परिवर्तनों के प्रति उनका सकारात्मक रूझान हो। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि उनमें परिस्थितियों का तार्किक विश्लेषण करने की क्षमता हो, जिससे वे परिवर्तनों को आत्मसात करके उन्हें कार्यरूप दे सकें।

किसी नई तकनीक को, कर्मचारियों को उसका प्रशिक्षण प्रदान किए बिना, प्रयोग में लाने से अपेक्षित परिवर्तन - परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई आती है।

2) **आत्म-स्फूर्ति :** इस स्तर पर प्रबन्ध तंत्र का स्वतः स्फूर्त होना आवश्यक है। संख्या की दृष्टि से प्रबन्ध तंत्र का यह भाग सबसे बड़ा होता है एवं इसकी कार्यपद्धति एवं कार्यक्षमता ही बैंक छवि का निर्माण करती है। जिस बैंक में इस स्तर पर जितने अधिक ऊर्जावान प्रबन्धक उपलब्ध होते हैं, वह बैंक उतनी तीव्र गति से प्रगति करता है। प्रबन्ध तंत्र का यह वर्ग जितना कम आयु का होता है, परिवर्तनों के प्रति उतना ही जागरूक एवं स्फूर्तिमान होता है। अतः जहाँ तक हो सके बैंक के मध्यम / कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी के महत्वपूर्ण पदों पर निर्णय लेने के दायित्व की दृष्टि से कम आयु वर्ग के स्फूर्तिमान प्रबन्धकों को पदस्थापित करना चाहिये।

3) **आदर्श प्रस्तुतीकरण :** सामान्यतः प्रबन्ध तंत्र का यह वर्ग लिपिकों / कर्मचारियों के सीधे सम्पर्क में रहता है। अतः आवश्यक है कि प्रबन्ध तंत्र का यह भाग कर्मचारी वर्ग के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करे, जिससे वे भलीभांति कार्य करने के लिये प्रोत्साहित हो सकें।

कर्मचारी वर्ग

बैंक के कर्मचारियों का यह वर्ग ग्राहकों के सीधे सम्पर्क में आता है। अतः इस वर्ग की मनोवृत्ति एवं कार्यक्षमता का सीधा प्रभाव बैंक की ग्राहक सेवा पर देखने को मिलता है। किसी भी बैंक का यह वर्ग ग्राहक सेवा के प्रति जितना अधिक जागरूक एवं समर्पित होता है, बैंक की ग्राहक सेवा उतनी ही बेहतर होती है। अतः किन्हीं भी निर्णयों / परिवर्तनों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये किसी भी परिवर्तनशील एवं जागरूक बैंक के कामगार कर्मचारियों में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक हैं :

- **कार्य ज्ञान :** सबसे पहली आवश्यकता है कि इस वर्ग के कर्मचारियों को बैंक की विभिन्न जमा / ऋण / सेवा सम्बन्धी योजनाओं की पूर्ण जानकारी हो एवं बैंक की कार्यविधि का संपूर्ण ज्ञान हो। इस क्षेत्र में कमी होने पर ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं शाखा के अधिकारियों / प्रबन्धक पर अनावश्यक कार्य का बोझ बढ़ता है। अतः समयबद्ध तरीके से योजनाबद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से इस वर्ग के कार्य ज्ञान को स्तरीय बनाना एवं उस ज्ञान को अद्यतन रखना किसी भी बैंक के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

- **तकनीक प्रयोग में सक्षमता :** बेहतर कर्मचारी वर्ग के लिये यह भी आवश्यक है कि वह बैंक में प्रयोग की जा रही तकनीक का प्रयोग करने में सक्षम हो। किसी नई तकनीक को, कर्मचारियों को उसका प्रशिक्षण प्रदान किए बिना, प्रयोग में लाने से अपेक्षित परिवर्तन - परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई आती है। अतः किसी भी तकनीक उन्नयन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि बैंक का कर्मचारी वर्ग उसको आसानी से प्रयोग कर सकेगा।

- **ग्राहक सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण :** चूंकि बैंक का यह वर्ग सबसे बड़ा एवं ग्राहकों के सीधे सम्पर्क में आने वाला होता है, अतः उसमें ग्राहक सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। इसके लिये बैंक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकता है।

- **अनुकूलनः** कर्मचारियों में एक महत्वपूर्ण गुण अनुकूलन का है। जिस बैंक का कर्मचारी वर्ग अपने आप को जितना शीघ्र परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में सक्षम होगा, वह बैंक स्वयं को उतना ही शीघ्र परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित कर सकेगा।

तकनीक

आज के परिवेश में बैंकिंग कार्य में प्रयुक्त तकनीक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी यदि कोई बैंक पुरानी तकनीक पर कार्य कर रहा हो तो उसकी कार्यक्षमता अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम होती है एवं संस्थान की प्रगति नकारात्मक हो जाती है। तकनीक का चयन करते समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखना आवश्यक है :

1) प्रस्तावित तकनीक कहीं पर परीक्षित हो एवं सफलतापूर्वक चल रही हो अन्यथा उसके नियमन में अड़चने आ सकती हैं।

2) पुरानी तकनीक के प्रयोग से अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है।

3) तकनीक में **उन्नयन** की संभावना हो जिससे उसे भविष्य में आवश्यकता के अनुरूप विस्तारित किया जा सके।

4) तकनीक प्रयोग करने में सरल हो और उसे थोड़े से अभ्यास से ही चलाया जा सके।

यदि किसी बैंक में विभिन्न स्तर के प्रबन्ध तंत्र, कर्मचारी वर्ग एवं प्रयुक्त तकनीक में उपर्युक्त गुण हों तो वह स्वयं को परिवर्तनशील जागरूक बैंक के रूप में स्थापित कर सकता है। परन्तु परिवर्तन किसी एक बिन्दु पर नहीं, वरन एक निरंतर प्रक्रिया है। अतः ऊपर बताए गए बिन्दुओं पर सतत ध्यान देते रहने की आवश्यकता है।

प्रयुक्त शब्दावली

प्रगतिशील	Progressive	वरिष्ठ प्रबंध तंत्र	Senior Management
आर्थिक उदारीकरण	Economic Liberalisation	दिशा निर्देशन	Guidelines
नवीनतम तकनीक	State of Art technology	क्रियान्वयन	Implementation
स्थिति विश्लेषण	SWOT Analysis	सकारात्मक	Positive
नीति निर्धारण	Policy Making	उन्नयन	Upgradation
उच्च प्रबंध तंत्र	Top Management		

हिन्दी साम्राज्यवाद नाम की न तो कोई चीज है और न ही उसे किसी ने देखा है। हिन्दी न तो किसी पर थोपी जा रही है और न ही थोपी जा सकती है। हिन्दी एक समृद्ध भाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। हिन्दी एक सरल भाषा है और देवनागरी जैसी सरल लिपि तो शायद ही कोई हो।

- डा. पं. आ. वारान्निकोव, रूस

स्वयं सहायता समूह – ग्रामीण बैंकिंग में एक नयी क्रान्ति

रणवीर सिंह
संकाय सदस्य
सर एस पी बी टी महाविद्यालय
मुंबई - 400 056.

भारत में सामाजिक परिवर्तन की क्रांति में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सन् 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थागत वित्त की मांग की पूर्ति करना था। सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली गयीं 30,000 से अधिक ग्रामीण शाखाओं का नेटवर्क व बैंकिंग का भौगोलिक विस्तार विश्व में एक जीता-जागता उदाहरण है।

> देश की उन्नति समाज की उन्नति में ही निहित है और समाज की उन्नति व्यक्ति विशेष की उन्नति में। अब ग्राम एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए वित्तीय मांगों के लक्षण जानकर उचित समाधान की आवश्यकता है ।

वास्तव में ग्रामीण बैंकिंग का आधार ग्रामीण स्तर पर खुले सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं हैं जो समस्त बैंकिंग उद्योग की 50% शाखाओं से अधिक हैं। ग्रामीण बैंकिंग की रचना के शीर्ष पर नाबार्ड है व ग्रामीण बैंकिंग की नीतियों का निर्धारण, संचालन व पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। गांव-गांव में बैंकों की शाखाएं खोलने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग में बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करना व गांव की सीधी-सादी अशिक्षित जनता, बेरोजगार, गरीब, छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों तथा समाज के कमजोर वर्गों को सूदखोरों के शोषण से बचाव व संस्थागत वित्त प्रदान करना था। अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को विकास प्रणाली की धारा में लाकर उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाना सरकार व बैंकिंग का मुख्य लक्ष्य था।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तीन दशक से अधिक अंतराल में ग्रामीण बैंकिंग में बहुत उपलब्धियां आयी हैं। कुल बैंकिंग जमा राशियों की 14% जमाराशियां ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग की विश्वसनीयता का द्योतक है। उसके अतिरिक्त देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने में बैंकिंग उद्योग की वित्त प्रणाली एक महान अवयव है। आज देश में 60 मिलियन टन अन्न का भंडार ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं व कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण की देन है। लघु सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों व कमजोर वर्गों को बैंकिंग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त सन् 1978 की 48% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता के मुकाबले आज सन् 2000 में यह प्रतिशत घटकर 25% रह गया है। ये उपलब्धियां ग्रामीण बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका की द्योतक हैं।

ग्रामीण विकास के इस उत्थान प्रयास में अब तक 78 से अधिक योजनाओं व कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। सन् 1980 में लागू समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम व बीस सूत्रीय कार्यक्रम भारत की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को निपटाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गयी हैं :-

वर्ष	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या
1993-94	25.38 लाख
1994-95	22.15 लाख
1995-96	20.90 लाख
1996-97	18-89 लाख
1997-98	16.97 लाख
1998-99	12.68 लाख
	116.97 लाख

(स्रोत : वर्ष 1998-99 की भारतीय बैंकिंग की प्रवृत्ति व प्रगति की रिपोर्ट)

लगभग दो दशक तक सक्रिय रहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 116.97 लाख से अधिक परिवारों को बैंकिंग लाभ प्राप्त हुआ। यह एक बहुत बढ़ी उपलब्धि मानी जा सकती

है। इसके साथ-साथ ही इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बहुत सी कमियां देखी गयीं। एक ओर ग्रामीण वित्त की मांग व पूर्ति में बहुत अंतर पाया गया और दूसरी ओर 1990 के दशक में बैंक इस कार्यक्रम में गरीब व असहाय ग्रामीणों को ऋण प्रदान करने में संकोच करने लगे और उनका सामाजिक उत्थान का दृष्टिकोण लाभ वृद्धि की ओर मुड़ गया। परिणामस्वरूप ग्रामीण बैंकिंग की वित्तीय मांग को समझना व बैंकों की नीतियों में परिवर्तन आवश्यक हो गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि ग्रामीण परिवारों व व्यक्तियों की वित्तीय एवं बैंकिंग मांगे क्या हैं ? उनकी पूर्ति हेतु बैंकिंग सेवाओं का विपणन सफलतापूर्वक कैसे करें ?

वित्तीय मांगें एवं पूर्ति

1. ग्रामीण व्यक्तियों खासकर लघु व सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूरों की वित्तीय मांगे आकस्मिक व बार-बार होती हैं। इसके विपरीत बैंक इन व्यक्तियों को एक-दो बार ऋण देकर भूल जाते हैं और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होती।

2. ऋण के अतिरिक्त उन्हें ऋणेतर एवं संपूर्ण बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है जो बैंक कर्मी सामान्यतः उपलब्ध नहीं कर पाते।

3. सन् 1999 में सूक्ष्म वित्त पर हुए विश्व शिखर में यह माना जा चुका है कि कमजोर वर्ग भी बचत कर सकता है और वह बैंकिंग करने में सक्षम है क्योंकि कमजोर, असहाय एवं निर्धन वर्ग बचत करना चाहता है। अतः उनके लिए बचत बैंकिंग सेवाओं की अतिआवश्यक मांग है।

4. कमजोर वर्ग, ग्रामीण गरीब व असहाय द्वारा खपत ही ऋण की प्राथमिक आवश्यकता है जिसे बैंक पूर्ण करने में असमर्थ / असहाय रहता है।

5. ग्रामीणों की आवश्यकताएं कम पूंजी की होती हैं जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली आसानी से पूर्ण नहीं कर पाती।

6. इन व्यक्तियों की उत्पाद तथा उपभोग आवश्यकताओं में अधिक अंतर नहीं होता, जब कि बैंक केवल उत्पाद एवं विकास के उद्देश्य से ही ऋण देते हैं।

7. ग्रामीण कमजोर वर्ग के पास संपार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होती। यह भी एक मुख्य कारण है कि बैंक इन्हें ऋण प्रदान करने में संकोच करते हैं।

8. इन व्यक्तियों को सामाजिक-आर्थिक सशक्तता की आवश्यकता है जिससे उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हो।

9. यह एक तथ्य है कि ग्रामीण अपना आर्थिक निर्णय स्वयं करें जबकि सभी योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन निर्णय किसी और के द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण अधिकतम कार्यक्रमों में लाभार्थियों की सहभागिता नहीं होती और कार्यक्रम असफल होने के आसार रहते हैं।

10. महिलाएं गृह हित का अधिक ध्यान रखती हैं। सामाजिक बंधनों के कारण महिला को ऋण स्वीकृत करने में संस्थाएं बहुधा संकोच करती हैं।

देश की उन्नति समाज की उन्नति में ही निहित है और समाज की उन्नति व्यक्ति विशेष की उन्नति में। अब ग्राम एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए वित्तीय मांगों के लक्षण जानकर उचित समाधान की आवश्यकता है जिसमें विकास प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी हो, सहभागिता हो। एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु भारत ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अपनाया वहीं दूसरी ओर ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद युनुस ने विश्वविद्यालय के आसपास झोपड़पट्टी बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क किया और उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया । उन्होंने पाया कि इन निवासियों की ऋण आवश्यकता मांग प्रतिमाह 800% थी। धीरे-धीरे प्रोफेसर मोहम्मद युनुस ने उनकी ऋण आवश्यकता एवं स्वास्थ्य का अध्ययन किया और पाया कि ये लोग स्वयं को कर्जदार महसूस करते थे। उनके इस प्रयोग से जन्म हुआ बंगला देश ग्रामीण बैंक का, जिसकी सफलता विश्व में एक उदाहरण बन गयी। प्रोफेसर मोहम्मद युनुस के इस प्रयोग ने सिद्ध कर दिया कि अशिक्षित कमजोर वर्ग सफलतापूर्वक बैंकिंग करने में सक्षम है। उनके इस सफल प्रयोग से प्रेरित भारत में सन् 1992 में नाबार्ड ने भी उसी प्रणाली का अनुकरण करके देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के विकास के लिए एवं ग्रामीण बैंकिंग को सफल बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह की शुरूआती योजना

आरंभ की। नाबार्ड की इस स्वयं सहायता समूह योजना को अपार सफलता मिली और इस प्रकार स्वयं सहायता समूह संकल्पना का बड़ी तीव्रता से विस्तार हुआ। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण बैंकिंग में क्रांति ला दी है।

		1997	1999	2001	2002
1.	स्वयं सहायता समूह				
	(क) संख्या	8,598	32,995	2,63,825	4,61,478
	(ख) %, महिला समूह	76	84	90	90
2.	बैंकों की संख्या	120	202	314	444
3.	राज्यों में विस्तार	20	24	27	30
4.	जिलों में विस्तार	-	280	412	488
5.	गैर सरकारी संस्थाएं	220	550	1030	2155
6.	बैंक वित्त (रु. करोड़ में)	11.87	57.07	480.87	1026.30
7.	परिवार संख्या (लाख में)	1.5	5.6	44.85	78.00

(स्रोत : नाबार्ड)

मार्च 1997 में 120 बैंकों ने 8598 स्वयं सहायता समूहों को रु 11.87 करोड़ की वित्त राशि वितरित की। जबकि मार्च 2002 में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्त प्रदान करने वाले बैंकों की संख्या बढ़ कर 444 हो गयी। इन्होंने मार्च 2002 में 4,61,478 स्वयं सहायता समूह को रु. 1026.30 करोड़ का वित्त प्रदान किया। इस प्रकार गत पांच वर्षों में ग्रामीण बैंकिंग में स्वयं सहायता समूह का 60 गुना विकास हुआ और वित्त वितरण में 95 गुना वृद्धि हुई। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो जहां स्वयं सहायता समूह संकल्पना मात्र 20 प्रदेशों में प्रचलित थी, वहां मार्च 2002 में देश के सभी 30 प्रदेशों में इस संकल्पना ने अपने पैर जमा लिए। मार्च 2002 में 78 लाख परिवार स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। उल्लेखनीय है कि इसमें 90% स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं।

चूंकि स्वयं सहायता समूह संकल्पना का विस्तार तीव्रता से हो रहा है, यह चर्चा करना अति आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूह क्या हैं ? बैंक इस संकल्पना से कैसे जुड़े हैं ? इस संकल्पना के और भागीदार कौन-कौन हैं ? इस संकल्पना से प्रत्येक भागीदार को क्या लाभ है? इत्यादि।

स्वयं सहायता समूह क्या है ?

15-20 ग्रामवासियों का समूह जिसमें एक समान कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का स्वेच्छा, आपसी मेल-जोल, आपसी सहायता की भावना व छोटी-छोटी बचत से किसी भी आर्थिक कार्यकलाप, अन्य उपयोग व आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना स्वयं सहायता समूह को जन्म देता है। यह समूह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है।

स्वयं सहायता समूह के कुछ महत्वपूर्ण गुण

(क) आय में से निरंतर बचत चाहे मात्रा कितनी भी कम या अधिक हो।

(ख) समूह के समस्त सदस्य आपस में मिलकर सामूहिक निधि तैयार करते हैं।

(ग) समूह द्वारा सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

(घ) सामूहिक निर्णय लेना, स्वयं सहायता समूह का एक महत्वपूर्ण कदम है।

(च) आपसी सलाह से आपसी मतभेदों को दूर करना।

(छ) सदस्यों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा बाज़ारी ब्याज दर पर ऋण राशि प्राप्त करना।

(ज) बाहरी हस्तक्षेप कम से कम।

(झ) गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका केवल सलाहकार रूप में, न कि नियंत्रक के रूप में।

स्वयं सहायता समूह के सदस्य आपस में अपनी प्राथमिकतानुसार वित्तीय आवश्यकताओं को पहचानते हैं और वित्तीय धन के आर्थिक क्रियाकलापों में प्रयोग द्वारा आय स्रोत बढ़ाते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य स्वेच्छा से समूह की गतिविधियों में भाग लेते हैं। सदस्यों की न केवल आर्थिक क्रियाकलापों में सहभागिता होती है बल्कि शिक्षा प्रसार, शुद्ध पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि व उद्योग, उत्पाद विपणन, कच्चे माल की सामूहिक खरीद व ऋण उपलब्धि आदि सेवाओं का प्रबंधन भी करते हैं।

स्वयं सहायता समूह की भागीदार ईकाइयाँ

यूं तो समूह बनाने में सदस्यों की न्यूनतम या अधिकतम संख्या का कोई मानदण्ड नहीं है परंतु स्वयं सहायता समूह के

निर्माण में मुख्यतः तीन ईकाइयां होती हैं : -

(1) सदस्य

(2) बैंक शाखा

(3) गैर सरकारी संस्था

स्वयं सहायता समूह के निर्माण में बैंकों व गैर सरकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वयं सहायता समूह का निर्माण स्वयं नहीं होता। बैंक व गैर सरकारी संस्था 15-20 अशिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक व युवतियों को एकत्रित कर उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप व आपसी सहायता हेतु प्रोत्साहित करते हैं । उनका कार्य एक प्रकार से उत्प्रेरक की भांति होता है जो भागीदार सदस्यों को अल्प बचत व बैंकिंग आदतों के लिए अभिप्रेरित व प्रोत्साहित करते हैं।

स्वयं सहायता समूह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें समस्या है कि स्वयं सहायता समूह का बैंक में खाता कैसे खोलें। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1998 में बैंकों को आवश्यक निदेश दिये हैं और विशेष दस्तावेज "आपसी सहमति (इंटरसे)" एवं अन्य दस्तावेज बैंकों को भेज दिए हैं जिससे बैंकों को स्वयं सहायता समूह व गैर सरकारी संस्था को बैंक में खाता खोलने में कोई कठिनाई न हो।

स्वयं सहायता समूह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें समस्या है कि स्वयं सहायता समूह का बैंक में खाता कैसे खोलें।

स्वयं सहायता समूह से सदस्यों को लाभ

(क) आवश्यक ऋण की पूर्ति

(ख) सदस्यों को एक दूसरे की संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त होती है।

(ग) जहां बहुधा योजनाओं / कार्यक्रमों में लाभार्थियों की सहभागिता की कमी पायी जाती है वहां स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता उल्लेखनीय है।

(घ) 85% ग्रुप महिलाओं के हैं। अतः परिवार कल्याण व परिवार की आय बढ़ाने में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है।

(च) सदस्यों एवं महिलाओं में बचत व बैंकिंग की आदत पड़ती है।

(छ) सदस्यों को समूह में अपने मानव अधिकारों का ज्ञान होता है जिससे उनके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। फलस्वरूप समाज विकास की ओर अग्रसर होता है।

स्वयं सहायता समूह से बैंकिंग करने में बैंक को लाभ

स्वयं सहायता समूह में बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, अतः बैंक स्वयं सहायता समूह से विशेष रूप से तीन प्रकार से जुड़ सकते हैं :-

(1) सीधे समूह के सदस्यों की वित्तीय मांगों को समझे व उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें।

(2) बैंक मात्र समूह को वित्त स्वीकृत करते हैं। फिर स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में गैर सरकारी संस्था मात्र ग्रुप के निर्माण का कार्य करती है।

(3) बैंक किसी गैर सरकारी संस्था को ऋण स्वीकृत करे जो आगे स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान करें। ऐसे में गैर सरकारी संस्था दोहरी भूमिका निभाती है - समूह के निर्माण में व समूह को ऋण प्रदान करने में। इस स्थिति में बैंक का संबंध केवल गैर सरकारी संस्था से रहता है।

स्थानीय परिस्थिति, गैर सरकारी संस्था की प्रतिष्ठा, सहभागिता व स्वयं सहायता समूह के उद्देश्यों एवं उसकी कार्यप्रणाली को देखते हुए किसी भी प्रकार से बैंक स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकते हैं। स्वयं सहायता समूह बैंक अधिकारियों के स्थानांतरण लगभग तीन वर्ष के अंतराल में हो जाते हैं, स्वयं सहायता समूह की सफलता बैंक अधिकारियों के रूचि एवं रूझान पर बहुत निर्भर करती है। इसलिए बैंक के हित में होगा कि वे ऐसे समूह का चयन करें जिसके साथ कोई प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था जुड़ी हो। इस योजना द्वारा निम्नलिखित लाभ हैं :-

- अनुवर्ती कार्यवाही की लागत कम हो जाती है।
- सदस्यों के आपसी संबंधों एवं दबाव से वसूली दर 98% तक पायी गयी है।
- ज्यों-ज्यों सदस्यों की आय बढ़ती है, त्यों-त्यों ग्रामीण बैंकिंग की सफलता एवं उन्नति के अवसर बढ़ते हैं।
- बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की लाभप्रदता में बढ़ोत्तरियां पायी गयी हैं।

गैर सरकारी संस्था

इस संकल्पना में गैर सरकारी संस्था भी लाभान्वित होती हैं क्योंकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गैर सरकारी संस्था उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिक से अधिक जनसंपर्क कर सकती है।

गैर सरकारी संस्था के कार्य एवं उद्देश्य

- स्वैच्छिक प्रणाली - गैर सरकारी संस्था स्वेच्छा से कार्यक्रमों में भाग लेती हैं।
- सामाजिक कार्यक्षेत्र - इन गैर सरकारी संस्थाओं का उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है।
- संस्था का उद्देश्य असहाय की परेशानियों को दूर करना तथा उचित मार्गदर्शन करना होता है।
- स्वहित का कोई लक्ष्य नहीं अर्थात् गैर सरकारी संस्थाएं बिना लाभ अर्जन के उद्देश्य से कार्य करती हैं, एवं
- तुलनात्मक रूप से ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।

गैर सरकारी संस्था की सेल्फ हेल्प ग्रुप के निर्माण में भूमिका

- सामाजिक परिवर्तनशीलता लाने में उत्प्रेरक एवं सहायक माध्यम
- लक्ष्य समूह की सक्षमता बढ़ाने एवं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक
- सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में बैंक कर्मियों को सहायता एवं प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।
- गैर सरकारी संस्थाएं राज्य व राष्ट्र स्तर पर फोरम बनाती है जो लक्ष्य समूह की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु नीति निर्धारण में सहायता करती है।
- इनके तरीके नवीन, सरल, लचीले और समन्वयकारी होते हैं जो अशिक्षित, उपेक्षित लोग भी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं।

बैंक के लिए अच्छे स्वयं सहायता समूह का चयन

यहां कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वयं सहायता समूह बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और ऋण हेतु बैंकों से घनिष्टता से जुड़े हैं। साथ ही अधिक से अधिक बैंक भी इस संकल्पना को अपनाने में जुटे हैं। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंक भी गांवों तक पहुंच बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह पर ही निशाना साध रहे हैं।

जोखिम एवं धोखाधड़ी से बचने के लिए आवश्यक है कि बैंक स्वयं सहायता समूह व गैर सरकारी संस्था से संबंध स्थापित करें तथा ऋण स्वीकृत करने से पूर्व उनका चयन सावधानी से करें।

स्वयं सहायता समूह का चयन करने हेतु कुछ आवश्यक बातें

- स्वयं सहायता समूह को बनाने व बढ़ाने में कौन सी गैर सरकारी संस्था कार्यरत है ?
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का शिक्षा स्तर क्या है ? उनकी संख्या कितनी है ? समूह में महिलाएं कितनी हैं ?
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का आपस में व्यवहार व तालमेल कैसा है ?
- स्वयं सहायता समूह माह में कितनी बार बैठक करते हैं एवं कितने सदस्य बैठक में सक्रिय भाग लेते हैं एवं उनकी उपस्थिति कितनी हैं ?
- क्या समूह बैठक के निर्णयों की लिखत तैयार करता है ?
- सदस्यों की प्रतिमाह प्रति सदस्य बचत राशि कितनी है ?
- समूह की आयु क्या है अर्थात् समूह कितने समय से कार्यरत है ?
- क्या समूह लेनदेन के रिकार्ड सही प्रकार रखता है ?
- समूह के आर्थिक कार्यकलाप क्या हैं ?
- समूह पर राजनितिज्ञों का हस्तक्षेप कितना है अथवा समूह कितना लोकतांत्रिक है ? क्या समूह के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है ?
- समूह सदस्यों को किस ब्याज दर से ऋण देता है एवं उसकी वसूली दर क्या है ?

गैर सरकारी संस्था की समूह निर्धारण, निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः यह भी आवश्यक है कि गैर सरकारी संस्था की पहचान भी ठीक प्रकार से की जाए।

गैर सरकारी संस्था के लक्षण

- गैर सरकारी संस्था के बोर्ड सदस्य अनुभवी, सक्षम व प्रभावी हों।
- गैर सरकारी संस्था गांवों में हो या उसने कम से कम तीन वर्ष तक गाँवों में काम किया हो व कार्यकर्ता ग्राम निवासियों से घनिष्ठता से जुड़े हों।
- गैर सरकारी संस्था की उचित पहचान हो।
- समाज की आवश्यकताओं को पहचानने एवं उसके विश्लेषण पश्चात ही गैर सरकारी संस्था कोई कार्य करे।
- विधि कानूनी आवश्यकताएं पूर्ण हो।
- रिकार्डों का रखरखाव व प्रबंधन अच्छा हो। कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया आसान हों तथा उनकी अनुवर्ती कार्यवाही अच्छी हो।
- गैर सरकारी संस्था की छवि अच्छी हो।

- विकास कार्यों में खर्च पर नियंत्रण हो ।
- कार्यप्रणाली लचीली व पेशेवर हो ।
- ये अशिक्षित गरीब को सशक्त बनाने व पंचायत में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें ।
- गाँव की नयी व आकस्मिक आवश्यकताओं को तुरन्त पहचानने की संस्था में क्षमता होनी चाहिए ।

स्वयं सहायता समूह की ऋण संबंधी मांग का अनुमान

नाबार्ड के पहले कदम से इस संकल्पना का विस्तार हुआ है, नाबार्ड का अनुमान है कि वर्ष 2008 तक देश में दस लाख स्वयं सहायता समूह होंगे । जिस गति से स्वयं सहायता समूह का विकास हो रहा है उससे निश्चित है कि वर्ष 2008 तक स्वयं सहायता समूह की संख्या निश्चय ही नाबार्ड के अनुमान से बहुत अधिक होगी । वर्ष 1999 में नाबार्ड ने एक समिति का गठन किया जिसने स्वयं सहायता समूह के सूक्ष्म वित्त की मांग का वर्ष 2000 से 2004 तक का आकलन किया जो निम्न तालिका में हैं :

(रु. करोड़ में)

	2000	2001	2002	2003	2004	कुल
1. ऋण निधि	112	217	380	550	890	2139
2. मकान साख	3	9	18	37	55	122
3. अन्य स्रोत	30	50	56	80	89	305
4. सक्षमता निर्माण हेतु आश्रय	15	27	45	67	103	257
कुल	160	293	499	734	1137	2823

(स्रोत : नाबार्ड टास्क फोर्स रिपोर्ट)

आकल्पना - प्रति स्वयं सहायता समूह की साख आवश्यकता का अनुमान

- प्रथम किस्त - रु. 15000/-
- द्वितीय किस्त - रु. 30000/-
- तीसरी किस्त - रु. 50000/-
- ऋण का औसतन अदायगी समय - दो वर्ष
- सक्षमता निर्माण निधि - साख का 10%

बैंक शाखाओं हेतु लक्ष्य

स्वयं सहायता समूह को माइक्रो क्रेडिट वर्ष 2000 से 2004 तक की 2823/- करोड़ रुपये की मांग को ध्यान में रखते हुए बैंकों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए आवश्यक नीति निर्धारण को कार्यान्वित करें । समूह माध्यम से अधिकाधिक ऋण वितरण की योजनाएं तैयार करें । यहां बैंक शाखाओं की भूमिका दो प्रकार से होगी । एक तो नए समूह तैयार करने में व दूसरे वर्तमान समूहों की ऋण मांग को पूरा करना । यदि समस्त बैंकिंग उद्योग ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए एकजुट होकर केन्द्रीय व राज्य सरकार के निर्देश में स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीणों की सहायता करें तो कोई कारण नहीं कि भारत मानव विकास तथा गरीबी उन्मूलन के विषय में एक विशेष स्थान न बना लें क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्राम बाहुल्य देश है । यदि ग्रामीण जनता ने उत्थान, उन्नति और विकास की अंगड़ाई ली तो स्वाभाविक है कि भारत के औद्योगिक एवं ग्रामीण विकास को कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती और विश्व में भारत का स्थान सर्वोच्च होगा ।

स्वयं सहायता समूह के समक्ष चुनौतियां एवं उनके समाधान

स्वयं सहायता समूह की संकल्पना एक बहुत ही नाजुक विकास प्रणाली है ।समूह के सदस्य, बैंक एवं गैर-सरकारी संस्था स्वयं सहायता समूह के निर्माण एवं संचालन में विशेष महत्व रखते हैं अर्थात् किसी भी स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए तीनों अवयवों की अपनी-अपनी महत्ता है । इस प्रणाली में किसी एक भागीदार की सहभागिता की कमी स्वयं सहायता समूह के संचालन में कुप्रभाव कर सकती है । स्वयं सहायता समूह के सदस्य अशिक्षित, सीधे-साधे, गरीब तथा कर्मठ ग्रामीण होते हैं । उनके समक्ष स्वयं सहायता समूह को सफल करने में कुछ मूल आर्थिक व सामाजिक कठिनाइयां होती हैं जिनके लिए सरकार का भी ध्यान केन्द्रित होना आवश्यक है :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी : शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, संचार, मकान, यातायात, पेयजल एवं बिजली किसी भी विकसित समाज की मूल आवश्यकताएं है । इन मूल आवश्यकताओं का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव स्वयं सहायता समूह की सफलता के बीच बहुत बड़ी बाधा है । यदि मूलभूत आवश्यकताओं की संरचना की ओर सरकार ध्यान देती है

तो स्वयं सहायता समूह तीव्र गति से उन्नति कर सकते हैं।

2. स्वयं सहायता समूह के सदस्य, बैंक-ऋण या स्वयं की नीधि को परम्परागत गतिविधियों या व्यक्तिगत आवश्यकताओं में प्रयोग करते हैं जिसके कारण उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं होता। कई बार तो इन कार्यकलापों में हानि भी हो जाती है। अतः स्वयं सहायता समूह का विकास बहुत धीमी गति से हो पाता है। स्वयं सहायता समूह को परम्परागत क्रियाकलापों से हटकर नयी आधुनिक गतिविधियों में रोजगार के अवसर ढूंढ़ने के प्रयास करने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक उन्नति में तीव्रता आए।

3. स्वयं सहायता समूह के समक्ष उत्पाद एवं विपणन संबंधित भी गंभीर समस्याएं हैं जिनके कारण हतोत्साहित होकर अनेक बार बहुत से स्वयं सहायता समूह बिखर जाते हैं, अर्थात् स्वयं सहायता समूह, बैंक एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को खादी ग्रामोद्योग आयोग की मार्जिन राशि योजना एवं उनके विपणन केन्द्रों का सदुपयोग करना चाहिए।

> स्वयं सहायता समूह की संकल्पना एक बहुत ही नाजुक विकास प्रणाली है।समूह के सदस्य, बैंक एवं गैर-सरकारी संस्था स्वयं सहायता समूह के निर्माण एवं संचालन में विशेष महत्व रखते हैं।

4. स्वयं सहायता समूह के सदस्य अनपढ़ व सीधे-साधे होते हैं। अतः स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के पास आधुनिक गतिविधियां अपनाने का पर्याप्त विवेक नहीं होता। अतः इन सदस्यों को गैर-परम्परागत गतिविधियां अपनाने हेतु विभिन्न प्रबंधन प्रशिक्षण की अतिआवश्यकता है ताकि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के व्यक्तित्व विवेक में कुशलता आए और वे क्रियाकलापों का सक्षमता से संचालन कर सकें। सरकार को भी ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लिए अभिप्रेरण, प्रशिक्षण आदि के लिए प्रावधान करने चाहिए। हांलाकि इस पहलू की ओर नाबार्ड द्वारा की गयी पहल सराहनीय है परंतु प्रशिक्षण के संबंध में गति आनी चाहिए।

5. अधिकांश स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं। हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्वयं सहायता समूह के गठन के प्रारंभिक चरणों में ही सामाजिक एवं पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः सरकारी प्रशासन, बैंक अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं को चाहिए कि वे ग्रामों में महिला जागृति का संचालन करें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की है जो गैर-सरकारी संस्थाओं और महिला विकास कार्यक्रम को 1993 से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण अर्थात् अनुदान प्रदान करती है और गैर-सरकारी संस्थाओं को महिलाओं के ग्रुप बनाने में राष्ट्रीय महिला कोष के निधि का सदुपयोग करना चाहिए।

नाबार्ड का लक्ष्य सन 2008 तक एक तिहाई ग्रामीण जनसंख्या को इस प्रणाली के अंतर्गत लाने का है। इस प्रकार भविष्य में ग्रामीण बैंकिंग का यह मुख्य माध्यम होगा। परंतु फिर भी उक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूह के सभी भागीदारों को सरकार की ग्रामीण उत्थान नीतियों का पालन करते हुए निम्न को ध्यान में रखना होगा।

बैंक एवं गैर-सरकारी संस्था, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सामर्थ्य वृद्धि करें और सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए डीसीसी / डीएलआरसी बैठकों में चर्चा करके हल ढूंढ़ने का प्रयास करें। केन्द्रीय सरकार का भी दायित्व है कि वह स्वयं सहायता समूह के निर्माण एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न राज्यों, जिलाधीशों, तहसीलदारों और खण्ड विकास अधिकारियों ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करके कार्यान्वित करने का निर्देश दें।निजी क्षेत्र की कंपनियां भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी निवेश करें ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो एवं ग्रामीण समाज भी शहरी और महानगरीय वर्गों का एक भाग बन जाए और तब देश में आयेगी ग्रामीण विकास क्रांति।

बदलता परिवेश : सहकारी ऋण संस्थाओं की भूमिका

डॉ. राजीव कुमार सिन्हा
रिसर्च एसोसिएट
भागलपुर विश्वविद्यालय
भागलपुर - 812 007

कृषि एवम् ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराए जाने के संबंध में सहकारी संरचनाओं की **व्यवहार्यता** तथा महत्व पर कोई प्रश्न किया ही नहीं जा सकता। कुल ग्रामीण ऋण वितरण इकाइयों में 69 % की हिस्सेदारी सहित, ग्रामीण बचत में 31% की भागीदारी तथा 45 % ऋण हिस्सेदारी की बदौलत कृषि एवं गामीण विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका तथा आर्थिक सुधारों के इस दौर में अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में इनकी उपादेयता स्वयंसिद्ध है।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ

देश की आजादी के पश्चात् गाँवों के सर्वांगीण सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु कृषि ऋण के विस्तार की सर्वोपरि आवश्यकता महसूस की गयी। परंपरागत रूप से अपनी अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय कृषक मुख्य रूप से साहूकार-महाजन, सूदखोरों, सगे-सम्बन्धियों तथा मित्रों पर निर्भर रहा करते थे। इन **गैर-संस्थागत स्रोतों** पर किसानों की निर्भरता न सिर्फ उनके शोषण का कारण थी, बल्कि फसल उत्पादन के साथ ही कर्ज की राशि का ऊंचे ब्याज दर पर भुगतान करने हेतु बाज़ार में निम्न दरों पर फसलों को बेचना पड़ता था। इस प्रकार, किसानों को कृषि-लागत की तुलना में हानि का सामना अधिक करना पड़ता था। वे दोहरे शोषण का शिकार हुआ करते थे।

परंपरागत रूप से अपनी अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय कृषक मुख्य रूप से साहूकार-महाजन, सूदखोरों, सगे-सम्बन्धियों तथा मित्रों पर निर्भर रहा करते थे।

1960 के पश्चात्,जब नवीन कृषि टेक्नोलॉजी द्वारा पुरानी कृषि टेक्नोलॉजी को **प्रतिस्थापित** करने की शुरुआत हुई तब कृषि की नई प्रौद्योगिकियों, विधियों एवं उपकरणों/यंत्रों के प्रयोग हेतु कृषकों को भारी मात्र में धन के विनियोग के रूप में पूंजी की आवश्यकता महसूस हुई। इस दिशा में कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाले संस्थागत स्रोत के रूप में सरकारी संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी संस्थाओं का तेज़ी से विस्तार हुआ। वर्तमान समय में, दो-तिहाई से अधिक कृषि ऋण इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विगत वर्षों में, इन संस्थाओं में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण संस्था बन गयी हैं।

इस प्रकार, ये सहकारी संस्थाएं भारत की **बहु एजेंसी** ग्रामीण ऋण व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी हैं। इन संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत अधिसंरचनात्मक सुविधाओं की वृद्धि, कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी के निर्माण, उर्वरक तथा बीज जैसे कृषि निवेशों के वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहां इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के फलस्वरूप, वित्तीय क्षेत्र के उभरते प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में इन सहकारी ऋण संस्थाओं के एक उपयोगी एवं सक्षम संस्था के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए इनकी अपनी कार्य-प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने हेतु दबाव बढ़ रहा है।

सहकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण ऋण वितरण

मार्च 2001 तक देश में सभी प्रकार की संस्थागत वित्तीय एजेंसियों (सहकारी संस्थाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों) की कुल संख्या 1,39,533 थी जिसमें सहकारी संस्थाओं की संख्या सर्वाधिक (94,663)(67.84%) थी। वाणिज्यिक बैंकों की संख्यात्मक हिस्सेदारी 32,637 (23.39%) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 12,233(8.77%) थी। इसे तालिका 1 में दिखाया गया है।

तालिका -1

ग्रामीण ऋण आउटलेट (संख्या)

वर्ष	**2000-01**	**हिस्सा (%)**
सहकारी संस्थाएं	94,663	67.84
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	12,233	08.77
वाणिज्यिक बैंक	32,637	23.39
कुल	**1,39,533**	**100.00**

1991-92 में आरम्भ किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के एक दशक के बाद वैश्वीकरण के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में भी ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं ने अपनी उपादेयता सिद्ध की है। आज भी इन संस्थाओं की 574 लाख उधार खातों सहित 68.50 प्रतिशत की हिस्सेदारी बनी हुई है, जबकि वाणिज्यिक बैंकों के ऐसे ऋण उधार खातों की संख्या 224 लाख (26.73%) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 40 लाख (04.77%) है जिसे तालिका 2 में देखा जा सकता है।

तालिका 2

ग्रामीण ऋण प्रदायक उधार खाते

(संख्या लाख में)

वर्ष	2000-01	हिस्सा (%)
सहकारी संस्थाएं	574	68.50
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	40	04.77
वाणिज्यिक बैंक	224	26.73
कुल	**838**	**100.00**

संस्थागत एजेंसियों द्वारा प्रदत्त ग्रामीण ऋण

भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू किये जाने के पश्चात् 1997-98 से 2000-01 तक के चार वर्षों में सहकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु उपलब्ध करायी गयी ऋण राशि, हालाँकि, 14,085 करोड़ रुपये से बढ़कर (1.92 गुना) वर्ष 2000-01 में 27,080 करोड़ रुपये हो गयी। तथापि, सहकारी संस्थाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त अवधि में दिए गए कुल ग्रामीण ऋण के प्रतिशत का अवलोकन करने पर सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ग्रामीण ऋण में 1.77 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर होती है।

दूसरी ओर, इसी अवधि में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की राशि 1997-98 के 15,831 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2000-01 में लगभग 2.02 गुना बढ़कर 31,964 करोड़ रुपये हो गयी। कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में यह वृद्धि उपर्युक्त अवधि में मात्र 0.41 प्रतिशत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण ऋण में यह वृद्धि इसी अवधि में 06.38 से 07.74 प्रतिशत अर्थात् 1.36 प्रतिशत की थी जिसका अवलोकन तालिका 3 में किया जा सकता है।

तालिका 3

ग्रामीण ऋण की वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	1997-98	हिस्सा (%)	2000-01	हिस्सा (%)
सहकारी संस्थाएं	14,085	44.08	27,080	42.31
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2,040	06.38	4,956	07.74
वाणिज्यिक बैंक	15,831	49.54	31,964	49.95
कुल	**31,956**	**100.00**	**64,000**	**100.00**

उत्पादन ऋण के मामले में भी सहकारी संस्थाओं का योगदान अन्य दो संस्थागत वित्तीय एजेंसियों की तुलना में काफी अधिक रहा। तीनों एजेंसियों द्वारा उत्पादन ऋण के रूप में 1997-98 में उपलब्ध करायी गयी कुल राशि (20,640 करोड़ रुपये) में आधे से अधिक अर्थात् 10,895 करोड़ रुपये (52.79%) हो गयी। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्पादन ऋण की राशि उपर्युक्त अवधि में, हालाँकि, 1.92 गुना बढ़कर 8,349 करोड़ रुपये से 16,004 करोड़ रुपये हो गयी, तथापि, सभी एजेंसियों द्वारा प्रदत्त कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में यह 1997-98 के 40.45 प्रतिशत रह गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उत्पादन ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि 1997-98 के 1,396 करोड़ रुपये (कुल ऋण के 6.76%) से लगभग 2.45 गुना बढ़कर वर्ष 2001-02 में 3,415 करोड़ रुपये (8.34%) हो गयी। परन्तु सहकारी ऋण संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में इसका योगदान वर्तमान में क्रमशः 1/6 भाग से भी कम तथा एक-चौथाई से कम है। तालिका 4 में देखें।

तालिका 4

उत्पादन ऋण

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	1997-98	हिस्सा (%)	2000-01	हिस्सा (%)
सहकारी संस्थाएं	10,895	52.79	21,542	52.59
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,396	06.76	3,415	08.34
वाणिज्यिक बैंक	8,349	40.45	16,004	39.07
कुल	**20,640**	**100.00**	**40,961**	**100.00**

उपर्युक्त आँकड़ा आधारित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आर्थिक क्षेत्र में सुधारों के एक दशक बाद आज भी देश के कृषि विकास एवं ग्रामीण **अधिसंरचनाओं** के विकास में सर्वाधिक ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर महती योगदान करते हुए ग्रामीण ऋण सहकारी संस्था ने वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के इस दौर में अन्य संस्थागत एजेंसियों की तुलना में अपना सर्वोपरि स्थान बरकरार रखा है।

जमा संग्रहण की निराशाजनक उपलब्धि

सहकारी ऋण संस्थाओं के स्थान संबंधी अलाभकर स्थिति में होने के कारण तथा अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकिंग सेवाएं प्रदान न कर पाने की अपनी आंतरिक खामियों की वजह से ये संस्थाएं वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में ज्यादा जमाराशियां जुटा पाने में असमर्थ रहीं । 1997-98 में सहकारी संस्थाओं की ग्रामीण जमाराशियाँ 48,177 करोड़ रुपये (सभी संस्थागत एजेंसियों द्वारा कुल जमाराशि का 36.59 प्रतिशत) से मौद्रिक रूप में यद्यपि 1.74 गुना बढ़कर 83,794 करोड़ रुपये (वर्ष 2000-01में) हो गयीं । तथापि, सभी एजेंसियों द्वारा कुल संग्रहीत जमाराशियों के प्रतिशत के रूप में यह घटकर 31.88 प्रतिशत रह गयी । दूसरी ओर, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त अवधि में ग्रामीण जमाराशियाँ 1997-98 के 61,313 करोड़ रुपये (46.56%) से लगभग 2.3 गुना बढ़कर वर्ष 2000-01 में 1,40,780 करोड़ रुपये (53.56%) हो गयीं । हालाँकि, इस अवधि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण जमाराशियों में 1997-98 के 16.85 प्रतिशत की तुलना में 2.29 प्रतिशत की मामूली कमी देखी गयी जिसे तालिका 5 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5

संस्थागत एजेंसियों की ग्रामीण जमाराशियां

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	1997-98	हिस्सा (%)	2000-01	हिस्सा (%)
सहकारी संस्थाएं	48,177	36.57	83,794	31.88
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22,189	16.85	38,272	14.56
वाणिज्यिक बैंक	61,313	46.56	1,40,780	55.56
कुल	**1,31,679**	**100.00**	**2,62,846**	**100.00**

ग्रामीण जमाराशियों के पैमाने पर ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं के असंतोषजनक प्रदर्शन के प्रमुख कारणों में इन संस्थाओं द्वारा समय पर समुचित परिमाण में ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करवाये जाने की अक्षमता के कारण लोगों का इनके प्रति घटता विश्वास है, जिसे किसी भी हालत में दूर करना ही होगा ।

कार्यक्षमता में सुधार के उपाय

(1) 1997-98 के बाद से 2000-01 तक की अवधि में सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कुल ग्रामीण ऋण में आई 1.77 प्रतिशत की सीमान्त कमी तथा वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम ऋण राशि वितरित किये जाने की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को, अपेक्षाकृत निम्न ब्याज दरों पर पर्याप्त धनराशि राज्यांशों के रूप में दी जानी चाहिए ।

(2) उदारीकरण, बाजारीकरण तथा वैश्वीकरण के इस कठिन प्रतिस्पर्धात्मक दौर में विदेशी बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा देश की अन्य ऋणप्रदायी पैरा बैंकिंग संस्थाओं के मुकाबले ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इसके त्रि-स्तरीय ढाँचे (विशेषकर, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) के सभी पदों पर नियुक्तियाँ अखिल भारतीय/ राज्य -स्तरीय लिखित एवम् मौखिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन द्वारा की जानी चाहिए । पैक्स के पैड मैनेजर के पद को पूर्णकालिक बनाकर सभी संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतनमान, अन्य सुविधाओं सहित, राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के समान कर दिया जाना चाहिए ।

(3) देश के शत-प्रतिशत गाँवों के कृषकों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि सहकारी ऋण उपलब्ध करवाए जाने की सहकारी साख संस्थाओं की विशिष्ट सेवा को ध्यान में रखते हुए इन्हें सरकार द्वारा मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण बाँड जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि ये अपनी **कार्यशील पूंजी** में यथेष्ट वृद्धि तो कर ही सकें ; सेवा स्तर में सुधार के साथ-साथ, अन्य व्यवसाय प्रारम्भ करके अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति कर सकें।

(4) **बाजार की प्रवृत्तियों** की अद्यतन जानकारी प्रदान करने, सदस्यों के भू-स्वामित्व, ली गई एवं वापस की गई ऋण राशियों, उनके द्वारा वापस न की गयी ऋण राशियों तथा इन सहकारी संस्थाओं की कुल प्राप्तियों एवम् देनदारियों की आँकड़ा आधारित अद्यतन जानकारियों को रखने तथा देश के एवं विश्व बाजार में दिन प्रतिदिन होने वाले उतार-चढ़ावों तथा परिवर्तनों से सहकारी ऋण समितियों के सभी सामान्य सदस्यों, अधिकारियों, निदेशक मंडल के सदस्यों तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों को परिचित कराने के लिए ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं की सभी शाखाओं को ई-मेल तथा वेबसाइट की सुविधा सहित कम्प्यूटर नेटवर्क से चरणबद्ध ढंग से जोड़ दिया जाना चाहिए।

(5) अन्य संस्थागत वित्तीय एजेंसियों, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों

को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले गैर-सरकारी संस्थानों आदि द्वारा उत्पन्न की जा रही ऋण सेवा से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को विभिन्न चरणों में ग्रामीण प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, व्यावसायिक प्रबंधन तथा सहकारी प्रबंधन के नवीनतम तकनीकों / सिद्धान्तों एवं विकास प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाना चाहिए।

(6) योजनाबद्ध ढंग से उपर्युक्त उपायों / प्रयासों द्वारा, बदलते आर्थिक परिवेश में ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं को विश्व बाजार की तीव्रतम प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बनाया जा सकता है, जो ग्रामीण भारत के सर्वांगीण आर्थिक-सामाजिक विकास की ऊँची दर को सुनिश्चित करेगी और यही वर्तमान समय की महत्वपूर्ण माँग भी है।

प्रयुक्त शब्दावलीः

व्यवहार्यता	Practicability	बहु एजेंसी	Multi Institutional
प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां	Primary agriculture Co-op credit socities	अधिसंरचनाओं	Infrastructure
		जमा संग्रहण	Deposit Mobilisation
गैर संस्थागत स्रोतों	Non-Institutional resources	कार्यशील पूंजी	Working Capital
प्रतिस्थपित	Subtitute	बाज़ार की प्रवृत्तियां	Market Trends

संदर्भ - ग्रंथ

1. सिंह अनिरुध्द, 'बिहार में सहकारिता का पुनर्जीविकरण' पर संगोष्ठी, डी. एन. एस. आई. ऑफ आर. सी. एम., 20-10-97 से 21 वीं अक्तूबर 1997, पृष्ठ 35-36
2. राव पी. वी., रामा मिश्रा, डी. पी. रे, पी. सी. सामन्तरे ' नेशनल सेमिनार ऑन को-ऑपरेटिव्ह रिफॉर्मस्' 2000 पुणे
3. तिवारी डी. पी. 'कुरूक्षेत्र (अगस्त, 2002)' पृष्ठ -11
4. 'नाबार्ड वार्षिक प्रतिवेदन (2001-2002) ' पृष्ठ संख्याएं 152-154

अपने ग्राहक को जानिए

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) सिद्धांत के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं की पहचान के बारे में कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं और बैंकों को सूचित किया है कि वे ऐसी प्रणालियां और क्रिया-विधियां अपनायें जिनसे वित्तीय धोखाधड़ी, काले धन को वैध बनाये जाने और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने तथा भारी नकदी लेनदेनों की जाँच / निगरानी करने में मदद मिल सके। रिज़र्व बैंक समय-समय पर बैंकों को सूचित करता रहा है कि वे नये ग्राहकों के खाते खोलते समय सतर्क रहें, ताकि धोखाधड़ी करने के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग न हो सके। आपराधिक गतिविधि (जमा और ऋण खातों, दोनों मामलों में) से प्राप्त निधियों के अंतरण या आहरण के लिए अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए अनजाने में बैंकों का उपयोग होने से बैंकों को बचाया जा सके, इस दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने प्रसंगगत विषयों पर जारी पिछले अनुदेशों का सार तैयार किया है। ये दिशा-निर्देश विदेशी मुद्रा खातों / लेनदेनों पर भी लागू होंगे। समेकित अनुदेश इस प्रकार हैं :

केवाइसी नीति

नये खातों के लिए

i) खाता खोलने वाले किसी व्यक्ति / कंपनी की पहचान के लिए अपने ग्राहकों को जानिए संबंधी क्रियाविधि मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। ग्राहक की पहचान के लिए किसी वर्तमान खाता धारक / व्यक्ति जिसे बैंक जानता हो, के द्वारा परिचय दिए जाने पर अथवा ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के आधार पर सत्यापन करना आवश्यक होना चाहिए।

ii) बैंक के निदेशक बोर्ड को ऐसी उपयुक्त नीतियां बनानी चाहिए जिससे खाता खोलने वाले व्यक्ति / कंपनी की वास्तविक पहचान को सत्यापित करने के लिए क्रियाविधि का निर्माण हो सके। बोर्ड को भी चाहिए कि वह ऐसी नीतियां बनाये जिनसे खातों में संदिग्ध प्रकार के लेनदेनों की सूचना देने की प्रणालियां तैयार करने के लिए प्रक्रिया और क्रियाविधि स्थापित की जा सके।

ग्राहक की पहचान : अपने ग्राहकों को जानिए दिशा-निर्देश के दो उद्देश्य होने चाहिए, (i) ग्राहक की उचित पहचान सुनिश्चित करना और (ii) संदिग्ध लेनदेनों पर नज़र रखना। बैंक को चाहिए कि वह प्रत्येक नये ग्राहक की पहचान / विधिक अस्तित्व स्थापित करने के प्रयोजन से सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करें, जो अधिमानतः ग्राहकों द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित हो। ग्राहकों की पहचान करने का सीधा अर्थ ग्राहकों के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कागजात से होगा। परंतु जहां ऐसे कागजात उपलब्ध न हों, वहां किसी वर्तमान खाताधारक द्वारा सत्यापन अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे बैंक जानता हों पहचान करना ही काफी होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपनायी गयी क्रियाविधि से बैंकिंग सेवा के प्रयोजन से आम जनता को संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो।

मौजूदा ग्राहक के लिए : बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने अपने मौजूदा ग्राहकों के खाते खोलते समय उचित सावधानी बरती होगी और ग्राहक को जानिये संबंधी मानदंडों का पालन किया होगा। किसी चूक की स्थिति में, ग्राहक की पहचान के लिए अपने ग्राहकों को जानिए से संबंधित प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाना चाहिए।

नकदी लेनदेन

(i) बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे 50,000 रूपये और उससे अधिक की राशि के यात्री चेक, मांग ड्राफ्ट, डाक अंतरण और तार अंतरण केवल ग्राहक के खाते में नामे द्वारा अथवा चेक प्राप्त करके जारी करें, न कि नकद राशि प्राप्त करके। आवेदक (फिर चाहे ग्राहक हों या न हों) 50,000 रूपये से अधिक राशि के यात्री चेक, मांग ड्राफ्ट, डाक और तार अंतरण जारी करने के लिए आवेदन पत्रों पर आयकर स्थायी खाता संख्या (पीएएन) लिखें।

(ii) बैंकों को चाहिए कि वे नकद आहरणों और जमा, नकदी ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट खातों में 10 लाख रूपये और उससे अधिक की जमा राशियों पर कड़ी नज़र रखें और बड़ी राशि के ऐसे लेनदेनों का एक अलग रजिस्टर में रिकार्ड भी रखें।

(iii) बैंकों की शाखाओं को चाहिए कि वे 10 लाख रूपये और उससे अधिक की जमा राशियों और आहरणों तथा संदेहास्पद प्रकृति के लेनदेनों की रिपोर्ट उनके पूर्ण विवरण सहित पाक्षिक विवरणियों में नियंत्रक कार्यालयों को भेजा करें। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक कार्यालयों को भी चाहिए कि वे संदेहास्पद प्रकृति के लेनदेनों की सूचना अपने प्रधान कार्यालय को दें।

जोखिम प्रबंधन

गैर कानूनी और देशद्रोही गतिविधियों के लिए बैंकिंग चैनलों के संभावित दुरूपयोग को रोकने के लिए बोर्ड को इन अपेक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए :

आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाएं : नीतियों और प्रक्रियाओं का प्रभावी और वर्तमान तथा भावी जमाकर्ताओं के संबंध में अपने ग्राहकों को जानिए कार्यक्रम के प्रति पूर्ण वचनबद्धता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होना आवश्यक है। बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों को चाहिए कि वे शाखा स्तर के प्राधिकारियों के द्वारा निर्धारित नीतियों और प्रकियाओं के पूर्णतः अनुपालन की निगरानी करें।

आतंकवादी कार्यकलापों के लिए वित्त : रिज़र्व बैंक, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आतंकवादी गुटों की सूची बैंकों को परिचालित करता रहा है, ताकि बैंक ऐसे गुटों के साथ लेनदेनों का पता लगाने के लिए उचित सावधानी रख सकें। शाखा स्तर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सूची में शामिल व्यक्ति / संस्था के भावी अथवा विद्यमान व्यापारिक संबंध की आशंका होते ही ऐसी सूची देख ली जाये। आतंकवादी गुटों के होने की आशंका वाले खातों के संबंध में बैंकों को किसे रिपोर्ट करना चाहिए इस संबंध में भारत सरकार से परामर्श करके सूचित किया जायेगा।

आंतरिक लेखा-परीक्षा / निरीक्षण

(i) बड़ी राशि के लेनदेनों का पता लगाने के लिए स्थापित नियंत्रण व्यवस्था के नियमित रूप से स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य बैंक के आंतरिक लेखा-परीक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए।

(ii) शाखाओं के द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए संबंधी मानदंडों को लागू करने और काले धन के नियंत्रण के संबंध में किये गये उपायों की सहवर्ती / आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विशेष रूप से जांच की जानी चाहिए और उनकी प्रभावकारिता पर टिप्पणी दी जानी चाहिए। ऐसी अनुपालन रिपोर्ट बैंक के बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही अंतराल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

संदेहास्पद लेनदेनों की पहचान और उसकी सूचना देना: बैंकों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों के द्वारा संदेहास्पद लेनदेनों की सूचना उन विधि प्रवर्तक प्राधिकारियों को दी जाती है जिन्हें संबंधित कानूनों के अधीन दिया जाना अपेक्षित है। ऐसे प्राधिकारियों के द्वारा निदेश दिये जाने पर खातों के परिचालन को बंद रखने और उसकी सूचना नियंत्रक कार्यालय और प्रधान कार्यालय को देने के संबंध में पूर्व निर्धारित व्यवस्था होनी चाहिए। संवेदनशील प्रकृति का विषय होने के कारण ऐसी बातों की रिपोर्टिंग बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अथवा निदेशक बोर्ड को तिमाही अंतराल पर की जानी चाहिए।

विदेशी अभिदान नियंत्रण अधिनियम (एफ सी आर ए), 1976 का पालन

(i) बैंकों को विदेशी अभिदान नियंत्रण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों से संबंधित अनुदेशों का पालन करना चाहिए। इन अनुदेशों में उन्हें सतर्क किया गया है कि वे केवल उन संस्थाओं के नाम से खाता खोलें अथवा उनके चेकों की वसूली करें जिन्हें भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया है। खाता खोलते समय अथवा चेकों की वसूली के समय संबंधित संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए कि उसका पंजीकरण भारत सरकार द्वारा किया गया है।

(ii) बैंकों की शाखाओं को सूचित किया जाना चाहिए कि वे अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतें और प्रतिबंधित संस्थाओं और उचित विधि से पंजीकृत न की गयी संस्थाओं के नाम से खाता न खोलें।

रिकार्ड रखना

वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के द्वारा संबंधित कानूनों और विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार ग्राहक संबंधों और लेनदेनों से संबंधित अपेक्षित दस्तावेज तैयार करके रखे जाने चाहिए, ताकि किये गये लेनदेनों को उनके आधार पर पुनः तैयार किया जा सके। तार अंतरण द्वारा किये गये लेनदेनों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रिकार्डों और संबंधित संदेशों को उसी प्रकार माना जाना चाहिए जैसा कि खातों में प्रविष्टियों के समर्थन में अन्य रिकार्ड माने जाते हैं। वित्तीय लेनदेनों से संबंधित सभी रिकार्ड, लेनदेनों की तारीख से कम-से-कम पांच वर्ष तक रखे जाने चाहिए और लेखा-परीक्षा से संबंधित प्राधिकारियों और नियंत्रकों द्वारा मांगे जाने पर ये देखने और जांच हेतु उपलब्ध होने चाहिए।

प्रशिक्षण

बैंकों को लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि स्टाफ को काला धन निरोधक दिशा-निर्देशों के अनुपालन और अपने ग्राहकों को जानिए नीतियों के अनुरूप कार्यान्वयन में पदानुक्रमिक स्तर पर उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का पर्याप्त प्रशिक्षण मिल सके।

चेकों की राशि तुरंत जमा करने की सीमा बढ़ायी गयी

भारतीय बैंक संघ की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने बाहरी / स्थानीय चेकों की राशि तुरंत जमा करने के बारे में अधिकतम सीमा को 7,500 रुपये से बढ़ा कर 15,000 रुपये कर दिया है।

बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ग्राहकों द्वारा वसूली के लिए प्रस्तुत किये गये बाहरी / स्थानीय चेकों की राशि तुरंत जमा करने के बारे में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें :

(i) बाहरी चेकों के मामले में सामान्य वसूली प्रभार वसूल किये जायें और स्थानीय चेकों के लिए 5 रूपये वसूल किये जायें।

(ii) बैंक को चाहिए कि वह इस बात की संतुष्टि कर लें कि ग्राहक खाते का संचालन उचित ढंग से होता है।

(iii) बैंक सभी अलग-अलग जमाकर्ताओं के उनके खाते के स्वरूप, अर्थात् बचत बैंक, चालू या नकदी ऋण खाता, के बारे में फर्क किये बिना सुविधा दे सकते हैं।

iv) बैंकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए न्यूनतम जमा शेष की कोई अलग शर्त निर्धारित नहीं करनी चाहिए।

v) यह सुविधा बैंक द्वारा इस संबंध में सामान्य सावधानियों की शर्त पर बैंक के एक्सटेंशन काउंटरों पर भी ग्राहकों को उपलब्ध करायी जानी है।

vi) ऐसे चेक के लिए तुरंत राशि जमा (क्रेडिट) करना अग्रिम प्रदान करने जैसा होगा, अतः 15,000 रुपये तक के अंकित मूल्य के ऐसे चेकों पर ब्याज न लगाने को अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जायेगा।

vii) उस मामले में जहां 15,000 रूपये से अधिक के अंकित मूल्य का लिखत समाशोधन के लिए प्राप्त होता है और लिखत की आगम राशि, राशि की वास्तविक वसूल की तारीख के पहले किसी भी रूप में खाते में जमा की जाती है, वहां उस अवधि के लिए भी निर्दिष्ट दर (बैंक द्वारा निर्धारित सामान्य सेवा प्रभारों के अतिरिक्त) पर ब्याज लगाया जायेगा, जिस अवधि में ग्राहक के खाते में रही है।

viii) चेक भुगतान हुए बिना लौट आने की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक के ब्याज दर संबंधी निदेशों के अनुरूप उस अवधि के लिए ब्याज वसूल कर सकता है, जिस दौरान निधि बैंक के पास नहीं थी।

(क) प्रस्तुत किये गये बाहरी चेक के जमा करने की तारीख से उसके लौट आने तक अवधि के लिए ग्राहक से ब्याज नहीं लिया जाये।

(ख) चेक के आने की तारीख से संबंधित राशि बैंक को लौटायी जाने तक की अवधि के लिए बैंक ब्याज ले सकता है।

(ग) बचत बैंक खाते में जमा किये जाने की स्थिति में चेक भुगतान हुए बिना लौट आता है तो इस प्रकार जमा की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

ix) ऐसी स्थिति में बैंक जमा पर्ची के साथ इस आशय का एक नोटिस लगाने के लिए विचार कर सकता है कि चेक के भुगतान न होने की स्थिति में ग्राहक को उस अवधि के लिए ब्याज अदा करना होगा, जिस अवधि तक निधि बैंक में नहीं होती है।

x) इस सुविधा की उपलब्धता के बारे में प्रत्येक शाखा में स्पष्ट रूप से सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए।

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए वित्त योजना

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं / डीलरों से उपलब्ध डिस्काउंट के समायोजन के माध्यम से ऋणकर्ताओं को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए कम / शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अग्रिम प्रदान करने जैसे कार्य न करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे विभिन्न प्रोत्साहन आधारित किसी विज्ञापन के साथ किसी भी रूप में / प्रकार से अपने नाम न जोड़ें जहां ब्याज दर के संबंध में स्पष्टता नहीं है।

रिज़र्व बैंक ने यह पाया था कि कुछ बैंक लिए कम / शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अग्रिम प्रदान करने की योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे और उन्हें समाचार पत्रों और मीडिया में प्रसारित कर रहे थे। ऐसी ऋण योजनाओं में परिचालनों की पारदर्शिता नहीं थी तथा ऋण उत्पादों के मूल्यन-तंत्र को विकृत किया जा रहा था। ये उत्पाद लागू ब्याज दरों के संबंध में ग्राहकों को स्पष्ट चित्र भी नहीं दे रहे थे।

रिज़र्व बैंक के अगस्त 2001 के अनुदेशों के अनुसार बैंकों को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋणों पर उनकी मूल ऋण दर (पी एल आर) से कम दर पर ब्याज नहीं लगाना है, ऋण की राशि कितनी भी क्यों न हो।

विदेश में इलाज कराना

प्राधिकृत व्यापारी अब आवेदक द्वारा, आवश्यकता के संबंध में दी गयी घोषणा के आधार पर, डॉक्टर अथवा अस्पताल से किसी अनुमान के लिए आग्रह किये बिना भारत से बाहर चिकित्सकीय इलाज के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं, बशर्ते इस तरह की विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान चेक द्वारा अथवा आवेदक के खाते में नामे लिख कर किया जा रहा हो।

इससे पूर्व निवासी भारत से बाहर चिकित्सकीय इलाज के लिए, इलाज में होनेवाले संभावित व्यय देते हुए डॉक्टर अथवा अस्पताल से एक अनुमान (एस्टीमेट) प्रस्तुत करने पर भारत में प्राधिकृत व्यापारियों से विदेशी मुद्रा खरीद सकते थे।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए ईईएफसी खाता योजना

निर्यातोन्मुख इकाइयों को और अधिक प्रोत्साहन देने तथा ईईएफसी खाता योजना को तर्कसंगत बनाने के एक और उपाय के रूप में अब यह निर्णय लिया गया है कि ईईएफसी खाताधारकों की अब केवल दो ही श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी उन खाताधारकों की होगी जो अपनी प्राप्तियों के 100 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा में रख सकते हैं और दूसरे जो अपनी प्राप्तियों के 50 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा में रख सकते हैं।

तदनुसार, (क) एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (ईपीजेड) अथवा (ख) सॉफ्टवेयर टैक्नोलाजी पार्क अथवा (ग) इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलाजी पार्क (ईएचटीपी) में स्थित कोई सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई अब अपनी विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के 100 प्रतिशत तक अपने ईईएफसी खाते में जमा कराने के लिए पात्र होगी जबकि जमा करने की मौजूदा पात्रता 70 प्रतिशत तक थी।

इससे पूर्व प्राप्तियों के सौ प्रतिशत तक जमा करने की सुविधा केवल हैसियत रखने वाले निर्यातकों तथा ऐसे व्यावसायिकों को उपलब्ध थी जो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में भारत से बाहर की इकाइयों को सेवाएं दे रहे थे। इस उदारीकरण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की अपनी प्राप्तियों के सौ प्रतिशत तक अपने ईईएफसी खाते में जमा करने की सुविधा अब हैसियत वाले निर्यातकों, व्यावसायिकों, सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों तथा ईपीजेड / एसटीपी / ईएचटीपी में स्थित इकाइयों को भी उपलब्ध रहेगी।

ईसीबी का पूर्व भुगतान

बाह्य वित्तीय बाज़ारों को तथा कार्पोरेटों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के पूर्व भुगतान के लिए स्वचालित रूट को और अधिक उदार बनाया गया है।

आवेदक अब किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त स्रोत उदाहरण के लिए, बैंक, निर्यात ऋण दात्री एजेंसी, उपस्करों के सप्लायर, विदेशी कोलेबोरेटर, विदेशी ईक्विटी धारक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार आदि से ईसीबी उठा सकते हैं। अलबत्ता, मान्यता प्राप्त से इतर संस्थाओं से उठाये गये ईसीबी की अनुमति नहीं होगी भले ही राशि 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो।

100 मिलियन डॉलर तक

इस प्रयोजन के लिए कि कार्पोरेट निचली अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों का लाभ उठा सकें, रिज़र्व बैंक ने इसके पूर्व के अनुदेशों को खारिज करते हुए यह अनुमति देने का निर्णय लिया है कि कोई उधारकर्ता, जिसने मौजूदा नियमावली / विनियमावली/ दिशानिर्देशों के अनुसरण में बाह्य वाणिज्यिक उधार उठाये हैं, रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की राशि का पूर्व भुगतान कर सकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उदारीकृत स्वचालित रूट उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध है भले ही बकाया ऋण की परिपक्वता अवधि अथवा प्रतिशतता कुछ भी हो। शर्त यह है कि पूर्व भुगतान की जा रही राशि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे पूर्व यह सुविधा कुछेक शर्तों, उदाहरण के लिए बकाया परिपक्वता अवधि का एक वर्ष अधिक का न होना आदि पर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पूर्व भुगतान के लिए उपलब्ध थी।

प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे कम्पनी सचिव / उधारकर्ता के लेखा परीक्षकों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद कि उधारकर्ता ने (क) ईसीबी का लाभ सभी संबंधित अधिनियमों, नियमावलियों / विनियमावलियों तथा दिशानिर्देशों के अनुसरण में उठाया है, तथा (ख) उसने रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईसीबी विवरणी - 2 प्रस्तुत कर दी है, ईसीबी के पूर्व भुगतान के लिए इस प्रकार के प्रेषण की अनुमति दे सकती हैं।

प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रेषण के 7 दिन के भीतर निर्धारित फार्म में पूर्व भुगतान के पूरे ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को देंगे।

100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि

इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक उधारकर्ता रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को पूरे ब्यौरों, उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान की शर्तें, अवधि जिसके दौरान पूर्व भुगतान किया जाना है और क्या उधारकर्ता के साथ पूर्व भुगतान के लिए सिद्धांत रूप में करार कर लिया गया है, के साथ आवेदन करें।

यह भी कि रिज़र्व बैंक से सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक कार्पोरेट पूर्व भुगतान करार तय करने से पूर्व रिज़र्व बैंक से संपर्क करें। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जानेवाले सिद्धांत रूप में अनुमोदन 15 दिन के लिए वैध होंगे।

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता अथवा विदेशी प्रत्यक्ष आवक प्राप्तियों में रखी शेष राशियों में से ईसीबी के पूर्व भुगतान के लिए रिज़र्व बैंक के सिद्धांत रूप में अनुमोदन की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही राशि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो।

ईसीबी के पूर्व भुगतान के लिए स्वचालित रूट के अंतर्गत यह सुविधा 31 मार्च 2003 तक उपलब्ध होगी। यदि योजना को और अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में उस तारीख को या उससे पूर्व नये अनुदेश जारी किये जायेंगे।

स्वचालित रूट के अंतर्गत योग्यता

उधारकर्ता, वित्तीय वर्ष के दौरान स्वचालित रूट के अंतर्गत अधिकतम 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटा सकता है। यदि उधारकर्ता एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक से अधिक

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाता है, तो 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए अधिकतम औसतन परिपक्वता अवधि तीन वर्ष होगी।20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि के लिए औसतन परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होगी ।

हालांकि कंपनी अधिनियम, सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वामित्वधारी / भागीदारी कंपनी सहित कोई भी कानूनी कंपनी बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटा सकती है, यह स्पष्ट किया जाता है कि अलग-अलग व्यक्ति, न्यास और अलाभकारी संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने के लिए पात्र नहीं हैं।

आयात का सबूत

यह निर्णय लिया गया है कि जहां भारत में आयात के लिए प्रेषित / अदा की गयी विदेशी मुद्रा का मूल्य 25,000 अमेरिकी डॉलर या उससे बराबर की राशि से अतिरिक्त होता है, तो जिस प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रेषण किया गया था उसके लिए यह अनिवार्य है कि आयातक से दस्तावेजी सबूत प्राप्त करे। इससे पहले यह राशि 5000 अमेरिकी डॉलर थी।

जहां आयात के लिए प्रेषित विदेशी मुद्रा की राशि 1,00,000 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर हो, प्राधिकृत व्यापारी आंतरिक उपभोग के लिए या तो आयात पत्र की विदेशी मुद्रा प्रति या कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या लेखा-परीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करे कि जिन वस्तुओं के लिए प्रेषण किया गया था, उन्हें वास्तविक रूप से भारत में आयात किया गया है, बशर्ते :

(i) आयातक, भारत के शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कंपनी हो और पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उसकी निवल संपत्ति 100 करोड़ रुपये से कम न हो ;

या

(ii) आयातक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या भारत सरकार या उसके विभागों का उपक्रम हो।

विदेशी बैंक शाखाएं बंद करना

भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे महानगरीय क्षेत्रों में स्थित शाखाओं सहित अपनी किसी शाखा को बंद करने के अपने इरादे के बारे में रिज़र्व बैंक को अनिवार्यतः पर्याप्त समय पहले बतायें। साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि शाखाएं बंद करने की अपनी विस्तृत योजना भी प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो कि उनके ग्राहकों के हित और सुविधा का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाता है।

यह देखा गया था कि विदेशी बैंक अपनी शाखाएं बंद करने के संबंध में अपने जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं और अन्य ग्राहकों को पर्याप्त समय पहले सूचना दिये बिना शाखाएं बंद कर देते हैं, जिससे सभी संबंधितों को असुविधा होती है, जिससे बचा जा सकता है।

शहरी सहकारी बैंक मुद्रा हस्तांतरण सेवा योजनाओं में एजेंट के रूप में काम नहीं करेंगे

रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे मुद्रा हस्तांतरण सेवा योजनाओं में एजेंट के रूप में काम न करें। जो शहरी सहकारी बैंक पहले से ही इस तरह की योजनाओं में एजेंट / उप एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें सूचित किया गया है कि वे अपने आप को तत्काल इस तरह की गतिविधियों से अलग कर लें।

विदेशी मुद्रा ऋण

प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे नीचे दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन एफसीएनआर (बी) जमा खातों में जमा निधियों को जमानत रखकर खाता धारकों को विदेशी मुद्रा में ऋण दे सकते हैं :

(क) ऋण एफसीएनआर (बी) खाते में जमा अपनी रकम में से दिया जाना चाहिए न कि किसी अन्य पक्ष की जमा राशि में से।

(ख) ऋण केवल जमा धारकों को ही दिया जाना चाहिए न कि किसी अन्य पक्ष को। प्रलेखों का निष्पादन स्वयं जमा धारक द्वारा किया जाना चाहिए न कि किसी मुख्तारनामा धारक व्यक्ति द्वारा ।

(ग) ऋण की परिपक्वता अवधि किसी भी हालत में जमा की परिपक्वता अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) खाता धारक को ऋण भारत में निवेश के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए दिया जाना चाहिए।

(ङ) ऋण जमा द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए और मार्जिन से संबंधित विनियम, यदि कोई हो, तो उसका अनुपालन किया जाना चाहिए।

(च) चुकौती विदेशी मुद्रा में प्राप्त नए प्रेषणों में से अथवा जमा के समायोजन द्वारा की जाए।

(छ) बैंक इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त अनुप्रवर्तन प्रणाली लागू करें।

(ज) इस सुविधा के विस्तार का अनुमोदन बैंक के बोर्ड द्वारा होना चाहिए।

आगे यह भी कि अनिवासी जमा रकम के बदले ऋण देने हेतु प्राधिकृत व्यापारियों को रिज़र्व बैंक द्वारा 21 मार्च 2002 को जारी परिपत्र के अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ अनिवासी जमा राशियों के बदले ऋण देते समय बैंकों को सावधानी बरतनी होगी।

ब्याज दरें

रिज़र्व बैंक ने 29 अप्रैल 2002 को बैंकों को सूचित किया था कि वे 1-3 वर्ष की मीयाद वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) (एफसीएनआर) (बी) जमाराशियों के लिए संबंधित मुद्रा / समनुरूपी मीयाद के लिए लिबोर / स्वैप्स दर मायनस 25 आधार पाइंट की अधिकतम दर के भीतर स्थिर तथा चल दरें का प्रस्ताव करें। बैंकों द्वारा येन जमाराशियों पर लिबोर मायनस 25 आधार पाइंट पर ब्याज वसूलने में होने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने अब बैंकों को यह स्वतंत्रता दे दी है कि वे येन जमाराशियों के संदर्भ में लिबोर के बराबर अथवा कम पर एफसीएनआर (बी) जमाराशि दरें तय कर सकते हैं।

रूपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रूपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज दरों में कटौती की वैधता 30 अप्रैल 2003 तक बढ़ायी गयी है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रूपया निर्यात ऋण पर लगायी गयी ब्याज दरों की सीमाएं 26 सितंबर 2001 से 31 मार्च 2002 तक सभी स्तरों पर एक प्रतिशत पॉइन्ट से कम की गयी थीं ।यह कटौती पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर दोनों ऋणों के लिए लागू थी। उसके बाद यह रियायत 30 सितंबर 2002 तक बढ़ायी गयी थी।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू, सितम्बर और अक्तूबर 2002)

अंग्रेजी हमारे सार्वजनिक जीवन पर जब तक छाई रहेगी
तब तक भारतीय भाषाओं में देश का
आम व्यवहार चलाना संभव नहीं होगा।

- आचार्य रघुनाथ भट्ट

बैंकिंग परिदृश्य

(राशि करोड़ रुपयों में)

चयनित संकेतक *		2 नवम्बर 2001	1 नवम्बर 2002
1. कुल जमाराशियां	:	10,52,603	12,46,357
2. बैंक ऋण	:	5,45,934	6,79,885
3. ऋण-जमा अनुपात	:	51.87%	54.55%
4. नकद-जमा अनुपात	:	7.80%	6.99%
5. निवेश - जमा अनुपात	:	39.55%	40.55%

6. जनसंख्या समूह		रिपोर्ट करनेवाले कार्यालयों की संख्या	कुल योग का प्रतिशत	कुल जमाराशियां (करोड़ रुपयों में)	कुल योग का प्रतिशत	सकल बैंक ऋण (करोड़ रुपयों में)	कुल योग का प्रतिशत
ग्रामीण	जून 2001	32,526	49.19	1,40,799	14.52	56,520	10.31
	जून 2002	32,394	48.81	1,59,001	13.85	65,419	9.90
अर्धशहरी	जून 2001	14,574	22.04	1,91,238	19.73	61,481	11.22
	जून 2002	14,727	22.19	2,17,721	18.96	71,277	10.79
शहरी /	जून 2001	19,019	28.76	6,37,202	65.74	4,29,744	78.45
महानगरीय	जून 2002	19,234	28.98	7,71,206	67.18	5,23,841	79.30
योग	जून 2001	66,119	(100)	9,69,239	(100)	5,47,746	(100)
	जून 2002	66,355	(100)	11,47,930	(100)	6,60,538	(100)

*** टिप्पणी :**

(1) मद संख्या 1 से 5 में दिये गये आंकड़े 2 नवम्बर 2001 और 1 नवम्बर 2002 की स्थिति दर्शाते हैं । ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिनांक 17 नवम्बर 2001 और 16 नवम्बर 2002 के "वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट" से लिये गये हैं तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं ।

(2) मद सं. 6 में दिये गये आंकड़े जून 2001 और जून 2002 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति दर्शाते हैं । ये आंकड़े भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित, बैंकिंग सांख्यिकी से संबंधित जून 2001 और जून 2002 की तिमाही पुस्तिकाओं पर आधारित हैं ।

जमाराशियों / ऋण की मात्रा के अनुसार सर्वोच्च स्तर के पच्चीस केन्द्र

जून 2002

(राशि लाख रुपयों में)

जमाराशियाँ					ऋण				
दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)	दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुंबई	1,468	180296,55	41.7	1	मुंबई	1,468	189936,35	58.7
2	दिल्ली	1,391	122037,99	16.7	2	दिल्ली	1,391	81282,78	18.3
3	कोलकाता	990	40322,69	10.4	3	चेन्नई	775	35781,84	12.3
4	बंगलूर	763	34312,46	25.4	4	कोलकाता	990	27164,62	21.8
5	चेन्नई	775	31050,33	19.4	5	बंगलूर	763	19330,97	14.6
6	हैदराबाद	536	21976,76	19.3	6	हैदराबाद	536	14141,05	9.9
7	अहमदाबाद	478	13632,42	17.7	7	अहमदाबाद	478	11072,23	17.5
8	पुणे	328	12353,04	16.4	8	चंडीगढ़	161	10619,56	9.2
9	लखनऊ	237	10856,53	16.1	9	पुणे	328	7452,81	25.4
10	चंडीगढ़	161	8313,27	14.9	10	जयपुर	239	5039,50	13.4
11	जयपुर	239	7002,99	11.0	11	कोयम्बतूर	184	5014,68	9.5
12	कानपुर	291	6930,41	12.7	12	वड़ोदरा	195	4839,38	0.7
13	वड़ोदरा	195	6680,62	8.9	13	लुधियाना	207	4423,75	7.4
14	पटना	171	5917,98	10.5	14	लखनऊ	237	4326,94	16.8
15	जालंधर	156	5856,47	13.8	15	दोराहा	5	4123,12 (121,19)	23.5
16	लुधियाना	207	5690,35	13.2	16	इन्दौर	184	3804,15	4.2
17	कोची	216	5583,67	11.6	17	कोची	216	3513,11	8.3
18	तिरुवनन्तपुरम	159	5371,78	20.2	18	तिरुवनन्तपुरम	159	2895,77	24.1
19	इन्दौर	184	4755,22	16.8	19	श्रीनगर	93	2407,68	6.1
20	भोपाल	164	4727,00	17.1	20	भोपाल	164	2196,86	9.3
21	कोयम्बतूर	184	4657,51	20.4	21	विशाखापट्टनम	130	2123,51	5.6
22	नागपुर	171	4368,34	14.3	22	नागपुर	171	2001,72	14.2
23	अमृतसर	155	4317,43	13.0	23	कानपुर	291	1981,67	1.6
24	सूरत	164	4191,54	17.2	24	रायपुर	59	1967,10	94.9
25	देहरादून	80	4019,73	60.3	25	तिरुपुर	50	1903,65	4.7

(स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकी तिमाही पुस्तिका जून 2002)

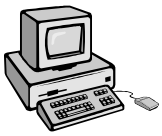

कंप्यूटर परिभाषा कोश *

EOF(End of File) **फाइल का अंत, एंड ऑफ फाइल :** यह एक विशेष अक्षर (कैरेक्टर) है, जो फाइल के अंत को चिन्हित करता है। आस्की में इसकी कुंजी कंट्रोल +Z है दशमलव पद्धति में इसका मान 26 है तथा षड्दशमिक (हेक्साडेसिमल) में IA है।

Erase -**अपमार्जन, इरेज :** 1.डिस्क से फाइल हटा देना। 2. परिचालन प्रणाली (ऑपरेटिंग सिस्टम) का एक आदेश। जो फाइलों को अपमार्जन करता है। इरेज और डिलीट में थोड़ा अंतर है। इरेज डाटा को स्थायी रूप से नष्ट कर सकता है। जबकि डिलीट डाटा का कंप्यूटर से संपर्क तोड़ता है, परंतु भौतिक रूप से भंडार में डाटा रहता है और उसे पुनः उस समय तक प्राप्त किया जा सकता है, जब तक कि हटाये गये डाटा का स्थान नया डाटा नहीं ले लेता।

ERP (Enterprise Resource Planning) -**उद्यम संसाधन आयोजना ई आर पी :** कारोबार सूचना के प्रबंधन का वह दृष्टिकोण, जिसमें उद्यम के सभी पहलुओं से संबंधित डाटा को प्राप्त करने के लिए अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) सॉफ्टवेयर का प्रयोग हो सके और उसपर भरोसा किया जा सके। इससे कारोबार के सभी पहलुओं (वित्त, निर्माण, तैयार माल की सूची, जन-संसाधन, बिक्री आदि) के बारे में सभी जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त हो सकती है और संपूर्ण कारोबार पर नियंत्रण और निगरानी रखी जा सकती है।

Error Message -**त्रुटि संदेश, एरर मेसेज :**एक छोटी सूचना, जिसे कंप्यूटर यह सूचित करने के लिए प्रदर्शित करता है कि क्रमादेश (प्रोग्राम) ठीक कार्य नहीं कर रहा है अथवा प्रयोक्ता ने कोई त्रुटि की है। कभी-कभी केवल त्रुटि नंबर ही दिखाया जाता है।

Execute -**निष्पादन, एक्जीक्यूट:** 1.किसी क्रमादेश का प्रारंभ 2. कोई कार्य करना 3. प्रदर्शित करना 4. किसी प्रोग्राम से संबंधित मशीन कूट की मेमरी में लोड़ कर तदनुसार कार्य करना।

Exit -**एग्ज़िट :** किसी क्रमादेश (प्रोग्राम) से बाहर आने या उसका समापन करने के लिए आदेश। कई क्रमादेशों का अंत करने के लिए एग्ज़िट कमांड (आदेश) का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे, कुछ मामलों में कंट्रोल + आल्ट + डिलीट। यह ' क्विट ' के समान भी प्रयुक्त होता है।

Expand -**विस्तार, एक्सपांड :** संपीडित फाइलों को मूल रूप में वापस लाना। ताकि कंप्यूटर उस पर कार्रवाई कर सके। आइ बी एम कंप्यूटरों पर प्रायः फाइलों को *पीकेज़िप* द्वारा संपीडित करके रखा जाता है। मैंकिंटॉश कंप्यूटरों में 'स्टफ' द्वारा संपीडन किया जाता है।

Expert System -**सुविज्ञ प्रणाली, एक्सपर्ट सिस्टम :** एक ऐसा क्रमादेश (प्रोग्राम), जो मानव-ज्ञान के समान ही विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे चिकित्सा, विज्ञान आदि में उसकी नकल कर सकता है। इस प्रणाली में किसी कुशल व्यक्ति से एकत्रित की गयी सूचनाओं के साथ प्रक्रियागत प्रणाली के नियमों का भी उल्लेख मिलता है। यह प्रणाली प्रयोक्ता से कुछ प्रश्न भी करती है और निष्कर्ष प्रायः मानव द्वारा दिये गये निष्कर्ष के अनुरूप ही होते हैं।

Explode - **एक्सप्लोड :** पूर्व संपीडित फाउलों को पुनः क्रियान्वित करने की प्रक्रिया का दूसरा नाम। एक्सपांड, कम्प्रेस आदि का दूसरा रूप।

Extension -**विस्तार, एक्सटेंशन :** एम एस - डॉस फाइल नाम के लिए अतिरिक्त विकल्प, जो तीन अन्य अक्षरों को ग्रहण करता है। ये अक्षर प्रायः नाम में बिंदु के बाद लिखे होते हैं। यह विस्तार प्रायः फाइल के प्रकार को दर्शाता है और किस प्रकार का क्रमादेश है। इसकी जानकारी प्रदान करता है। पास्कल फाइल में पीएएस होता है। बेसिक में बीएएस विस्तार होता है। कुछ अन्य उदाहरण DOC,BIN, COM,EXE, BAT,DBF आदि है।

FAT (File Allocation Table) - **फाइल आबंटन तालिका, फैट :** परिचालन प्रणाली इस तालिका को हमेशा बनाये रखती है। इसमें डिस्क में उपलब्ध डिस्क स्थान के सभी खंडों की सूची तो रहती ही है, साथ ही इसमें डिस्क में प्रत्येक खंड कहा पर है, वह प्रयोग में है अथवा नहीं या किसी खराबी के कारण उपलब्ध नहीं हैं, आदि बातें दर्शायी जाती हैं।

---

* कंप्यूटर परिभाषा कोश **(संपादक डॉ. राजेश्वर गंगवार)**, भा.रि.बैं., कें.का., बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, मुंबई - 400 005 द्वारा प्रकाशित कोश है। यहां पर उक्त कोश में से कतिपय चयनित शब्दों को लिया गया है।

Fatal Error -**गंभीर त्रुटि :** ऐसी त्रुटि, जो किसी प्रोग्राम का निष्पादन या कंप्यूटर को पूर्ण रूप से रोक दे तथा किसी भी परिस्थिति में निष्पादन (पुनः बूट किये बिना) जारी न रखा जा सके।

Fault Tolerance - **त्रुटि सहनशीलता :** किसी कंप्यूटर परिचालन प्रणाली की किसी त्रुटि या हार्डवेयर के विफलन की अवस्था में भी डाटा के दूषित या क्षतिग्रस्त न होने देने को सुनिश्चित करने की क्षमता त्रुटि सहनशीलता होती है। त्रुटि सहनशीलता को बैटरी से विद्युत आपूर्ति, बैकअप हार्डवेयर, परिचालन प्रणाली की क्षमता या इनके किसी मिश्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है। डाटा की सुरक्षा के लिए बैकअप या किसी अन्य स्थान पर भी डाटा की कॉपी रखकर इसे प्राप्त किया जाता है।

Feasibility Study - **साध्यता-अध्ययन :** सॉफ्टवेयर के विकास का एक प्राथमिक चरण। इसमें प्रस्तावित प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कर यह निश्चित किया जाता है कि यह प्रोजेक्ट विकास योग्य है या नहीं। इसमें सामान्यतया सॉफ्टवेयर बनाने में लगने वाला समय, धन, जरूरी तकनीकी तथा इनकी रोशनी में उसकी उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है।

Field - **क्षेत्र, फील्ड :** डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली में किसी एक रिकॉर्ड में वह आरक्षित स्थान, जहां एक ही तरह का डाटा भंडारित किया जाता है। इसे कॉलम भी कहते हैं। एक रिकॉर्ड में कई क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे कर्मचारी फाइल में कर्मचारी का नाम, जन्म-तिथि, पता, पद आदि के क्षेत्र हो सकते हैं। किसी क्षेत्र की विषयवस्तु उस क्षेत्र के आकार-प्रकार (जैसे अक्षर, संख्या, अक्षरांक, तार्किक आदि) पर निर्भर करती है।

Field Name - **क्षेत्र / फील्ड का नाम :** डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली में किसी डाटाबेस के किसी क्षेत्र को दिया गया विशेष नाम। यह उस क्षेत्र की पहचान बताता है।

Field Type - **क्षेत्र का प्रकार, फील्ड टाइप :** डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली में किसी डाटा बेस के किसी क्षेत्र में भंडारित किये जाने वाले डाटा का प्रकार। डाटा के प्रकार निम्नलिखित हो सकते हैं : अक्षर, अक्षरांकीय, संख्या (अंकीय), तार्किक (सत्य / असत्य), लंबे पाठ तथा करेन्सी आदि। एक बार निश्चित करने के पश्चात् क्षेत्र के प्रकार को सामान्यतया बदला नहीं जा सकता। यह निश्चित करता है कि उस क्षेत्र पर किस तरह का कलन या व्यवहार होना चाहिए, जैसे अक्षर वाले क्षेत्र में गुणा या भाग नहीं किया जा सकता है।

FIFO (First In First Out) - **फीफो :** इसका अर्थ है, पहले आओ पहले जाओ, अर्थात् जो डाटा पहले प्रविष्ट होगा, इसका निष्पादन पहले होगा।

Fifth Generation Computer - **पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर :** ये कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत बड़े स्तर पर एकीकरण तथा वितरित कलन / गणना की क्षमता वाले होंगे।

File - **फाइल :** सूचना का वह पूर्ण समूह, जिसे कोई नाम दिया गया हो। यह प्रोग्राम फाइल, प्रलेख फाइल या डाटा का व्यवस्थित समूह हो सकता है। यह भंडारण की मूल इकाई है तथा किसी कंप्यूटर के एक डाटा को दूसरे से अलग रखने में मदद करती है। प्रयोक्ता फाइल में सूचना रख सकता है, परिवर्तित कर सकता है, जरूरत पड़ने पर प्राप्त कर सकता है और प्रिंटर पर प्रिंट भी कर सकता है। प्रोग्रामों या अनुदेशों के माध्यम से इस पर कार्य किया जा सकता है।

File Attribute - **फाइल के गुण, फाइल एट्रीब्यूट :** फाइल के साथ वह गुण, जो उसके उपयोग को नियंत्रित करता है, जैसे रीड ओन्ली (पठन मात्र) फाइल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हिडन (गुप्त) फाइलों को साधारण *DIR* आदेश (कमांड) द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है, आदि आदि।

File Compression - **फाइल संपीडन :** संप्रेषण अथवा भंडारण के लिए किसी फाइल का आकार संपीडित करके कम कर देना।

File Conversion - **फाइल रूपांतरण :** एक फाइल की भाषा या विन्यास को दूसरी भाषा अथवा विन्यास में परिवर्तित या रूपांतरित करना। *(Import* भी देखें)

File Format -**फाइल संरूप :** किसी फाइल की संरचना, जो उसमें सूचना के भंडारण के तरीके को परिभाषित करती है। यह संरूप सादा आस्की (ASCII) से लेकर संवर्धित फाइल संरचना (RTF), डाटा अंतःपरिवर्तन संरूप (DIFC), टेगयुक्त फाइल इमेज (TIFF)आदि हो सकता है।

File Fragmentation -**फाइल विखंडन, फाइल फ्रैग्मेंटेशन :** 1. डिस्क पर किसी फाइल के भेटे-छोटे खंडों का विभिन्न हिस्सों में भंडारण। ऐसा किसी फाइल को अलग-अलग समय पर अद्यतन करने से हो सकता है, क्योंकि तब फाइलें संस्पर्शी (आस-पास के) सेक्टरों में नहीं लिखी जातीं। ऐसी परिस्थिति में डिस्क से फाइल को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। *Defrag* द्वारा फाइल को संस्पर्शी सेक्टरों में लिखा जाता है। 2. डाटाबेस फाइल में वह स्थिति, जब रिकॉर्डों को उचित क्रम में नहीं रखा जा सके। बीच के रिकॉर्डों को मिटाने या नया रिकॉर्ड जोड़ने से ऐसा होता है।

File Handle - **फाइल हैंडल :** डॉस / विंडोज में एक तरह का टोकन नंबर, जिससे परिचालन प्रणाली किसी फाइल को पहचानती है। यह किसी खुली फाइल को परिचालन प्रणाली द्वारा आंबटित टोकन नं. हो सकता है।

File Manager - **फाइल प्रबंधक :** विंडोज का एक अनुप्रयोग (एप्लीकेशन), जो कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों, निर्देशिकाओं तथा डिस्कों का प्रबंधन करता है। यह किसी डिस्क या निर्देशिका में उपलब्ध फाइलों की चित्रमय सूची भी दिखाता है।

File Name - **फाइल का नाम :** किसी फाइल को प्रयोक्ता या फाइल बनाने वाले प्रोग्राम द्वारा दिया गया नाम। यह अक्षरों, अंकों, अधिकृत (नाम के लिए) संकेतों का समूह होता है, जो विशिष्ट होता है तथा अन्य फाइलों को उससे अलग करता है। फाइल का नाम दो हिस्सों में होता है। डॉस में पहले हिस्से में अधिकतम 8 तथा दूसरे हिस्से - विस्तृति (extension) में केवल अधिकतम तीन कैरेक्टर होते हैं, हालांकि विंडोज ' 95 में फाइल का नाम 255 कैरेक्टर तक हो सकने की संभावना बतायी जाती है।

File Name Extension - **फाइल का नाम विस्तार :** डॉस में ऐच्छिक तीन कैरेक्टरों का एक प्रत्यय। इसकों फाइल के नाम के अंत में लिखा जाता है तथा एक बिंदु (.) द्वारा इसको नाम के अन्य हिस्सों से अलग किया जाता है। कुछ अनुप्रयोग (ऐप्लिकेशन) प्रोग्राम अपनी फाइलों को स्वयं ही विस्तृति प्रदान करते हैं। कुछ आम विस्तृतियां निम्नलिखित हैं :*ASM, BAK, BAS, BAT, BIN, CHK, DAT, DBF, DBT, DLL, DRV, FMT, FPM, GRP, HLP, GIF, MSG, PIC, PRG, PRS, PM SYS* आदि।

File Recovery - **फाइल की पुनः प्राप्ति :** किसी गलती से मिटायी गयी फाइल को मूल रूप में लाना । कभी-कभी डिस्क के खराब होने से फाइलों को पढ़ा नहीं जा सकता । इन परिस्थितियों से निपटने के लिए उपयोगिता प्रोग्राम उपलब्ध है । ये प्रोग्राम डिस्क पर उस फाइल के बारे में उपलब्ध जानकारी इकट्ठी करके फाइल को दुबारा बनाने की चेष्टा करते हैं । परंतु हमेशा पूरी फाइल की पुनः प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि किसी गलती से मिटी फाइल वाले स्थान पर यदि कंप्यूटर ने कोई अन्य फाइल या उसका कोई खंड लिख दिया है तो मूल फाइल की प्राप्ति की कोई संभवना ही नहीं है ।अतः यदि गलती से कोई फाइल डिस्क से हटा दी गयी हो तो उस डिस्क पर अन्य कोई कार्य करने से पहले उपयोगिता प्रोग्रामों के माध्यम से फाइल की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए तथा कुछ अच्छे प्रोग्रामों का उपयोग कर इन मामलों में शत-प्रतिशत पुनः प्राप्ति भी संभव है पर सबसे अच्छा तरीका जरूरी फाइलों का समय-समय पर बैकअप लेना है ।

File Size- **फाइल का आकार/ साइज :** फाइल का आकार बाइटों में होता है । बाइटों की संख्या से जाना जाता है कि फाइल का आकार कितना बड़ा है । किसी डिस्क पर भंडारित फाइल के दो आकार (साइज) होते हैं तथा साधारणतया ये अलग ही होते हैं - (1) तार्किक आकार और (2) भौतिक आकार । तार्किक आकार उसका वास्तविक आकार होता है , जबकि भौतिक आकार उसके द्वारा डिस्क पर घेरे जानेवाले खंडों (क्लस्टरों) की संख्या तथा एक खंड में रखी जा सकने वाली बाइटों का गुणफलन होता है । ऐसा डिस्क पर डाटा को डिस्क खंडों में रखे जाने के कारण होता है । ऐसी संभावना कम होती है कि डिस्क पर फाइल द्वारा घेरे जानेवाले अंतिम क्लस्टर को भी फाइल पूरा भर दे । सामान्यतया फाइल लिखे जाते वक्त अंतिम इस्तेमाल किये गये क्लस्टर में कुछ जगह खाली रह सकती है । अतः इन दोनों आकारों में अंतर होता है ।

File System - **फाइल प्रणाली :** किसी परिचालन प्रणली में फाइलों को नाम देने, भंडारित करने एवं व्यवस्थित करने में उपयोग में आने वाली संरचना । सूचना को भंडारित करने तथा भंडारित सूचना की पुनः प्राप्ति की व्यवस्था हेतु फाइलें तथा निर्देशिकाएं (डाइरेक्ट्रियां) उपलब्ध रहती हैं ।

Filter - **फिल्टर :** 1. किसी प्रोग्राम का कोई हिस्सा , जो इन्पुट लेकर उसे विशेष स्टाइल में दर्शाता है , जैसे डॉस का MORE आदेश , FIND तथा SORT भी कुछ इसी तरह के आदेश हैं । 2. डाटाबेस में से कुछ विशेष रिकॉर्ड ही दिखाना , जो FILTER द्वारा सेट प्रमाण के अनुकूल हों । 3. एक पैटर्न, जिसके माध्यम से डाटा के गुजरने पर कुछ इच्छित डाटा प्राप्त हों , जैसे E-MAIL संदेशों को छांटना । 4. संचार में वह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जो सूचना के कुछ हिस्सों को चुन सके तथा कुछ विशेष हिस्सों को कम कर संचार जारी रखे । जैसे कुछ फिल्टर कुछ विशेष फ्रीक्वेन्सी के सिग्नलों को ज्यों का त्यों भेजते हैं तथा कुछ ज्यादा/कम फ्रीक्वेन्सी के सिग्नलों का क्षीणन करते हैं, वहीं कुछ फील्टर किसी विशेष फ्रीक्वेन्सी सेज्यादा/कम वाले सिग्नलों को ही पास करते हैं ।

Find- **ढूंढना :** डॉस तथा ओ एस /2 का विशेष फिल्टर आदेश (कमांड), जो दी गयी लड़ी (स्ट्रिंग) को फाइल / पाठ में ढूंढ़ता है ।

Find and Replace - **ढूंढना और प्रतिस्थापित करना :** ऐसा क्रमादेश, जो किसी सूचना(शब्द,वाक्यांश आदि) का पता लगाकर उसके स्थान पर किसी अन्य सूचना को प्रतिस्थापित करता है । यह क्रमादेश प्रत्येक शब्द संसाधन पैकेज में उपलब्ध होता है ।

Fixed Length Field- **निश्चित लंबाईवाले क्षेत्र :** डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली में किसी रिकार्ड या डाटा भंडारण में वह क्षेत्र, जिसका बाइटों में आकार (साइज) पूर्व निश्चित तथा सम होता है, यह डिस्क पर हमेशा एक-सा ही स्थान घेरते हैं, चाहे उसमें लिखा वास्तविक डाटा कितना भी हो, जैसे यदि नाम *(Name)* के लिए 35 कैरेक्टर रखे गये हैं, तो नाम छोटा होने पर भी वह डिस्क पर 35 बाइट जगह ही घेरेगा ।

Fixed Length Record-**निश्चित लंबाइ वाला रिकार्ड :** डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली में वह रिकार्ड, जिसके सभी क्षेत्रों का आकार (साइज) निश्चित होता है ।

Fixed Point Notation -**निश्चित बिंदु अंक विद्या :** संख्याओं के भंडारण/ प्रदर्शन का वह तरीका, जिसमें दशमल व बिंदु हमेशा एक ही स्थान पर आता है ।

Fixed Storage -**निश्चित भंडार :** कोई स्थिर / अवलायमान डाटा भंडारण व्यवस्था, जैसे हार्ड डिस्क, जो एक सीलबंद इकाई होती है, जिसे कंप्यूटर पर लगाया (फिक्स किया) जाता है ।

Flag-**संकेत, फ्लैग :** 1.एक तरह का संकेतक, जिसका उपयोग कंप्यूटर सूचना के संसाधन / अर्थ निर्णय में करता है, 2.एक संकेत, जो किसी विशेष परिस्थिति के अस्तित्व की सूचना देता है । 3.HDLC संचार प्रोटोकोल में यह एक अनूठा बिट समूह (0111 1110) है, जो संदेश इकाई का प्रारंभ तथा अंत बताता है । संकेतों का उपयोग प्रोग्रामिंग, संचार तथा सूचना संसाधन में होता है, उपयोग के आधार पर यह फ्लैग कूट, डाटा में सन्निहित हो सकता है, जो किसी स्थिति को परिभाषित करता है अथवा हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर द्वारा आंतरिक रूप से नियत एक या दो बिट हो सकते हैं, जो किसी घटना का संकेत देते हैं (जैसे कि त्रुटि या दो मानों की तुलना का परिणाम आदि)

Flat File -**सादा फाइल :** वह फाइल, जिसमें केवल एक ही तरह के रिकार्ड होते हैं तथा रिकार्डों के आपसी संबंधों के बारे में संरचना सूचना सन्निहित नहीं होती ।

Flat File Database-**सादा फाइल डाटाबेस** : यह डाटाबेस एक टेबल (सारिणी) के रूप में होता है तथा एक बार में केवल एक ही फाइल के साथ कार्य कर सकता है । यह सापेक्ष डाटाबेस (रिलेशनल डाटाबेस) से बिलकुल अलग है ।

Flat File System-**सादा फाइल प्रणाली :** एक ऐसी फाइल प्रणाली , जिसमें किसी भी परिस्थिति में डिस्क पर उपलब्ध दो फाइलों के नाम समान नहीं हो सकते, चाहे वे अलग-अलग निर्देशिका (डाइरेक्ट्री) या उप निर्देशिका में क्यों न हों ।

Flow Chart -**प्रवाह चार्ट, फ्लो चार्ट** : किसी प्रोग्रॅम / सूचना संचालन प्रणाली में डाटा के प्रवाह नियंत्रण का चित्रमय विवरण । यह विभिन्न परिस्थितियों में डाटा के व्यवहार का निरूपण भी करता है । इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को दिखाने हेतु वर्ग, चतुर्भुज, अंडाकार, आयताकार, वृत्ताकार संकेतकों का उपयोग किया जाता है । इनको पंक्तियों, तीरों की सहायता से संबद्ध कर डाटा प्रवाह या नियंत्रण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना दिखाया जाता है । ये वर्तमान प्रोग्राम कैसे कार्य करेगा, यह दिखाने के अलावा प्रोग्राम को समझने में भी उपयोगी होते हैं ।

Folder-**फोल्डर :** चित्रमय यूजर इंटरफेस (GUI)में डिस्क पर भंडारित फाइलों, प्रोग्रामें को रखने वाला डिब्बा, जिसे एक आइकॉन द्वारा प्रतिक रूप में दर्शाया जा सकता है । एक फोल्डर के अंदर अन्य फोल्डर भी हो सकते है । फोल्डर डॉस परिचालन प्रणाली में उपलब्ध निर्देशिका का समरूप है, अर्थात् फोल्डर में अन्य फोल्डर तथा फाइलें दोनों ही हो सकते हैं ।

Footer-**फुटर :** किसी पृष्ठ के अंत में प्रिंट की गयी एक या अधिक पंक्तियों का समूह, जो उस पृष्ठ की पहचान बताता है । यह पृष्ठ संख्या, तारीख या प्रलेख के बारे में अन्य जानकारी भी दे सकता है ।

Format-**फॉर्मेट :** 1. किसी डाटा इकाई की संरचना । 2. किसी पैराग्राफ (अनुच्छेद) में टेक्स्ट रखने के तरीके से संबंधित निर्देश । 3. डॉस या ओ एस/2 अनुदेश, जिसका उपयेग कर फ्लॉपी डिस्क की भैतिक त्रुटियों के बारे में जानकारी मिलती है तथा उस पर फाइल प्रणाली की रचना की जाती है । बिना फार्मेट की हुई किसी भी नयी फ्लॉपी का उपयोग संभव नहीं है । हालांकि कभी-कभी बिक्रेता ही उसे फॉर्मेट करके बेचता है । यदि किसी ऐसी डिस्क या फ्लॉपी जिस पर कुछ फाइलें हैं, को फॉर्मेट करें तो उस पर उपलब्ध मूल जानकारी नष्ट हो सकती है ।

FORTRAN - **फोर्ट्रान :** Formula और translation शब्दों से बने नाम से जानी जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा । इस भाषा को आइ बी एम के जिन बैकस ने 1958 में विकसित किया था तथा यह अनुभाषित होने वाली पहली उच्च स्तरीय भाषाओं में से एक है । इसका उपयोग इंजीनीयरिंग, तकनीकी तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में काफी होता है । पिछले 40 साल में इसमें काफी सुधार आया है तथा यह आजकल भी उपयोग में आ रही है ।

(अगले अंक में जारी .....)

पुरस्कृत निबंध

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समस्या या समाधान*

राजेंद्र सिंह,
उप मुख्य अधिकारी,
इंडियन ओवरसीज बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ - 226 001.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की संस्तुति भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री एम.एस. वर्मा की अध्यक्षता में गठित एक कार्य दल ने की थी । इस कार्य दल का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया था । इसका उद्देश्य कमजोर बैंकों की दशा सुधारने के लिये वित्तीय, संगठनात्मक एवं परिचालनात्मक पुनर्संरचना के लिये एक प्रभावी रणनीति बनाने का था । इस कार्य दल की महत्वपूर्ण संस्तुति वी आर एस के माध्यम से कर्मचारियों में 25 प्रतिशत कटौती करना है।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वी आर एस) योजना

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वी आर एस) स्वैच्छिक है अर्थात यह कर्मचारियों की इच्छा पर है कि वे इसे लें या न लें। बैंक के सभी स्थायी पूर्ण कालिक कर्मचारी जो निम्न अर्हताएं पूरी करते हैं, इसके पात्र हैं :

* जिसने 15 वर्ष की सेवा अथवा 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
* कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां निर्धारित की गयी हैं जो वी आर एस के पात्र नहीं है जैसे विशेषज्ञ अधिकारी, विशेष अनुबंध पर रखे गए व्यक्ति, ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या लम्बित है या अन्य कोई भी श्रेणी जिसे निदेशक मण्डल उचित समझता है। परन्तु इसमें विभिन्न बैंकों द्वारा अलग-अलग पैमाने लगाए गये हैं और विशेषज्ञ अधिकारियों को भी वी आर एस योजना के अन्तर्गत लाया गया है।
* इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के बदले 60 दिन का वेतन (2 माह) अथवा जितने माह की नौकरी बची है उसका वेतन, दोनों में जो भी कम है, अनुग्रह राशि के रूप में दिया जायेगा। गणना अन्तिम वेतन आहरण के आधार पर होगी। वेतन के अन्तर्गत मूल वेतन, विशेष वेतन, स्थिरता वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता शामिल होगा।
* बैंक अपनी सुविधानुसार अनुग्रह राशि का 50 प्रतिशत नकद और अवशेष 50 प्रतिशत 5 वर्षीय बांड के रूप में देंगे जिस पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से हर छमाही ब्याज देय होगा। अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिये विभिन्न बैंक बोर्ड अपने तरीके निकाल सकते हैं अर्थात यदि चाहें तो सम्पूर्ण राशि का एक ही बार नकद भुगतान कर सकते हैं।
* उक्त अनुग्रह राशि के अतिरिक्त कर्मचारियों को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति होने पर मिलते हैं।
* 6 माह या अधिक की अवधि को अनुग्रह राशि की गणना के लिये पूरा वर्ष मान लिया जायेगा तथा 6 माह से कम की अवधि को छोड़ दिया जायेगा।
* बैंक स्टाफ ऋणों जैसे आवासीय ऋण की अदायगी के लिये विशेष सुविधाएं दे सकते हैं जैसे या तो ऋण को पी एल आर पर निर्धारित कर किस्तों में अदायगी जारी रखी जाए या पूरा ऋण भुगतान की राशि में से समायोजित कर लिया जाए।
* बैंक को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी समय इस योजना को वापस ले सकता है।
* बैंक इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को एक रजिस्टर में क्रमानुसार दर्ज करेंगे तथा "प्रथम आगत प्रथम स्वागत" के आधार पर इसका निपटान करेंगे।

---

* पत्रिका के स्वरुप को देखते हुए लेख को संक्षिप्त किया गया है ।

* बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि वह चाहे तो प्रार्थना-पत्र स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। परन्तु किसी भी स्थिति में कर्मचारी को इसका कारण बताते हुए लिखित रूप में सूचित किया जायेगा।

* अस्वीकृति की स्थिति में यदि कर्मचारी प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय से असहमत है तो वह अपीलीय अधिकारी के पास 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी अपील प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के भीतर इस पर अपना निर्णय देगा।

* एक बार कर्मचारी द्वारा इसे अपना लेने के बाद वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

वी आर एस का अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव

वी आर एस के इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विश्व के अनेक संगठनों द्वारा 1980 के प्रारम्भ से ही इस योजना को लागू किया जाता रहा है। परन्तु अनुभवों से पता चलता है कि इनके परिणाम कोई अच्छे नहीं रहे। उदाहरण के तौर पर "फारचून 500" कहे जाने वाले संगठन जैसे एटी एण्ड टी, कोडक, आई बी एम, अमेरिकन एक्सप्रेस, जनरल मोटर्स, जापान एअर लाइन्स, निप्पन ट्रस्ट बैंक, फ्यूजित्सु आदि ने 1980 के दशक में वी आर एस योजना लागू की।

आज पश्चिमी देशों में छंटनी एक फैशन सा हो रहा है। परन्तु इन देशों को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि कर्मचारियों के नौकरी से बाहर जाने के बाद बाज़ार में मांग घट जाती है क्योंकि क्रय शक्ति घट जाती है। नतीजा यह होता है कि अर्थव्यवस्था बैठने लगती है। इन सबके बावजूद पश्चिमी देश इससे सबक नहीं सीख रहे हैं।

क्या अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव से हमें सीख लेनी चाहिए ?

आज छंटनी का एक परिष्कृत रूप हम "वी आर एस" के नाम ले आए हैं। आज चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हों या छोटी-बड़ी कम्पनियां हों सभी वी आर एस का मंत्र सीख रही हैं। परन्तु क्या कभी हमने सोचा है कि भारत आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है और ऐसे में वी आर एस आग में घी का काम कर सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर वी आर एस का प्रभाव

* **शुद्ध लाभ में कमी**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर वी आर एस का जो तत्काल प्रभाव पड़ा है वह उनके शुद्ध लाभ में कमी होना है।

वी आर एस के कारण 1999-2000 की तुलना में 2000-2001 में शुद्ध लाभ में 16 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अब तक 126000 कर्मचारी वी आर एस ले चुके हैं। इन कर्मियों को लगभग रु. 15000 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक और वी आर एस

विश्व के सबसे बड़े बैंकों में गिने जाने वाले भारतीय स्टेट बैंक को वी आर एस से तगड़ा झटका लगा है। इस बैंक की लगभग 10000 शाखाएं हैं जिनमें लगभग 235805 कर्मचारी हैं जिनमें अधिक संख्या लिपिकीय वर्ग की है। इसी पर वी आर एस का लक्ष्य केन्द्रित किया गया था परन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। यहां से 25000 लोग वी आर एस में चले गये है जिसमें मुख्यतया अधिकारी वर्ग के हैं।

इसके शुद्ध लाभ में 21.8 प्रतिशत की कमी आई जो रु. 2052 करोड़ ('00-01) से रु. 1604 करोड़ ('00-01) हो गया।

वी आर एस का बढ़ता "फैशन"

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वी आर एस लागू होने के बाद वी आर एस एक फैशन सा बन गया है। अब तो केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये भी वी आर एस योजना प्रस्तावित की गयी है। इसके अनुसार वर्ष 2005 तक कुल कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य रखा गया है।

हमारे कार्पोरेट संस्थाओं - टेल्को, फिलिप्स, सीमेन्स, टिस्को, क्राम्प्टन ग्रीव्ज, इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया आदि में पहले से ही वी आर एस लागू किया गया है।

आज 3000 कम्पनियों के वार्षिक प्रगति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उसमें 80 कम्पनियां ऐसी हैं जिन्होंने मार्च 2001 तक रु. 2500 करोड़ वी आर एस पर व्यय किए हैं।

* **बचे अधिकारियों / कर्मचारियों पर काम का बढ़ता दबाव**

वी आर एस के पश्चात् बैंकों में काम का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। वी आर एस से प्रभावित शाखाओं के भ्रमण के दौरान लम्बी-लम्बी कतारें देखने को मिलीं। स्टाफ की कमी से दैनिक कार्य में बाधा पहुंच रही है। काउन्टर, मेजें - कुर्सियां खाली पड़ी हैं।

* **विशेषज्ञ और दक्ष कर्मचारियों की भरपाई नहीं**

वी आर एस लागू होने के बाद "उपयुक्त काम के लिये उपयुक्त आदमी" की समस्या उठ खड़ी हुई है। जहां विशेषज्ञ अधिकारी जैसे चार्टर्ड लेखा परीक्षक, विदेशी विनिमय विशेषज्ञ, सूचना तकनीक विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ वी आर एस पर चले गये हैं और भरपाई नहीं हो पाई है, वहां इन विभागों का काम ठप्प पड़ा हुआ है।

* **विशेषीकृत शाखाओं पर प्रतिकूल प्रभाव**

बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गयी है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक को लिखे बिना अपनी विशेषीकृत शाखाएं खोल सकते हैं। इसके अन्तर्गत बचत बैंक शाखाएं, व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं, औद्योगिक शाखाएं और लघु उद्योग शाखाएं खोली गयीं। वी आर एस के बाद इन शाखाओं को चलाने में परेशानी हो रही है।

* **ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव**

ग्राहकों को अब रोजमर्रा के कार्य जैसे जमा, भुगतान, ड्राफ्ट, बैंक आर्डर खरीद आदि के लिये काफ़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ग्राहक ही बैंक का मुख्य आधार है और इसके असन्तुष्ट होने से बैंकों के व्यवसाय (जमा संग्रहण और ऋण) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

वी आर एस से पहले काउन्टर के अन्दर आदमी दिखाई पड़ते थे। वी आर एस के बाद काउन्टर के अन्दर आदमियों की कमी हो गयी और काउन्टर के बाहर ग्राहकों की लम्बी कतारें हैं।

* **ग्रामीण बैंकिंग को झटका**

वी आर एस का झटका ग्रामीण बैंकिंग को लगा है। ग्रामीण शाखाओं की हालत काफी पतली नजर आ रही हैं। वी आर एस से पहले भी इन शाखाओं में स्टाफ की कमी थी और उसके बाद स्टाफ की और कमी हो गयी है।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस स्थिति में ग्रामीण बैंकिंग से न्याय किया जा सकता है ? ग्रामीण शाखा खोलने का उद्देश्य वहां के लोगों द्वारा किये गये बचत को बैंक में लाना, विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को ऋण आपूर्ति करना, ऋण देने से पहले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना, ऋण योजनाओं की तकनीकी सक्षमता और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करना, वसूली सुनिश्चित करने के लिये लाभार्थियों से सतत् सम्पर्क बनाए रखना, राज्य सरकारों के कर्मचारियों से समन्वय बनाए रखना आदि है जिससे उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके। ये सब कार्य अब गौण हो चुके हैं।ग्रामीण बैंकर एक 'रूटीन बैंकर ' बन कर रह गया है । इसके फलस्वरूप 'स्वयं सहायता समूहों' के गठन और उन्हें वित्त से जोड़ने की प्रक्रिया पर विराम सा लग गया है ।

* **अग्रिमों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव**

स्टाफ के अभाव में अग्रिमों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो आगे चलकर बैंकों के लिये हानिप्रद सिद्ध होगा। जब अग्रिमों का विकास नहीं होगा तो आय नहीं बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आयेगी। वी आर एस का उद्देश्य स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

* **गैर निष्पादक आस्तियों में वृद्धि की संभावना**

वी आर एस लागू होने के बाद ऐसा देखने में आ रहा है कि वसूली प्रमाण पत्र दायर खाते, मुकदमा दायर खाते, ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लम्बित खातों के अनुश्रवण और अनुवर्ती कार्रवाई में ढिलाई नजर आ रही है।इसके अतिरिक्त निम्नलिखित संभावनाएं भी बढ़ी हैं :-

i) संसाधनों का अपूर्ण उपयोग
ii) धोखाधड़ी
iii) स्टाफ की तैयारी में असंतुलन

वी.आर.एस. के लाभार्थियों की स्थिति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 8,50,000 कर्मचारी हैं जिसमें से लगभग 15 प्रतिशत वी आर एस पर चले गए हैं।

एक व्यक्ति को औसतन रु. 9 लाख से रु. 20 लाख तक भुगतान हुआ है। जो लोग वी आर एस पर गए हैं उनमें से 80-85 प्रतिशत अधिकारी वर्ग के हैं और मात्र 15-20 प्रतिशत लिपिक वर्ग के हैं।

वी आर एस की लोकप्रियता के कारण

वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु घटाए जाने की संभावना

यह एक महज इत्तफाक था कि जब वी आर एस की घोषणा की गयी उसी समय कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी गयी । उदाहरण के तौर पर इण्डियन एअर लाइन्स । भारतीय बैंक संघ ने भी भारत सरकार को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष करने की संस्तुति कर दी। इन सब बातों ने बैंक कर्मियों पर इतना असर डाला कि वे सब विश्वास कर बैठे कि बैंक में भी सेवानिवृत्ति आयु घटा दी जायेगी।

वी आर एस का आकर्षक पैकेज

वी आर एस का पैकेज इतना आकर्षक था कि लोगों को इसे अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कुछ लोग इस मनोवृत्ति के थे कि बिना काम किए हुए वेतन और भत्ता मिल रहा है तो इसका लाभ क्यों न उठा लिया जाए।

स्थानान्तरण का डर

चूंकि एक बैंक अधिकारी की सेवाएं राष्ट्रीय स्तर की होती हैं अतएव स्थानान्तरण का डर सताता रहता है। जिन अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा एवं शादी की समस्या सामने खड़ी होती है उनके लिए लम्बी दूरी के स्थानान्तरण लेने में कठिनाई अनुभव होती है। यही कारण है कि ऐसे अधिकारियों ने वी आर एस लेकर बैंक से किनारा कर लिया।

बैंक कर्मियों का गिरता मनोबल

एक कहावत है, "मन के हारे हार है, मन के जीते जीत" यह पूरी तरह यहां चरितार्थ होती है। मनोबल इतना गिरा हुआ था कि वे बैंक से किनारा करना ही अच्छा समझते थे। वी आर एस ने उन्हें एक सुनहरा मौका दे दिया।

हमने मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण पर पूरे जोर शोर से ध्यान दिया परन्तु मानव संसाधन पर नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि "आदमी कम्प्यूटर चलाते हैं, कम्प्यूटर आदमी नहीं चलाता" । मानव संसाधन की उपेक्षा करने के कारण वी आर एस को इतनी लोकप्रियता मिली है।

अनिश्चित भविष्य

बैंकों में बहुत से अधिकारी / कर्मचारी स्टैगनेशन स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस स्तर पर पहुंचने के बाद वेतन / भत्ते आदि में कोई नियमित वृद्धि नहीं होती।

इसी तरह बैंक में जो उच्च शिक्षा और पेशेवर योग्यता के लोग थे उनकी सेवाओं का लाभ उठाने में बैंक असफल रहे। अतएव उन्होंने बैंकों से किनारा करना ज्यादा उचित समझा।

अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर

बैंकों में विवेकपूर्ण मानदण्डों के लागू हो जाने के बाद अधिकारियों पर जवाबदेही की तलवार लटकती रहती है। निष्पादक आस्तियों के गैर निष्पादक हो जाने पर भी छानबीन की जाती है। इसी तरह दैनंदिन कार्यों में भी जोखिम बना रहता है। इन सब कारणों से अधिकारियों ने वी आर एस चुन लिया।

गिरता स्वास्थ्य

जिन बैंक कर्मियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और वे किसी तरह से काम कर रहे थे उनको वी आर एस आने से बैंक से छुट्टी लेने का अवसर प्राप्त हुआ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वी आर एस क्यों लाया गया ?

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग का जाल देश के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी / उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में फैला हुआ है। ऐसा अनुभव किया गया है कि जिस क्षेत्र में जिस बैंक का केन्द्रीय कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय स्थित है, स्वाभाविक है कि उन क्षेत्रों में स्टाफ अधिशेष होगा और अन्य क्षेत्रों में स्टाफ की कमी होगी।

* **शाखाओं की स्थिति के अनुसार अधिशेष एवं कमी वाले क्षेत्र**

यद्यपि अर्द्धशहरी और ग्रामीण स्थित शाखाएं कुल शाखाओं के जाल की दो-तिहाई हैं फिर भी इन शाखाओं में स्टाफ मेट्रोपोलिटन और शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है।

मेट्रोपोलिटन, शहरी, अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाओं में स्टाफ के असंतुलन का कारण

कोई भी अधिकारी / अधीनस्थ कर्मचारी ग्रामीण शाखा में स्वेच्छा से जाना नहीं चाहता। जब भी किसी अधिकारी की पोस्टिंग ग्रामीण शाखा में होती है तो उसे रद्द कराने के लिये एड़ी-चोटी का जोर लगा देता है। यदि उसे जाना ही पड़ता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य किसी तरह समय काटना होता है। ग्रामीण बैंकिंग एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिये त्याग और सतत् परिश्रम की आवश्यकता है।

इसका, एक ही समाधान है "ग्रामीण बैंकिंग काडर" बनाना। जब एक अधिकारी बैंक में भर्ती हो या लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी की अधिकारी वर्ग में पदोन्नति हो तो उन्हें "ग्रामीण बैंकिंग काडर" का एक विकल्प देना चाहिए। इसमें 3-5 वर्ष के लिये ग्रामीण शाखा में तैनाती लेने के साथ कुछ प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए जैसे एक नियमित "ग्रामीण क्षतिपूर्ति भत्ता"; शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता की तरह और वेतन में रु. 500 से 1000 की वृद्धि मिलनी चाहिए। इससे लोग स्वेच्छा से ग्रामीण शाखाओं में जाना पसन्द करेंगे।

आज बैंकों में कम्प्यूटरीकरण और प्रबन्ध सूचना तंत्र की बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें होती हैं परन्तु आज तक जमाकर्ताओं की संख्या का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। जो सूचना उपलब्ध है वह जमाखातों की संख्या से सम्बन्धित है।

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मार्च '99 में जमाखातों की कुल संख्या 40.59 करोड़ थी और यदि यह मानकर चलें कि एक व्यक्ति दो खाते रखता है तो कुल जमाकर्ता लगभग 20 करोड़ होंगे। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है। 1991 की जनगणना के आधार पर इस आबादी का 20 प्रतिशत 14 वर्ष से कम उम्र का है जो खाता नहीं खोल सकता है। अगर 100 करोड़ में से हम 20 करोड़ कम कर दें तो 80 करोड़ खाता खोलने लायक हैं। इस तरह हमारे देश में 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग परिधि से बाहर हैं। ये लोग मेट्रो इलाकों की झुग्गी झोपड़ियों, गांवों, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं।

अगर हमारा ध्यान वी आर एस की तरफ से हटकर इस वास्तविकता की तरफ जाता तो बात कुछ और होती। अगर यह मान भी लें कि स्टाफ अधिक है तो उसे इन क्षेत्रों में तैनात किया जाता। हाँ उसके लिये एक "ग्रामीण बैंकिंग काडर" की नितान्त आवश्यकता है।

* अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या स्टाफ कम कर देने से बैंकों की परिचालन लागत में कमी आएगी, फलस्वरूप लाभ बढ़ेगा ?

प्रति कर्मचारी परिचालन लागत

अक्सर यह कहा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रति कर्मचारी परिचालन लागत अधिक है। परन्तु इस कथन में कोई सत्यता नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक में 98-99 में प्रति कर्मचारी परिचालन लागत रु. 2.48 लाख है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह रु. 2.32 लाख है। इसी तरह 25 पुराने निजी बैंकों में यह रु. 2.48 लाख है। परन्तु अगर इनकी तुलना हम 9 नये निजी बैंकों एवं 44 विदेशी बैंकों से करें तो पता चलता है कि विदेशी बैंक जो सबसे ज्यादा लाभ कमाते हैं उनकी लागत सबसे ज्यादा रु. 17.28 लाख है। इसका कारण है कि ये अच्छी प्रतिभा के लोगों की भर्ती करते हैं और उन्हें अच्छा वेतन देते हैं। यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं निजी / विदेशी बैंकों के धरातल में समानता नहीं है।

* क्या कर्मचारियों की संख्या में कमी करके लाभप्रदता में वृद्धि की जा सकती है ?

* क्या नवीनतम सूचना तकनीक अपनाकर वी आर एस पर गए कर्मचारियों की कमी पूरी की जा सकती है ?

बैंकिंग एक सेवा उद्योग है और इसमें कोई शक नहीं कि तकनीक के बढ़ते प्रयोग से परिचालनात्मक क्षमता बढ़ेगी। परन्तु हमें याद रखना होगा कि केवल परिचालनात्मक क्षमता बढ़ाने मात्र से कर्मचारियों की कमी पूरी नहीं की जा सकती ।

मात्र परिचालनात्मक क्षमता बढ़ा लेने से लाभप्रदता नहीं बढ़ा करती। लाभप्रदता को निरन्तर बनाए रखने के लिये यह आवश्यक है कि निधि आधारित आय और गैर-निधि आधारित आय में निरन्तर वृद्धि सुनिश्चित की जाए। यह तभी सम्भव है जब जमाराशि को लाभदायक ऋण / निवेश के क्षेत्रों में विनियोजित किया जाए। साथ ही विभिन्न सेवाओं द्वारा गैर-निधि आय में वृद्धि की जाए।

इस उद्देश्य को निरन्तर बनाए रखने के लिये बैंकों को अनुभवी, दक्ष और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। आज ऋण प्रक्रिया में गुणात्मकता की आवश्यकता है।

आज खुदरा बैंकिंग (रिटेल) का बोल-बाला है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी एवं विदेशी बैंकों से कड़ी चुनौती मिल रही है।

जब एक संस्था को ढेर सारे लोग एक साथ छोड़ देते हैं तो संस्था उनकी योग्य क्षमता और कौशल से वंचित रह जाती है । संस्था को होनेवाली इस हानि को मद्देनजर रखते हुए निष्पादन का वर्तमान स्तर और भविष्य के विकास की रूपरेखा तैयार करनी होगी । इन परिस्थितियों से सार्वजनिक बैंक आने वाले दिनों में कैसे जूझते हैं, यह महत्वपूर्ण है ।

*** क्या वी आर एस बैंक की समस्याओं का निदान है ?**

जिन नीति-निर्धारकों ने वी आर एस का मसौदा बैंकों के लिये तैयार किया था, उनका मानना है कि वी आर एस समस्याओं का निदान है। परन्तु इससे और समस्याएं खड़ी हो गयी हैं।

वी आर एस भुगतान में जो रकम व्यय हुई है उसकी शीघ्र भरपाई एक चुनौती है। सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बैंकों के लाभ में कमी दर्ज की गयी है। आज सार्वजनिक क्षेत्र के तीन और बैंक - इलाहाबाद बैंक, देना बैंक और पंजाब एण्ड सिंध बैंक कमजोर बैंकों की पंक्ति में खड़े हैं।

अगर हमें वी आर एस और पारदर्शी प्रबन्धन और निष्पादन तंत्र में चुनाव करना है तो हम पारदर्शी प्रबन्धन एवं निष्पादन तंत्र चुनेंगे। सारी समस्याएं तब शुरू होती हैं जब वी आर एस की रणनीति बना ली जाती है। अतएव तमाम अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों एवं देश में लागू स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के प्रारम्भिक परिणामों से लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति एक समस्या है समाधान नहीं"।

हिंदी में शब्द निर्माण का अद्भुत सामर्थ्य है। अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बनाए गए तथा अन्य भारतीय भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द उसे एक व्यापक स्वरूप प्रदान करते हैं । केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के नए-नए शब्द तराशे और संवारे जा रहे हैं । आनेवाले दिनों में हिंदी कार्पोरा में शब्दों की संख्या 30 लाख से बढ़कर दो करोड़ तक हो जायेगी।

महत्वपूर्ण परिपत्र

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मासिक अंतराल पर ब्याज लगाना - समेकित अनुदेश

कृपया आप 9 मार्च 2002 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 73/13.03.00/2001-02 देखें, जिसके साथ उसी तारीख का निदेश बैंपविवि. सं.डीआइआर.बीसी. 72/13.03.00/2001-02 भेजा गया है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि वे 1 अप्रैल 2002 से अग्रिमों पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की पद्धति अपनायें, ताकि 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से ऋण में हानि को पहचानने के लिए 90 दिन का मानदंड अपनाया जा सके। हमने उपर्युक्त विषय में कतिपय स्पष्टीकरण देते हुए 28 मई और 8 जून 2002 को बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.सं. क्रमशः 107 और 114/ 13.03.00/2001-02 भी जारी किये हैं। इस संबंध में परिचालनगत और प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर बैंकों से प्राप्त कतिपय सुझावों और बैंकों से चर्चा के आधार पर रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त परिपत्रों में निहित अनुदेशों की समीक्षा की है।

2. इस विषय में उपर्युक्त परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए अब बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऋणों और अग्रिमों पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की प्रणाली अपनाने के संबंध में निम्नलिखित समेकित अनुदेशों का पालन करें :

i. बैंकों को यह विकल्प है कि वे मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के लिए 1 अप्रैल 2002 से, या 1 जुलाई 2003 से यह पद्धति अपनायें।

ii. जुलाई 2002 से प्रारंभ तिमाही से बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावी दर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने / चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की प्रणाली अपनाये जाने के कारण मात्र से ही अधिक न हो जाये और ऋणकर्ताओं पर भार अधिक पड़े।

उदाहरण के लिए :

यदि कोई बैंक किसी ऋणकर्ता के खाते पर12 प्रतिशत की दर पर तिमाही अंतराल पर ब्याज लगाता है तो प्रभावी दर 12.55 प्रतिशत हो जाती है। यदि बैंक उसी खाते में 12 प्रतिशत की ब्याज दर मासिक अंतराल पर लगाता है तो प्रभावी दर 12.68 प्रतिशत हो जाती है। इसलिए बैंकों को ऋणकर्ता के खाते में लगायी गयी 12 प्रतिशत की ब्याज दर को इस तरह समायोजित करना चाहिए कि ऋणकर्ता के लिए प्रभावी ब्याज दर अब तक की तरह 12.55 प्रतिशत से अधिक न हो जाये। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में बैंकों को 11.88 प्रतिशत की ब्याज दर लगानी चाहिए (न कि 12 प्रतिशत की)। यदि ऐसा किया जायेगा तो मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाने पर भी प्रभावी दर 12.55 प्रतिशत होगी।

iii. मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की पद्धति सभी प्रचलित खातों अर्थात् नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात पैकिंग ऋण खातों आदि तक सीमित होगा। मासिक अंतराल पर ब्याज लगाते समय बैंक **प्रलेखन** के उद्देश्य से ऋणकर्ता से सहमति पत्र / पूरक करार प्राप्त कर सकते हैं।

iv. मासिक अंतराल पर ब्याज सभी नये और मौजूदा मीयादी ऋणों तथा लंबी / नियत अवधि के अन्य ऋणों पर लागू होगा।

v. लंबी / नियत अवधि के मौजूदा ऋणों के मामले में बैंक मासिक अंतराल पर ब्याज लगाना नियमों और शर्तों की समीक्षा करते समय अथवा ऐसे ऋण खातों का नवीकरण करते समय या ऋणकर्ता से सहमति प्राप्त करने के बाद लागू करेंगे।

vi. चूंकि उपर्युक्त पैरा 2(ii) में दिये गये अनुदेश 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हैं, अतः यदि किसी बैंक ने 30 जून 2002 को समाप्त तिमाही में उस पैरा में बतायी गयी पद्धति से भिन्न पद्धति अपनायी हो तो उस तिमाही के लिए समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।

3. मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने से संबंधित अनुदेश कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होंगे और बैंक फसल मौसमों से संबद्ध कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने / चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की वर्तमान प्रथा जारी रखेंगे। इस संबंध में बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे हमारे ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा जारी किये गये 29 जून 1998 के परिपत्र आरपीसीडी.सं.पीएलएफएस.बीसी. 129/05.02.27/97-98 में दिये गये अनुदेशों का पालन करें। जैसा कि उसमें बताया गया है, बैंकों को लंबे समय की फसलों के लिए कृषि अग्रिमों पर वार्षिक अंतराल पर ब्याज लगाना चाहिए। अल्प समय की फसलों और संबद्ध कृषि कार्यकलापों जैसे डेरी, मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधु मक्खी पालन आदि के संबंध में यदि ऋण / किस्त का भुगतान अतिदेय हो जाये तो बैंक ब्याज लगाने और चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के समय ऋण लेने वालों के साथ लचीलेपन और फसल कटने / बेचने के मौसम के आधार पर तय की गयी तारीखों को ध्यान में रखें।

(संदर्भ : बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 8/13.03.00/2002-03 दिनांक 26 जुलाई 2002)

विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग

विदेश में चिकित्सीय इलाज़ के लिए विदेशी मुद्रा देने का उदारीकरण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 3 मई 2000 के जीएसआर.381(E) की अनुसूची 3 की मद सं. 9 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार उन्हें किसी भी निवासी को विदेश में इलाज़ के लिए, भारत के डॉक्टर अथवा अस्पताल / विदेशी डॉक्टर द्वारा दिए गए अनुमान के आधार पर विदेशी मुद्रा देने का अधिकार प्राप्त है ।

2. निवासी द्वारा बिना किसी असुविधा और समय गंवाए बिना इलाज के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु अब यह निर्णय किया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी इलाज़ के लिए, भारत के डॉक्टर अथवा अस्पताल / विदेशी डॉक्टर द्वारा दिए गए अनुमान प्रस्तुत करने की मांग किए बिना 50 हज़ार अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा तक की विदेशी मुद्रा दे सकते हैं।

3. तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी आवेदक की घोषणा के आधार पर कि वह विदेशी मुद्रा भारत से बाहर इलाज़ करने के लिए खरीद रहा है, के आधार पर 50 हज़ार अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य रकम के बराबर विदेशी मुद्रा दे सकते हैं बशर्ते कि विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए भुगतान चेक अथवा आवेदक के खाते में नामे डाल कर अथवा मांग ड्राफ्ट द्वारा किया जा रहा हो।

4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

[(ए.पी.(डीआईआर. सिरीज) परिपत्र क्र. 17 दिनांक 12 सितंबर 2002]

फेमा 1999 - चालू खाते लेनदेन - परामर्शी सेवाओं के लिए प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 31 मार्च 2001 के ए.पी.(डीआईआर.सिरीज) परिपत्र सं.29 के पैरा 3 (आ)(क) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार एक लाख अमरीकी डॉलर प्रति परियोजना से अधिक की किसी परामर्शी सेवा के लिए जो कि बाहर से ली गई हो उसके लिए प्रेषण से पूर्व रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है चाहे वह प्रेषण विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते से ही क्यों न किया गया हो।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि 30 मार्च 2001 के भारत सरकार की अधिसूचना सं. SO.301(E) में समाहित नियम 6(2)(प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार जहां प्रेषण अर्जक विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में जमा रकम से किया गया है वहां रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

[(ए.पी.(डीआईआर. सिरीज) परिपत्र क्र. 20, दिनांक 12 सितंबर 2002]

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना - दिशानिर्देशों में संशोधन

कृपया स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना पर हमारा दिनांक 1 सितंबर 1999 का परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.23/09.01.01/99-2000, दिनांक 2 फरवरी 2002 का परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.58/09.01.01/99-2000 तथा दिनांक 17 अगस्त 2001 का मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.14/09.01.01 देखें। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक इन संशोधित उपबंधों को विशेष रूप से नोट करें।

1. <u>योजना का उद्देश्य</u>

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य प्रत्येक सहायताप्राप्त परिवार (स्वरोजगारी) के लिए एक निश्चित अवधि में आय का समुचित धारित स्तर सुनिश्चित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस उद्देश्य के लक्ष्य की प्राप्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके सामाजिक रुप से सम्मिलित करने की प्रक्रिया से उन्हें प्रशिक्षण देना तथा क्षमता सृजन करना और आय सृजन करने वाली आस्तियाँ उपलब्ध कराना है।

2. <u>ऋण की बहु प्रयोज्य मात्रा</u>

सामान्यतया आस्ति रहित और कौशल रहित लोग बहुत गरीब लोग होते हैं तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। इस श्रेणी के लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने, प्रशिक्षण और क्षमता सृजन पर जोर देने के साथ-साथ उन्हें निश्चित अवधि में बहुप्रयोज्य तथा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों के लिए ऐसी गतिविधियों की पहचान की जाती है जिन्हें चलाना आसान हो तथा उत्पाद आसानी से विपणन योग्य हो ताकि उनके भरण पोषण के लिए आय सुनिश्चित हो सके और वे ऋण के जाल में न फसें। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ यह सुनिश्चित करें कि परियोजना में संभावित आय परियोजना अवधि के दौरान प्राप्त हो जाए ताकि स्वरोजगारी गरीबी रेखा पार कर सकें।

3. <u>प्रमुख गतिविधियाँ</u>

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति प्रत्येक ब्लॉक के लिए लगभग 10 गतिविधियों का चयन करेगी तथापि, 4-5 प्रमुख गतिविधियाँ केंद्र बिंदु रहेंगी जिन्हें बड़े समूहों में सामूहिक दृष्टिकोण में प्रशिक्षण देकर उनका विकास किया जा सके। तथापि यह ध्यान रखा जाए कि उसके लिए बाजार आसानी से उपलब्ध हो अथवा उस उत्पाद के लिए बाजार सृजन की संभावना हो। जिला स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति को न्यायोचित रूप से किसी भी प्रमुख गतिविधि को सूची में से हटाने अथवा जोड़ने का अधिकार होगा।जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ जिले में चयनित प्रमुख गतिविधियों की डायरेक्टरी तैयार करेंगी, जिन्हें राज्य स्तर पर चयनित प्रमुख गतिविधियों की डायरेक्टरी बनाने के लिए संकलित किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत सामूहिक तथा व्यक्तिगत सहायता हेतु ब्लॉक में पहचान की गई प्रमुख गतिविधियों पर जोर देते हुए गतिविधि समूहों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। गतिविधि समूह यथोचित **भौगोलिक परिधि** में आस पास के गाँवों के भौगोलिक समूह होंगे। तथापि, अन्य गतिविधियों के लिए सहायता पर निषेध नहीं है। यह केवल अपवादात्मक मामलों के लिए प्रावधान करना है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि प्रमुख गतिविधियों का **निधियन** ही उसके मानदंड होंगे।

4. <u>स्वयं सहायता समूह</u>

स्वयं सहायता समूह मूल क्रिया के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं यथा समूह बनाना, समूहों को मजबूत करना, माइक्रो ऋण चरण तथा **माइक्रो उद्यमिता** विकास चरण। योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह में सामान्यतया 10-20 व्यक्ति होते हैं।

i) तथापि, रेगिस्तान, पहाड़ों जैसे दुर्गमक्षेत्रों तथा बिखरी हुई जनसंख्या वाले क्षेत्रों और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5 से 20 तक हो सकती है। दुर्गम क्षेत्रों की पहचान राज्य स्तरीय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा की जानी है तथा सदस्यता में उक्त छूट ऐसे क्षेत्रों के लिए ही दी जाएगी।

ii) सामान्यतः समूह के सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के होने चाहिए। तथापि, यदि आवश्यक हो, अधिकतम 20% तथा अपवादात्मक मामलों में, जहाँ अत्यावश्यक हो, समूह के 30% सदस्य उन परिवारों से लिए जा सकते हैं जो गरीबी रेखा से सीमान्त रूप से ऊपर हों तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के निकटस्थ हों तथा गरीबी रेखा के नीचे के सदस्यों के समूह को स्वीकार्य हों।

iii) गरीबी रेखा के ऊपर के सदस्य योजना के अन्तर्गत सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे। समूह में एक परिवार के एक सदस्य से अधिक नहीं होंगे। एक व्यक्ति एक समूह से अधिक का सदस्य नहीं होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रबंधन तथा निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए तथा यह सामान्यतः केवल गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के हाथ में ही नहीं होना चाहिए। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के गरीबी रेखा से ऊपर वाले सदस्य समूह की कार्यकारिणी (समूह लीडर, सहायक समूह लीडर कोषपाल) के सदस्य नहीं होने चाहिए।

iv) समूह का एक सामूहिक खाता उनकी सेवा क्षेत्र बैंक शाखा में होना चाहिए ताकि सदस्यों में ऋण संवितरण के बाद समूह के पास शेष राशि को उसमें जमा कराया जा सके।

v) समूह को सामान्य मूल रिकार्ड का अनुरक्षण करना चाहिए यथा कार्य-विवरण पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर, ऋण लेजर, सामान्य लेजर, रोकड़ बही, बैंक पास-बुक तथा व्यक्तिगत पास बुक।

vi) विकलांग व्यक्तियों के मामले में, जहाँ भी संभव हो, बनाया गया समूह विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों का ही होना चाहिए । तथापि विकलांग समूह बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में विकलांगता विशिष्ट समूह के व्यक्ति न मिलने पर, समूह में विभिन्न रूप से विकलांग व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं अथवा समूह में गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग और गैर विकलांग, दोनों प्रकार के सदस्य हो सकते हैं।

5. <u>जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की भूमिका</u>

स्वयं सहायता समूहों के एक बार परिपक्वता स्तर पर पहुंचने और स्थिर होने पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क की योजना में उन्हें उचित स्तर पर संगठित करके सहायता प्रदान कर सकती हैं।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को विभिन्न संगठनों द्वारा गठित समूहों को मजबूत बनाने तथा समेकित करने के सघन प्रयास करने चाहिए क्योंकि इनमें सहचर्य का कुछ स्तर पहले से ही विद्यमान रहता है तथा उसके बाद नए समूह बनाने के प्रयास करने चाहिए। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को आवधिक मूल्यांकनों के माध्याम से समूहों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखनी चाहिए। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ डाटाबेस तैयार करने के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं की समरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी योजनाओं के अन्तर्गत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों के साथ-साथ उनके प्रशिक्षण और अन्य अपेक्षाओं की बेहतर योजना सम्मिलित होनी चाहिए।

6. <u>बैंकों के साथ सहलग्नता और ग्रेड देने का कार्य</u>

समूह बनाने के चरण के दौरान स्वयं सहायता समूह को स्थानीय बैंकों के पास बचत खाता खोलकर, विशेषतः उनकी सेवा क्षेत्र शाखा में , उनके संपर्क में लाना चाहिए। शाखा विकास अधिकारी और बैंकर को स्वयं सहायता समूह के साथ अक्सर मिलते रहना चाहिए और स्व रोजगार के अवसरों की जानकारी सदस्यों को देनी चाहिए। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी बैंक कार्यकर्ताओं को शामिल करना चाहिए।

यदि, स्वयं सहायता समूह किसी अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी ग्राम स्वरोजगार योजना से पहले ही अस्तित्व में रहा हो और समूह के गठन के बाद छः महीने पूरे होने के बाद उसे शहरी ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाया गया हो ऐसे समूहों को, अगले छः माह तक इंतजार किये बिना ही तुरंत पहला ग्रेड दे देना चाहिए।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए, यदि समूह उधार के लिए पात्र हो और परियोजना व्यवहार्य हो, तों दूसरे ग्रेड के लिए समय में छूट देने की अनुमति दी जाए। छूट से संबंधित निर्णय ब्लाक स्तरीय स्वग्रास्वयो समिति द्वारा लिया जाए।

यदि, स्वयं सहायता समूह किसी अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत पहले से ही अस्तित्व में रहा हो और समूह ने एक साल पूरा कर लिया हो और अब उसे स्वग्रास्वयो के अंतर्गत लाया गया हो, तो समूह को सीधे ही दूसरा ग्रेड दे दिया जाए ताकि आर्थिक गतिविधि के लिए पात्रता पहला ग्रेड देने से पहले ही निर्धारित की जा सके।

ग्रेड देने वाली एजेंसी और साथ ही मानदंड से बैंक सन्तुष्ट होना चाहिए। यह वांछनीय है कि बैंक कार्यकर्ता उनके सेवा क्षेत्र में कार्यरत समूहों के ग्रेडिंग कार्य में शामिल हों।

7. <u>परिक्रामी निधि</u>

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा विमोचित रु. 10,000/- की सब्सिडी, समूह के अनुरोध पर नकदी ऋण अवधि के अंत में ऋण में समायोजित की जाएगी। ऋण के भुगतान में चूक के मामले में या समूह निष्क्रिय होने पर या समूह का विघटन होने पर यदि संभव उपायों के बावजूद बैंक पूरा अतिदेय वसूल नहीं कर पाता है तो, जिला स्वग्रास्वयो समिति से अनुमोदन प्राप्त करके संबंधित बैंक स्वरोजगारी के अतिदेयों में सब्सिडी समायोजित कर सकता है। यदि बैंक बाद में प्राप्य राशि से अतिरिक्त कोई राशि वसूल कर सकता है तो, वह राशि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को लौटायी जाए।

8. <u>सामूहिक ऋण</u>

सामूहिक ऋण के अन्तर्गत समूह को एक ही गतिविधि आरंभ करनी चाहिए लेकिन यदि आवश्यक हो तो सामूहिक ऋण के अन्तर्गत एक से अधिक गतिविधियाँ भी आरंभ की जा सकती हैं। किसी भी मामले में ऋण समूह के नाम में ही स्वीकृत किया जाएगा तथा ऋण की तुरन्त अदायगी के लिए समूह बैंक के लिए गारंटी के समान होगा। समूह परियोजना लागत की 50% सब्सिडी का पात्र होगा जिसकी सीमा रु. 1.25 लाख अथवा प्रति व्यक्ति सब्सिडी रु. 10000/-, जो भी कम हो, होगी।

9. <u>आवेदनपत्रों को अस्वीकार करना</u>

यदि कोई आवेदन पत्र शाखा प्रबंधकों द्वारा अस्वीकृत किए जाते हैं तो अस्वीकृत करने के कारण आवेदन पत्र के फार्म पर ही दर्ज किए जाएँ तथा सम्बन्धित आवेदन पत्र प्रायोजक प्राधिकरण को तुरन्त उनकी जानकारी अथवा कार्रवाई, जो भी वे उचित समझें, हेतु लौटाया जाए। कृपया इस संबंध में अपने नियंत्रक कार्यालयों / शाखाओं को समुचित अनुदेश जारी करें।

(संदर्भ सं. ग्राआऋवि एसपी. बीसी.03/09.01.01/2002-03, दिनांक 23 अगस्त 2002)

प्रयुक्त शब्दावली

मासिक अंतराल	Monthly interval
समेकित अनुदेश	Consolidated instructions
प्रलेखन	Documentation
प्राधिकृत व्यापारी	Authorised dealer
स्वरोजगार	Self-employment
भौगोलिक परिधि	Geographical area
निधियन	Funding
माइक्रो उद्यमिता	Micro entrepreneurship

पुस्तक का नाम	:	**परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881**
लेखक का नाम	:	श्री दिनेशकुमार शांडिल्य
प्रकाशक	:	सहयोग सामाजिक संस्था, 817, ब्रह्मपुरी, मेरठ शहर
पुस्तक पृष्ठ	:	256
पुस्तक मूल्य	:	325/- रुपये

भारतीय रिज़र्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे की हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लिखी गई यह पुस्तक परक्राम्य लिखत अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को हिंदी में परिभाषित करने का अनूठा प्रयास है । परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 बैंकिंग का मुख्य अधिनियम है जो देश में बैंकिंग कारोबार की रीढ़ की हड्डी है । यह अधिनियम मूल रूप में इंग्लैंड के कॉमन लॉ (बिल ऑफ एक्सचेंज लॉ) को आधार बनाकर तैयार किया गया है । इस अधिनियम में कुल 142 धाराएं हैं जिनका अब तक 22 बार संशोधन किया जा चुका है। इसका प्राधिकृत हिंदी पाठ राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा 1966 में जारी किया गया था ।

लेखक श्री दिनेश कुमार शांडिल्य द्वारा प्रश्नोत्तरी फार्म में लिखी गई यह पुस्तक सीएआईआईबी परीक्षा में बैठनेवाले परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक होगी । पुस्तक की विषयवस्तु को लेखक ने अत्यंत सुगठित रूप से तीन खंडों में विभक्त किया है । पहला खंड 'परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 अधुनातन विचारधारा' बैंकिंग कारोबार में प्रयुक्त विभिन्न लिखतों के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उनके प्रयोग के बारे में जारी अद्यतन निर्देशों पर प्रकाश डालता है । दूसरे खंड में ऐसे लिखतों के संबंध में जिज्ञासाजनक आम प्रश्नों के सीधे सरल शब्दों में उत्तर दिए गए हैं । इसके अलावा बैंकरों के सम्मुख आनेवाली कठिनाइयों एवं उन परिस्थितियों में बैंकरों को प्राप्त विधिमान्य संरक्षण के अनुसार उन्हें कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए इसके बारे में भी उपयोगी जानकारी दी गई है । तीसरे खंड में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की सरल शब्दों में विस्तृत व्याख्या दी गई है ।

मुख्यतः हिंदी माध्यम से सीएआईआईबी की परीक्षा देनेवाले बैंककर्मियों एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षा को ध्यान में रखकर लिखी गई यह पुस्तक हिंदी भाषा में बैंकिंग के इस अनछुए विषय पर सरल एवं सुबोध भाषा में किया गया अनूठा प्रयास है । निश्चित तौर पर जटिल समझे जानेवाले बैंकिंग कारोबार के मूलाधार विषय पर लिखी गई यह पुस्तक हिंदी भाषी क्षेत्रों के बैंककर्मियों की दक्षता में सुधार लाने में सहायक होगी। यद्यपि पुस्तक की भाषा सहज और ग्राह्य है तथापि कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दानुवाद से वह हास्यास्पद बन गई है । उदा. 'कारण बताओ नोटिस जारी करके अथवा पीछा करके', 'चेक पन्नों' 'चेक की पीठ पर', 'नग्न आंखों से' इ.। इसी तरह से आम बोलचाल की भाषा में सहज रूप से स्वीकृत हो

चुके कई शब्दों के स्थान पर उनका नया रूप खटकता है । उदा. कैलेण्डर के लिए 'कलेण्डर', नाबालिग के लिए 'अवयस्क', संरक्षण के लिए 'अभिभावकत्व', ' एंड कं' के लिए,'एंण्ड को', 'मेमो के लिए'मीमो', बैंकिंग लोकपाल के लिए 'बैंकिंग ओम्बुड्समैन' इ.

यद्यपि ऊपर उल्लिखित कमियां पुस्तक के भाषागत पक्ष से संबंधित हैं जिन्हें दूसरे संस्करण में निश्चित रूप से सुधारा जा सकता है तथापि इस पुस्तक की विषयगत उपयोगिता को देखते हुए यह त्रुटियां कोई मायने नहीं रखतीं । लेखक को मात्र समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जानेवाले निर्देशों के अनुरूप इस पुस्तक की पाठ्यसामग्री को अद्यतन करते रहना होगा । इसके अलावा कोर्ट में दाखिल बैंकिंग मामलों के संबंध में होनेवाले निर्णयों को शामिल करते रहने से पुस्तक की प्रासंगिकता बनी रहेगी और सुधी पाठक लाभान्वित हो सकेंगे । निस्संदेह रूप से बैंककर्मियों, ग्राहकों और परीक्षार्थियों के लिए यह पुस्तक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी ।

सावित्री सिंह
प्रबंधक, (राजभाषा),
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय.
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुंबई - 400 028.

पुस्तक का नाम	:	**बैंकिंग और अर्थिक चिंतन के नये आयाम**
लेखक का नाम	:	डॉ. रामप्रकाश सिंहल
प्रकाशक	:	राष्ट्रीय सेल्स एजेन्सीज, जयपुर
पुस्तक पृष्ठ	:	271
पुस्तक मूल्य	:	300/- रुपये

हिंदी में बहुत कम पुस्तकें ऐसी देखी गई हैं जिनमें बैंकिंग व आर्थिक जगत से संबंधित इतने आयामों को एक ही जगह समेटा गया हो । लेखक ने अपने लेखों को अद्यतन कर तथा कुछ अन्य नवीनतम लेखों को संकलित कर पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का प्रयास किया है । हिंदी पाठकों के लिये इतने विषयों का एक ही पुस्तक में संकलन सराहनीय है । पुस्तक में जहाँ एक ओर भारत में आर्थिक व बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण के विभिन्न पहलुओं पर लेख हैं वहीं दूसरी ओर भारतीय बैंकिंग, पूंजी बाज़ार तथा पारस्परिक निधियों की वर्तमान समस्याओं व संभावनाओं पर भी प्रचुर सामग्री है । जहाँ एक ओर मैक्सिको व दक्षिणपूर्व एशियाई संकट तथा विश्व व्यापार के क्षितिज पर यूरो मुद्रा उभरने से भारत पर प्रभाव की विवेचना की गई है वहीं दूसरी ओर उद्यम पूंजी निधियों, वर्चुअल बैंकिंग, फेक्टरिंग सेवाओं, डेरिवेटिव्ज़ आदि अद्यतन विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है ।

पुस्तक में कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो स्पष्टरूप से खलती हैं । उदाहरण के तौर पर पृष्ठ 7 पर कारपोरेशन बैंक व ओरियंटल बैंक को निजी बैंक बताना, पृष्ठ 20 पर 'टीवी बैंकिंग' का उल्लेख, पृष्ठ 23 पर क्रेडिट कार्ड द्वारा खातें में पैसा जमा करने तथा निकाल पाने का उल्लेख आदि । यदि पुस्तक में एक-दो लेख निजी बैंकों तथा सूचना प्रौद्योगिकी का भारतीय बैंकों पर प्रभाव पर होते तो और अच्छा होता । इसके अतिरिक्त पुस्तक में दो लेख नेहरू जी की आर्थिक नीतियों तथा प्रो. अमर्त्य सेन के दर्शन से संबंधित हैं । इन लेखों में भारत के वर्तमान आर्थिक विचारों को नेहरू जी तथा प्रो. अमर्त्य सेन के विचारों की व्यावहारिकता से जोड़ने की जगह भावुकता का सहारा अधिक लिया गया है । इसी वज़ह से लेख अन्य लेखों से सही रूप से जुड़े नहीं लगते । इसकी जगह नेहरू जी की आर्थिक नीतियों से चल कर वर्तमान उदारीकरण तक के क्रमिक विकास के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालते हुए प्रो. सेन के विचारों की प्रासंगिकता को वर्णित किया जाता तो यह पुस्तक अनन्य बन सकती थी । पुस्तक के आने वाले संस्करणों में यदि इन सभी लेखों को विषयबद्ध खंडों में विभाजित कर क्रम में रखा जाये तो यह पुस्तक विद्यार्थियों व पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है ।

श्वेतांक मौर्य
संकाय सदस्य
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई - 400 028.

पुस्तक का नाम	:	**कुशल प्रबंधन के सूत्र**
लेखक का नाम	:	डा. सुरेश कांत
प्रकाशक	:	राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली-110 002
पुस्तक पृष्ठ	:	168
पुस्तक मूल्य	:	175/- रुपये

हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बात के गवाह हैं कि "प्रबंधन" अपने सुव्यवस्थित रूप में उस समय भी मौजूद था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वित्तीय प्रबंधन ही नहीं, हर क्षेत्र में प्रबंधन की सूक्ष्म बातों और तकनीक पर प्रकाश डालता है । भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर रोमन साम्राज्य, मिश्र, चीन और ग्रीस की पुरातन सभ्यताओं में भी प्रबंधन की अवधारणाओं और तकनीक के प्रयोग के उदाहरण देखे जा सकते हैं । पर, इसे वैज्ञानिक आधार देने का काम औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ । इसमें हेरिंग्टन इमर्सन, फ्रेडरिक विनस्लो टेलर, फ्रेंक गिलोथ, हेनरी एल. गेंट, लिलियन गिलब्रेथ जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा । फ्रेडरिक विनस्लो टेलर को तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है । उन्होंने वर्ष 1911 में अपनी पुस्तक "प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट" प्रकाशित की थी जिसमें यह उल्लेख किया था कि "वैज्ञानिक प्रबंधन इस कला को जानना है कि आप वास्तव में लोगों से क्या काम लेना चाहते हैं और फिर यह देखना है कि वे उन कार्यों को न्यूनतम लागत में सर्वोत्तम तरीके से कैसे पूरा करते हैं ।"

व्यक्तियों से काम लेना और वह भी अपने मनमुताबिक, सबसे कठिन काम है । हर मनुष्य अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व होता है । उसे समझना और फिर उचित सम्प्रेषण के माध्यम से अभिप्रेरित करना निश्चित रूप से एक कला है । इस कला को विकसित करने के लिए हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं । ये पुस्तके अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं । इस जटिल विषय को आसान और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने वाली अच्छी अंग्रेजी पुस्तकों की कोई कमी नहीं है । पर, हिंदी में इस विषय पर बहुत कम पुस्तकें उपलब्ध हैं । जो पुस्तकें है भी उनमें से अधिकांश अंग्रेजी से अनुवादित हैं । अनुवाद की भाषा पचाना एक दुष्कर कार्य है क्योंकि इसकी शब्दावली पर तो अंग्रेजी की छाया रहती ही है, अनुवाद में भी मौलिकता का अभाव रहा है । पुस्तकें पढ़ते-पढ़ते अंग्रेजी के वाक्य आंखों के सामने नाचने लगते हैं । इसके अलावा, सिर्फ सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाली ये पुस्तकें बोझिल भी लगती हैं ।

हाल ही में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित डा. सुरेश कांत की पुस्तक 'कुशल प्रबंधन के सूत्र' ऐसे दमघोंटू वातावरण में स्वच्छ हवा के झोंके की तरह आई है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रबंधन के सिद्धांत नहीं बघारे गए हैं बल्कि प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चात्मक शैली को अपनाया गया है । उदाहरण के लिए - समय प्रबंधन वाले अध्याय को ' आइये, समय की खेती करें ' नाम दिया गया है और उसकी शुरूआत कुछ ऐसे की गई है - ' चौंकिए मत, आप वास्तव में समय की खेती कर सकते हैं, कुशल प्रबंधक अपने घर-दफ्तर की क्यारियों में समय के पौधे भी उगाते हैं और फिर जरूरत के समय उन पर से छोटे-छोटे समय के फल तोड़ कर समय की कमी को पूरा कर लेते हैं । प्रबंधन की भाषा में यही समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट कहलाता है । 'सटीक उदाहरणों ने जहां विषय को समझने में सहायता पहुंचाई है, वहीं कहानी पढ़ने जैसा आनंद भी दिया है । जैसे - 'जरूरत पड़ने पर सहयोगी बनें 'वाले अध्याय में इस उदाहरण से प्रारंभ किया गया है -

' एक घुड़सवार एक जंगल से होकर जा रहा था । रास्ते में उसने देखा कि कुछ सैनिक एक मलबे को खिसकाने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिल पा रही है । पास खड़ा सार्जेंट हुक्म चला रहा है । उसने सार्जेंट से कहा -भाई अपना हाथ क्यों नहीं लगा देते ?उत्तर मिला ' मेरा काम हुक्म देना है ' वह सवार घोड़े से उतरा और सैनिकों के काम में उसने भी हाथ लगा दिया । मलबा खिसक गया । जाते समय उसने सार्जेंट से कहा - भविष्य में भी जब कभी तुम्हारे सामने इस तरह की कोई समस्या आए तो अपने इस बड़े जनरल को याद कर लेना । सार्जेंट को काटो तो खून नहीं । उसने क्षमा याचना करनी चाही, पर तब तक बड़ा जनरल दूर जा चुका था' ।

लगभग सभी अध्यायों में गूढ़ बातों को समझने के लिए ऐसे अनेक उदाहरणों का सहारा लिया गया है । इससे पाठक और

लेखक के बीच साधारणीकरण की स्थिति बनी है और यही बात इस पुस्तक को भीड़ से अलग करती है ।

कुशल प्रबंधन के लिए जरूरी ' व्यक्तित्व विकास' से लेकर कर्मचारी प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, समय प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, नेतृत्व कला और स्व-प्रबंधन आदि सभी पहलुओं को इस पुस्तक में शामिल किया गया है । सामान्य पाठकों, प्रबंधकों और प्रबंध के विद्यार्थी -शिक्षकों सभी के लिए यह पुस्तक उपयोगी है । मैं इस पुस्तक के कवर जैकेट पर दिए गए इस मत से सहमत हूं कि 'आप जो भी कोई हों, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप वही नहीं रह जायेंगे, जो आप इसे पढ़ने से पहले थे 'प्रबंधन जैसे गूढ़ विषय पर इतनी सरल, सुबोध तथा रोचक पुस्तक देने के लिए लेखक और इसे इतने आकर्षक, सुरूचिपूर्ण तथा वर्तनी की अशुद्धियों से रहित प्रकाशन के लिए प्रकाशक बधाई के पात्र हैं ।

डा. रमाकांत शर्मा
सहायक महा प्रबंधक, (राजभाषा),
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
राजभाषा विभाग
मुंबई - 400 018

पत्रिका : प्रयास

प्रकाशक : भारतीय स्टेट बैंक, राजभाषा विभाग

एक सार्थक 'प्रयास'

किसी विद्वान ने कभी कहा था कि "नाम में क्या रखा है" परन्तु बाद में किसी विज्ञापन के संदर्भ में यह भी सुनने में आया था कि बस नाम ही काफी है। भारतीय स्टेट बैंक की गृह पत्रिका "प्रयास" उक्त विद्वान की उक्ति को झुठलाते हुए विज्ञापन पंक्ति को सार्थक सिद्ध करती है। यूं तो सभी बैंक अपने-अपने स्तर पर गृह पत्रिकाएं प्रकाशित करते रहते हैं परन्तु स्टेट बैंक ने अपने वार्षिक प्रकाशन को तिमाही गृह पत्रिका के रूप में एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया है जो कि गृह पत्रिका कम और बैंकिंग विषयों पर सारगर्भित पत्रिका ज्यादा प्रतीत होती है। यदि इसमें से स्टेट बैंक से संबंधित सामग्री को हटा दिया जाए तो यह आर्थिक जगत या यूं कहे बैंकिंग जगत की एक अनूठी पत्रिका सिद्ध हो सकती है।

"प्रयास " के दो अंक देखने को मिले और दोनों ने ही अपनी अलग छाप पाठक के मन पर छोड़ी है। विषयों का चयन और उनका सरल हिन्दी में प्रतिपादन पत्रिका को अन्यों से अलग करता है। समसामयिक विषय बैंकिंग को समझने का प्रयास करने वालों के लिये यह पत्रिका एक सफल साधन बन सकती है। उम्मीद है कि भविष्य में भी यह अपना स्तर बनाये रखेगी।

पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं आंतरिक साजसज्जा संपादक मंडल की सोच को दर्शाती है। बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी गृह पत्रिकाओं का सदैव स्वागत रहेगा।

लेखकों से

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' बैंकिंग विषयों को समर्पित एकमात्र पत्रिका है जिसकी प्रतियाँ बैंकों की शाखाओं, कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विभागों आदि को उपलब्ध करायी जाती हैं। इस प्रकार यह पत्रिका समूचे बैंकिंग क्षेत्र में पाठकों के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा पढ़ी जाती है।

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखनेवाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी ? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर सांकेतिक **मानदेय देने** की व्यवस्था है। ***कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :-***

- सामग्री ***बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों*** पर ही है।
- उसमें दी गयी जानकारी ***उपयोगी*** और ***अद्यतन*** है एवं ***अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों*** में है।
- वह कागज़ के ***एक ओर*** स्पष्ट अक्षरों में ***लिखित*** अथवा ***टंकित*** है।
- यथासंभव ***सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली*** का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख ***मौलिक है,*** प्रकाशन के लिए ***अन्यत्र नहीं भेजा गया है*** और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल ***आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत*** का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि ***जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती,*** संबंधित लेख किसी ***अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।***

पाठकों से

इस पत्रिका को आप पाठकों का निरंतर स्नेह मिलता रहा है। जनवरी 2001 से इस पत्रिका को इंटरनेट पर डाल दिए जाने के बाद से हमें अपने पाठकों से इस आशय क़ी शिकायतें मिलने लगीं कि पत्रिका का मुद्रण क्यों बंद कर दिया गया है। इस संबंध में हम अपने पाठकों को बताना चाहेंगें कि यह पत्रिका **मुद्रित रुप में अब भी उपलब्ध है और इसका प्रकाशन बंद नहीं किया गया है।** बल्कि अब इसे आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखित रुप में " संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन " से अनुरोध करना होगा। आपका पत्र मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका निरंतर मिलती रहेगी। आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें।

बाह्य ऋण प्रबंधन

पिछले दशक में भारत के बाह्य ऋण प्रबंधन समेकन के कारण भारत विश्व बैंक द्वारा 'कम ऋणग्रस्त राष्ट्र' के रूप में वर्गीकृत हो सका है। बाह्य ऋणों को निर्वहनीयता प्रदान करने के लिए बहु आयामी रणनीति के मुख्य तत्व अग्रलिखित रहे हैं;

* चालू खाता घाटे को निर्वहनीयता की सीमा में बनाये रखने के लिए प्रोत्साहन तथा निर्यात संवर्धन की योजनाएं;

* ऋणेतर पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने वाले उपाय ;

* अनुमोदनीय प्रक्रिया के अधीन वार्षिक सीमा, न्यूनतम परिपक्वता संबंधी प्रतिबंध और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के लिए प्राथमिकता का निर्धारण। अनुमोदन प्रक्रिया को समय के साथ-साथ क्रमिक रुप से शिथिल किया गया है, वर्तमान में उधार लेने की दोहरी प्रणाली (50 मिलियन अमरीकी डालर) तक उधार लेने के लिए स्वचालित प्रणाली और इस उच्चतम सीमा से ऊपर उधार के लिए पूर्व अनुमोदन की प्रणाली शामिल है ;

* परिपक्वता विन्यास बढ़ाने के लिए दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधारियों को वार्षिक सीमा से बाहर रखना ;

* स्थिर पूंजी आगमों को आकर्षित करने के लिए विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों पर लिबोर (लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट) योजित ब्याज दरों की उच्चतम सीमा और न्यूनतम परिपक्वता अवधि निश्चित करना और अल्पावधि ऋण बढ़ने से रोकना ;

* नियंत्रणों के साथ-साथ अल्पावधि ऋणों में कमी करना ताकि भविष्य में इसकी अनावश्यक वृद्धि रोकी जा सके;

* ज्यादा महंगे बाह्य ऋण को चुकाना और उनका पुनर्वित्तीयन करना ;

* विदेशी मुद्रा की अनावश्यक उधारी से बचने के लिए बाज़ार निर्धारित विनिमय दर नीति;

* बाह्य क्षेत्र की अनिश्चितताओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की सचेतन वृद्धि करना ।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2001-02

इस अंक के लिए संपादक मंडल की बैठक 15नवंबर 2002 को संपन्न हुई । इसमें महाविद्यालय से सम्बद्ध संकाय सदस्य सर्वश्री डॉ. शरदकुमार, एस. मौर्य तथा सिंडिकेट बैंक के डा. अमरसिंह वधान, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)का योगदान रहा और राजभाषा कक्ष से सम्बद्ध गौरी करंदीकर, एम. वी. चांदनानी और बी. सी. सोनवणे का सहयोग प्राप्त हुआ । बैं प्र म का फैक्स नंबर 2430 38 82

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं । यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय उन विचारों से सहमत हो । इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादक - मंडल

प्रबंध संपादक

सी.आर. गोपालसुंदरम

प्रधानाचार्य और मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

एन. पी. सिन्हा

प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. सी. चौधरी

सचिव, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

डॉ सुरेश कुमार

उप महा प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई

श्रीमती सुलेखा मोहन

वरिष्ठ प्रबंधक,केनरा बैंक,मैसूर

एम. एस. आनंद

उप मुख्य प्रबंधक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

डॉ. श्रीनिवास द्विवेदी

महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. राजेश्वर गंगवार

महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. प्रसाद

उप प्रधानाचार्य, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

यू. एस. पालीवाल

महा प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

पुष्पकुमार शर्मा

सहायक महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य-सचिव

सावित्री सिंह

प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग

दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028.

प्रबंध संपादक, मुद्रक और प्रकाशक श्री सी. आर. गोपालसुंदरम, बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर(पश्चिम), मुंबई - 400 028 द्वारा प्रकाशित तथा मयूर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मुंबई - 400 001 में मुद्रित ।

इंटरनेट http://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध ।

E mail : btcrajbhasha@rbi.org.in

पंजीकरण सं. 470 43/88

सेवा किसी भी संस्थान की 'जीवन दात्री' रक्त वाहिनी है, प्रत्येक कार्य इसके द्वारा होता है और फलता फूलता है, ग्राहक सेवा कोई विभाग नहीं, अपितु यह एक आत्मीय व्यवहार है।